

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी
सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें,
उत्तर प्रदेश

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन
वर्ष 2010-11

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में

वार्षिक प्रतिवेदन 2010-2011

विषय सूची

प्राक्कथन

अध्याय-1

प्रस्तावना

क्रम0	विवरण	प्रस्तर संख्या	पृष्ठ संख्या
1	इस प्रतिवेदन के संबंध में	1.1	
2	लेखा परीक्षित इकाइयों की रूपरेखा	1.2	
3	लेखा परीक्षा का प्राधिकार	1.3	
4	मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, उ० प्र० के कार्यालय के संगठन की संरचना	1.4	
5	लेखा परीक्षा की योजना एवं संचालन	1.5	
6	लेखा परीक्षा आपत्तियों के प्रति विभाग का रुझान	1.6	
7	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के बाद की कार्यवाही	1.7	

अध्याय-2

विस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य, आय/प्राप्ति के स्रोत, कियाकलापों के संदर्भ में संक्षिप्त विवरण

1	सामान्य विवरण	2.1	
2	जिला पंचायत	2.2	
3	क्षेत्र पंचायत	2.3	
4	ग्राम पंचायत	2.4	

अध्याय-3

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा प्रगति

1	जिला पंचायत	3.1	
2	क्षेत्र पंचायत	3.2	
3	ग्राम पंचायत	3.3	

अध्याय-4

विशेष लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं उसमें उद्घाटित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा आपत्तियां-

1	जिला पंचायत	4.1	
2	क्षेत्र पंचायत	4.2	
3	ग्राम पंचायत	4.3	

अध्याय-5

निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों/विशेष प्रतिवेदनों का अनुपालन, समीक्षा व नास्ति संग्रह का विवरण

1	जिला पंचायत	5.1	
2	क्षेत्र पंचायत	5.2	
3	ग्राम पंचायत	5.3	

::प्राक्कथन::

केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा अनुदानित प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं, यथा— जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों के लेखों की लेखा परीक्षा राज्य सरकार के अधीन मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्पन्न करायी जाती रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-854/33-1-2011-128/96 पंचायती राज अनुभाग-1, लखनऊ दिनांक- 30 मार्च 2011 द्वारा इन संस्थाओं की लेखा परीक्षा के आधार पर वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर राज्य विधान मण्डल के पटल पर रखे जाने की व्यवस्था दी गयी है।

सहकारी और पंचायत लेखा परीक्षा विभाग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की सम्पादित लेखा परीक्षा के आधार पर वर्तमान प्रतिवेदन तैयार किया गया है। इस प्रतिवेदन में वर्ष 2011-12 की अवधि में वित्तीय वर्ष 2010-11 की लेखा परीक्षा में आये प्रकरणों के साथ-साथ पूर्ववर्ती वर्षों के प्रकरण, जिनकी लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 में सम्पादित की गयी है, को भी सम्मिलित किया गया है।

यह प्रतिवेदन प्रस्तावना जिसमें लेखा-परीक्षित इकाइयों की रूपरेखा, प्राधिकार विभाग का प्रशासनिक ढाँचा व लेखा परीक्षा की योजना से प्रारम्भ होता है। अध्याय 2 में लेखा परीक्षित संस्थाओं के विषय में सामान्य विवरण अध्याय 3 में लेखा परीक्षा की प्रगति की स्थिति अध्याय-4 में लेखा परीक्षा के उपरान्त प्रकाश में आयी आपत्तियों का विवरण अध्याय 5 में आपत्तियों का अनुपालन, समीक्षा एवं नास्ति संग्रह की स्थिति तथा अध्याय-6 में निष्कर्षों एवं संस्तुतियों को आच्छादित किया गया है।

अध्याय-1

::प्रस्तावना::

1.1- इस प्रतिवेदन के संबंध में रूपरेखा

1. मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियों एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश का यह प्रतिवेदन राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की यथा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों को सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में दिए गये अनुदान, योजनाओं के क्रियान्वयन व संचालन में हुए व्यय, इन संस्थाओं द्वारा विभिन्न मदों में प्राप्त आय की लेखा परीक्षा से सम्बन्धित है।
2. इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखा परीक्षा परिणामों को राज्य विधायिका के संज्ञान में लाना है। यह अपेक्षा की जाती है कि लेखा परीक्षा परिणाम, कार्यपालिका द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही, संस्थाओं हेतु नीति निर्धारण व भविष्य की नीति निर्माण में सहायक होगा तथा एक जन उपयोगी शासन व्यवस्था के निर्माण में सहयोगी होगा।
3. लेखा परीक्षा के अंतर्गत संस्था की प्राप्तियों, व्ययों, परिसम्पत्तियों और दायित्वों की जाँच की जाती है जिसमें यह निश्चित किया जाता है कि संस्था केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न मदों व योजनाओं में अनुदानित धन का उपयोग किस प्रकार कर रही है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विभिन्न आदेशों, दिशा निर्देशों का पालन किया गया है, व्ययों, योजना के उद्देश्यों की पूर्ति कहीं तक हुयी है, किस सीमा तक मितव्ययिता, दक्षता, प्रभावकारिता के साथ संस्था द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन तथा संचालन किया गया है।

4. इस अध्याय में लेखा परीक्षित इकाइयों की रूपरेखा, लेखा परीक्षा का प्राधिकार, लेखा परीक्षा संगठन की संरचना, लेखा परीक्षा की योजना एवं संचालन का उल्लेख किया गया है, जबकि अध्याय-2 में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों, आय/प्राप्ति के स्रोतों, व कियाकलापो के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। अध्याय-3 में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा प्रगति एवं अध्याय-4 लेखा परीक्षा की आपत्तियों तथा अध्याय-5 में प्राप्त अनुपालनों, उनकी समीक्षा एवं अध्याय-6 लेखा परीक्षा में प्राप्त निष्कर्षों व संस्तुतियों का उल्लेख किया गया है।
5. इस प्रतिवेदन में वर्ष 2011-12 की अवधि के दौरान इन संस्थाओं के वित्तीय वर्ष 2010-11 के लेखों की लेखा परीक्षा में, संज्ञान में आये प्रकरणों के साथ-साथ संस्थाओं के विगत वर्षों के प्रकरणों जिनके लेखों की लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 की अवधि में संपादित की गयी, को भी लिया गया है।

1.2- लेखा परीक्षित इकाइयों की रूपरेखा

उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जिला स्तर पर कुल 71 जिला पंचायतें हैं। जो जिला पंचायत अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन है। अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत का कार्यकारी अधिकारी होता है।

विकास खंड स्तर पर राज्य में कुल 819 क्षेत्र पंचायतें हैं। जो ब्लाक प्रमुख के नियंत्रणाधीन है। खण्ड विकास अधिकारी क्षेत्र पंचायत का कार्यकारी अधिकारी होता है।

ग्राम पंचायत स्तर पर राज्य में कुल 51944 ग्राम पंचायतें हैं। जो ग्राम प्रधान के नियंत्रणाधीन है। ग्राम्य विकास अधिकारी ग्राम पंचायतों का कार्यकारी अधिकारी होता है।

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियों एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश की लेखा परीक्षा की परिधि में उपरोक्त तीनों स्तर के कुल 52834 पंचायती संस्थाएँ हैं।

1.3— लेखा परीक्षा का प्राधिकार

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायतों की लेखा परीक्षा हेतु उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 एवं उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा नियमावली) 1965 के नियम— 2 व नियम— 174 से 180 के प्राविधानों के अन्तर्गत तथा उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली—1947 की धारा 40 एवं नियम 186 के प्राविधानों के अन्तर्गत मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियों एवं पंचायतें उ०प्र० में लेखा परीक्षा का प्राधिकार निहित है।

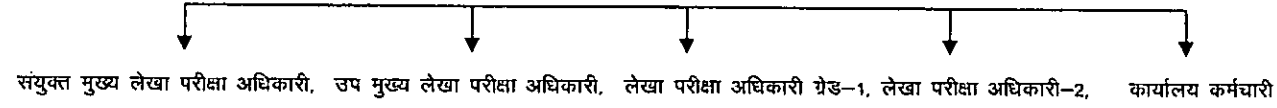
1.4— मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, उ०प्र० के कार्यालय के संगठन की संरचना

उत्तर प्रदेश में सहकारी और पंचायत संस्थाओं की लेखा परीक्षा का कार्य मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश द्वारा संपादित कराया जाता है।

जनपद स्तर पर जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के नियंत्रणाधीन लेखा परीक्षा कार्मिकों (यथा—लेखा परीक्षक, ज्येष्ठ लेखा परीक्षक, ज्येष्ठ लेखापरीक्षक ग्रेड—1, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी) की नियुक्ति रहती है। जिनके द्वारा जनपद स्तर पर समस्त पंचायती राज संस्थाओं यथा— जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा सम्पादित/निष्पादित की जाती है। मंडल स्तर पर संभागीय लेखा परीक्षा अधिकारी की नियुक्ति रहती है। जिसके द्वारा जनपद स्तर पर होने वाले लेखा परीक्षा कार्य का गुणवत्ता नियंत्रण, लेखा परीक्षा कार्य का नियोजन एवं प्रशासनिक नियंत्रण किया जाता है। विभाग का ढाँचा निम्न प्रकार है—

(अ) मुख्यालय स्तरीय

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी



(ब) सम्भाग स्तरीय

सम्भागीय लेखा परीक्षा अधिकारी

लेखा परीक्षा अधिकारी ग्रेड-1
(चीनी मिल/कताई मिल)

सम्भागीय ज्येष्ठ लेखा परीक्षक

कार्यालय कर्मचारी

(3)

(स) जनपद स्तरीय

जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/लेखा परीक्षा अधिकारी ग्रेड-2

ज्येष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड-1/सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी

ज्येष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड-2

लेखा परीक्षक

कार्यालय कर्मचारी

1.5— लेखा परीक्षा की योजना एवं संचालन—

लेखा परीक्षा की प्रक्रिया वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में जनपद स्तर पर लेखा परीक्षा कार्मिकों को पूरे वर्ष के लिए लेखा परीक्षा कार्य के आवंटन से होती है। तत्पश्चात सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप निर्मित विभागीय नीति के तहत तदनुसार वर्ष पर्यन्त लेखा परीक्षा कार्य का संचालन किया जाता है।

अधिनियम व नियमावली में निर्धारित सीमा, प्रशासनिक विभागों द्वारा निर्धारित स्कोप के तहत संस्था के क्रिया कलाप, उनके द्वारा किये गये व्यय, वित्तीय अधिकारों की सीमा आदि का परीक्षण कर लेखा परीक्षा परिणाम निर्धारित किये जाते हैं।

प्रत्येक इकाई की लेखा परीक्षा की समाप्ति पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संस्था के प्रमुख व अन्य संबंधित पक्षों को इस आग्रह के साथ प्रेषित किया जाता है कि लेखा परीक्षा आपत्तियों को अनुपालन प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात निर्धारित अवधि के अंदर प्रेषित करें।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में निहित मुख्य बिंदु जो अपहरण, दुर्विनियोग एवं गंभीर वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित रहते हैं। उन्हें विशिष्ट लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने की प्रक्रिया अपनायी जाती है तथा अधिभार की कार्यवाही निर्धारित की जाती है।

1.6— निष्पादित लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के प्रति विभाग का रुझान

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखा परीक्षा आपत्तियाँ संबंधित संस्थाओं के प्रमुखों एवं प्रशासनिक विभाग के अधिकारियों को इस आशय से अग्रसारित किया जाता है कि उस पर निर्धारित अवधि (एक माह) के अंदर अनुपालन प्रशासनिक विभाग के माध्यम से लेखा परीक्षा विभाग को प्रेषित कर दिया जाए।

प्रशासनिक विभागों के माध्यम से अनुपालन मॉगे जाने का औचित्य यह है कि लेखा परीक्षा आपत्तियों का समुचित अनुपालन नियमानुसार हुआ अथवा नहीं ? इसका सम्पूर्ण संज्ञान प्रशासनिक विभाग को रहे तथा संस्था की लेखा परीक्षा में इंगित कमियों का निराकरण प्रभावी रूप से करा कर योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो सके। इसके साथ ही संगत अधिनियम एवं नियमावली में निहित अधिकारों के तहत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए संबंधित पक्षों पर प्रशासनिक कार्यवाही वसूली आदि करायी जा सके एवं लेखा परीक्षा आपत्तियों में निहित सुधारात्मक पक्ष के साथ-साथ दण्डात्मक पक्ष का भी प्रभावी रूप से पालन सुनिश्चित किया जा सके। जिससे संस्था में वित्तीय अनुशासन बनाये रखा जा सके। जिससे लोक धन पर प्रभावी नियंत्रण द्वारा विभिन्न योजनाओं के उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो सके।

1.7— लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के बाद की कार्यवाही

मार्च 2012 के अंत तक निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर वार्षिक प्रतिवेदन को चर्चा हेतु सदन के पटल पर रखा गया है। निर्धारित प्रक्रिया के पश्चात निर्मित विधान मण्डल की उच्च स्तरीय लेखा समिति के समक्ष लेखा परीक्षा आपत्तियों, विशिष्ट लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों एवं अधिभार की कार्यवाही को चर्चा हेतु रखा जाएगा।

अध्याय-2

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों, आय / प्राप्ति के स्रोत, व क्रियाकलापों के संदर्भ में

2.1— सामान्य विवरण— वैदिक काल से ही भारत वर्ष में किसी न किसी रूप में ग्राम पंचायत और ग्राम सभाएं विद्यमान रही हैं। मगर अंग्रेजों के शासनकाल में ये संस्थाएं लुप्त हो गयीं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राज्य सरकारों ने ग्राम पंचायत के विकास को प्रोत्साहित किया गया तथा आजादी के बाद संविधान के अन्तर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अधीन अनुच्छेद 40 के प्राविधान से इनकी गतिविधियों को अधिक बल मिला। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाएं स्वतंत्रता के पूर्व से ही कार्यरत रही हैं। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला तिहत्तरवाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 दिनांक 24.04.1993 से लागू हो जाने पर राज्य सरकारों के लिए यह आवश्यक हो गया था कि राज्यों के पंचायती राज कानूनों को भी एक वर्ष के अन्दर अर्थात् 23 अप्रैल 1994 तक संविधान संशोधन के अनुरूप संशोधित कर दिया जाये। तत्समय उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 तथा क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों के लिए उत्तर प्रदेश क्षेत्र परिषद समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 अस्तित्व में थे, अतः इन दोनों अधिनियमों में संविधान (तिहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम 1992 के अनुरूप संशोधन करने के लिए उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम 1994 पारित किया गया, जो संपूर्ण प्रदेश में दिनांक— 22 अप्रैल 1994 से लागू हो गया।

उत्तर प्रदेश विधि (संशोधन) अधिनियम 1994 में मुख्यतः उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 के न केवल उन्हीं प्राविधानों को संशोधित किया गया, जो संविधान (तिहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम 1992 से प्रभावित थे, किन्तु कुछ ऐसे प्राविधानों को भी संशोधित किया गया, जिसे लागू करने में व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही थी। संशोधन के पूर्व ग्राम स्तर की संस्थाओं को गाँव सभा तथा गाँव पंचायत कहा जाता था। जो कि अब ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत

कहलायेगा। इसी प्रकार पूर्व में क्षेत्र समिति के नाम से पहचानी जाने वाली मध्य स्तर की संस्था संशोधन के पश्चात् क्षेत्र पंचायत तथा जिला स्तर की संस्था जिला परिषद संशोधन के बाद जिला पंचायत कहलाती है तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 हो गया।

भारतीय संविधान के तिहत्तरवे संशोधन में ग्राम पंचायत को न सिर्फ संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया है, अपितु विकास का केन्द्र भी बना दिया है। मनरेगा, बारहवाँ/तेरहवाँ वित्त आयोग, मध्यान्ह भोजन, छात्रवृत्ति आदि विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जा रहा है। जिसके द्वारा गाँव स्तर पर आधारभूत सुविधाओं के विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीण परिवारों के वयस्क व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराकर आजीविका सुनिश्चित कराने, छात्रवृत्ति एवं पौष्टिक भोजन द्वारा बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की प्रवृत्ति एवं क्षमता विकसित करने, उनमें अच्छी समझ एवं भाईचारे के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की 51944 ग्राम पंचायतों को विभिन्न मदों में लगभग करोड़ों की धनराशि वित्तीय वर्ष 2009-10 में उपलब्ध करायी गई। जिसमें से कुल 19820 ग्राम सभाओं की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष 2010-11 में सम्पन्न करायी गयी।

2.2— जिला पंचायत

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत जिला पंचायत शीर्षस्थ संस्था है। प्रत्येक जिला में एक जिला पंचायत स्थापित है। जिला पंचायत के गठन, इनके अधिकार, कार्य, दायित्व, निधियाँ, कार्य प्रणाली लेखा परीक्षा आदि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अन्तर्गत परिभाषित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 71 जिला पंचायतों का गठन हुआ है। जिला पंचायत के कार्यों का सुचारु रूप से संपादन के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष, तथा जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव पाँच वर्ष के अन्तराल पर किया जाता है। जिला पंचायत के दिन प्रतिदिन के कार्यों के सुचारु रूप से क्रियान्वयन के लिए अपर मुख्य अधिकारी की तैनाती की जाती है। जिसकी सहायता के लिए वित्तीय परामर्शदाता कार्याधिकारी स्टोर इंचार्ज, लेखाकार, अवर अभियन्ता/अभियन्ता टैक्स आफिसर, लिपिक आदि की नियुक्ति की जाती है।

(क) जिला पंचायत के अधिभार एवं कृत्य— त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में जिला पंचायत जनपद की शीर्ष संस्था है। जिला पंचायत के गठन, इनके अधिकार कार्य, दायित्व निधियों, कार्य प्रणाली, लेखा परीक्षा आदि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अन्तर्गत परिभाषित है। अधिनियम के धारा 33 के अनुसार जिला पंचायत के सामान्य अधिकार और कृत्य निम्नवत् होंगे।

1. जिन मेलों तथा उत्सवों का प्रबंध राज्य सरकार करती है या आगे करें, उससे भिन्न मेलों तथा उत्सवों का ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों द्वारा प्रबंध और नियंत्रण के प्रयोजन के लिए वर्गीकरण करना।
2. ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों द्वारा प्रबंध के प्रयोजनों के लिए सड़कों का कमशः ग्राम सड़कों, अर्न्तग्रामित सड़कों तथा जिला सड़कों के रूप में वर्गीकरण।
3. जिले की ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों के कार्यकलापों का तदर्थ बनाये गये नियमों के अनुसार सामान्य रूप से पर्यवेक्षण।
4. तदर्थ बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए एक ओर राज्य सरकार तथा दूसरी ओर क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों के बीच पत्र व्यवहार के लिए मुख्य माध्यम के रूप में कार्य करना।
5. 1. कृषि जिसके अन्तर्गत कृषि प्रसार भी है।
2. भूमि विकास, भूमि सुधार कार्यान्वयन, चकबन्दी तथा भूमि संरक्षण।
3. लघु सिंचाई, जल प्रबंध तथा जल विकास।
4. पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुटकुट पालन।
5. मत्स्य पालन।
6. सामाजिक और फार्म वानिकी।
7. लघु वन उत्पाद।
8. लघु उद्योग।
9. कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग।

10. ग्रामीण आवास ।
11. पेय जल ।
12. ईंधन और चारा भूमि ।
13. सड़क, पुलिया, पुल, नौका घाट, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन ।
14. ग्रामीण विद्युतीकरण ।
15. गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत ।
16. गरीबी उपशमन कार्यक्रम ।
17. शिक्षा जिसके अन्तर्गत प्रारम्भिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं ।
18. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा ।
19. प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा ।
20. पुस्तकालय ।
21. खेल-कूद और सांस्कृतिक कार्य ।
22. बाजार और मेले ।
23. चिकित्सा और स्वच्छता ।
24. परिवार कल्याण ।
25. प्रसूति और बाल विकास ।

26. समाज कल्याण जिसके अन्तर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मन्द व्यक्तियों का कल्याण भी है।
 27. कमजोर वर्गों और विशिष्टता अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण।
 28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
 29. सामुदायिक वितरण प्रणाली।
 30. नियोजन और आकड़े।
 31. सहायता कार्य।
6. ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जो नियत किये जाये।

जिला पंचायत के आय/प्राप्तियों के स्रोत—

ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए जिला पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के प्राविधानानुसार जिला पंचायत की अनेकों मदों में कर लगाने, कर का निर्धारण करने तथा वसूली का अधिकार है। जिला पंचायतों को अपनी सम्पत्ति से भी किराये आदि के रूप में आय प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त राज्य वित्त आयोग, तेरहवे वित्त आयोग, मनरेगा, सांसद निधि, विधायक निधि आदि मदों में भी जिला पंचायत को अनुदान प्राप्त होता है। जिसका उपयोग जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए किया जाता है।

(1) निजी स्रोत से आय—

1—उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम की धारा 119—145 में जिला पंचायतों को निम्न कर लगाने का अधिकार दिया गया है। जिनसे उन्हें आय प्राप्त होती है।

1. लाइसेंस शुल्क

2. दुकानों एवं हाट बाजारों में कर लगाना
3. नौका हाउस पर कर
4. कौंजी हाउस पर कर
5. सिनेमा प्रदर्शनियों आदि पर कर

जिला पंचायतों में सामान्त्याः निम्न मदों से आय प्राप्त होती है।

1. सम्पत्ति व विभव कर
2. लाइसेंस शुल्क
3. मृत पशु शव निस्तारण
4. सम्पत्तियों आदि (दुकान, भवन किराया)
5. नौका घाट
6. मेला प्रदर्शनी
7. हाट बाजार एवं तहबाजारी
8. कौंजी हाउस
9. कृषि एवं पशुपालन
10. जिला निधि में उपलब्ध धनराशि पर अर्जित ब्याज
11. अन्य मदों से प्राप्तियाँ

(2) वाह्य स्रोतों से आय— जिला पंचायतों को निजी स्रोतों से आय के अतिरिक्त अन्य वाह्य स्रोतों से भी धनराशि अनुदान के रूप में प्राप्त होती है। जिसका उपयोग विभिन्न विकास कार्यों के लिए किया जाता है। जिला पंचायतों को सामान्यतया निम्न मदों में धनराशि प्राप्त होती है।

1. भू-राजस्व अनुदान
2. राज्य वित्त आयोग

3. तेरहवों वित्त आयोग
4. डी0आर0डी0ए0 से प्राप्त अनुदान
5. मनरेगा
6. सांसद निधि
7. विधायक निधि
8. आंचलिक निधि
9. एस0जी0आर0वाई0
10. अन्य विभिन्न मदों से

मनरेगा के संदर्भ में जिला पंचायत की भूमिका—

1. जिला योजना एवं श्रमिक बजट (Labour Budget) को अन्तिम रूप देना तथा जनपद के अंदर मनरेगा के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं मानीटरिंग(Monitoring) करना जिला पंचायत की जिम्मेदारी है।
2. जिला पंचायत खण्ड विकास वार मनरेगा के अन्तर्गत आगामी वर्षों में कराये जाने वाले कार्यों का अनुमोदन 31 दिसम्बर तक करेगी।

जिला पंचायतों के मुख्य कार्य निम्नवत् हैं—

1. बाजारों व मेलों का नियंत्रण
2. ग्राम तथा कुटीर उद्योगों में प्रशिक्षण के लिए जिला केन्द्र की स्थापना
3. जन-चिकित्सालयों और औषधालयोंकी स्थापना
4. जनता के लिए पीने योग्य जल की व्यवस्था करने में क्षेत्र पंचायतों को सहायता देना
5. प्राइमरी स्तर से ऊपर की शिक्षा का प्रबंध करना
6. सार्वजनिक सड़कों, पुलों का निर्माण करना और सामान्यतया संचार साधनों का सुधार

7. सड़को के दोनों ओर पेड़ लगाना
8. अर्न्तखण्ड जल का प्रबंध
9. बाँधों नालियों तालाबों तथा अन्य ऐसे कार्यों का निर्माण जो राज्य सरकार द्वारा जिला पंचायत को सौंपे गये हों
10. दुर्भिक्ष निवारणार्थ निर्माण कार्य का संपादन
11. सहायता गृहों की स्थापना
12. निर्धन गृहों की स्थापना, शरणालयों, बाजारों आदि की स्थापना
13. जिला योजना की रूपरेखा तैयार करना, तथा जिले की योजना तैयार करना
14. क्षेत्र पंचायत द्वारा बनायी गयी योजनाओं का पुनरावलोकन
15. समन्वय व एकीकरण कार्यक्रमों का मूल्यांकन व सफलताओं तथा लक्ष्यों की नियत कालीन समीक्षा
16. सार्वजनिक घाटों का प्रबंध करना
17. मेलों, सड़कों आदि के वर्गीकरण तथा जिले की ग्राम पंचायतों तथा क्षेत्र पंचायतों के कार्यकलापों का समान रूप से पर्यवेक्षण
18. घाटों को नीलाम करने और लाइसेंस लगाने आदि के कार्य
19. मृतक पशुओं के हड्डी व चमड़े की नीलामी कराना

2.3— क्षेत्र पंचायत

विकास कार्यों एवं प्रशासनिक कार्यों के निमित्त राज्य सरकार द्वारा जनपद को खण्डों में विभक्त किया गया है। उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम-1961 की विभिन्न धाराओं के तहत एक निगमित निकाय के रूप में 819 क्षेत्र पंचायत का गठन किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र पंचायत का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि से पाँच वर्ष की अवधि तक के लिए रहेगा। क्षेत्र पंचायत हेतु निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुना हुआ व्यक्ति क्षेत्र पंचायत का प्रमुख होगा। कार्य सम्पादन के लिए प्रति दो मास में कम से कम एक बैठक किये जाने की व्यवस्था दी गयी है। खण्ड विकास अधिकारी को क्षेत्र पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है। अधिनियम की धारा-99 से 101 के तहत प्रत्येक क्षेत्र पंचायत के लिए एक निधि की स्थापना की जायेगी। जिसे क्षेत्र पंचायत निधि कहा

जायेगा। क्षेत्र पंचायत निधि में से धन का समस्त आहरण और उसका वितरण प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

क्षेत्र पंचायत की बैठक एवं कृत्य— अधिनियम की धारा-84 के अनुसार प्रत्येक दो मास में क्षेत्र पंचायत की कम से कम एक बैठक होगी। इसके अतिरिक्त प्रमुख जब कभी भी उचित समझे क्षेत्र पंचायत की बैठक बुला सकता है तथा प्रमुख निर्वाचित सदस्यों के 1/5 के लिखित अध्याचन पर अध्याचन की तारीख या प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अंदर बैठक अवश्य बुलायेगा। क्षेत्र पंचायत निम्नलिखित धारा-86 मामलों पर विचार करेगी तथा योजना तैयार करेगी।

1. क्षेत्र पंचायत खंड की ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं को सम्मिलित करने के पश्चात् खण्ड के लिए प्रत्येक वर्ष एक विकास योजना तैयार करेगी।
2. यह योजना खण्ड विकास अधिकारी, कार्यसमिति, वित्त एवं विकास समिति और समता समिति की सहायता से नियत तिथि से तैयार की जाएगी।
3. खण्ड के भीतर शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास, सामुदायिक कल्याण आदि से संबंधित कार्यक्रम।
4. ऐसे अन्य कार्य जो नियमों में उल्लिखित हैं।

क्षेत्र पंचायत के आय/प्राप्तियों के स्रोत—

ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए क्षेत्र पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के प्राविधानानुसार क्षेत्र पंचायत की कुछ मदों में कर लगाने, कर का निर्धारण करने तथा वसूली का अधिकार है। इसके अतिरिक्त राज्य वित्त आयोग, तेरहवे वित्त आयोग, मनरेगा, सांसद निधि, विधायक निधि आदि मदों में भी क्षेत्र पंचायत को अनुदान प्राप्त होता है। जिसका उपयोग जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए किया जाता है।

(1) निजी स्रोत से आय—

1-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम की धारा 131-क में क्षेत्र पंचायतों को निम्न कर लगाने का अधिकार दिया गया है। जिनसे उन्हें आय प्राप्त होती है।

- 1.लाइसेंस शुल्क
- 2.दुकानों एवं हाट बाजारों में कर लगाना
- 3.सम्पत्ति व विभव कर
- 4.कॉजी हाउस पर कर
- 5.अन्य मदों से प्राप्तियाँ

(2) वाह्य स्रोतों से आय— क्षेत्र पंचायतों को निजी स्रोतों से आय के अतिरिक्त अन्य वाह्य स्रोतों से भी धनराशि अनुदान के रूप में प्राप्त होती है। जिसका उपयोग विभिन्न विकास कार्यों के लिए किया जाता है। क्षेत्र पंचायतों को सामान्यतया निम्न मदों में धनराशि प्राप्त होती है।

- 1.भू-राजस्व अनुदान
- 2.राज्य वित्त आयोग
- 3.तेरहवाँ वित्त आयोग
- 4.डी०आर०डी०ए० से प्राप्त अनुदान
- 5.मनरेगा
- 6.सांसद निधि
- 7.विधायक निधि
- 8.आंचलिक निधि
- 9.एस०जी०आर०वाई०
- 10.अन्य विभिन्न मदों से

क्षेत्र पंचायत के अधिकार एवं कृत्य— अधिनियम की धारा-35 एवं 79 तथा संलग्न अनुसूची-3 व 6 में क्षेत्र पंचायत के अधिकार तथा कृत्य निर्धारित किये गये हैं।

अधिनियम की धारा-32 के अनुसार ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसा राज्य सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करें। प्रत्येक क्षेत्र पंचायत निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी।

1. कृषि जिसके अन्तर्गत कृषि प्रसार भी है।
2. भूमि विकास, भूमि सुधार कार्यान्वयन, चकबन्दी और भूमि संरक्षण।
3. लघु सिंचाई, जल प्रबन्ध और जलाच्छादन विकास।
4. पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुटकुट पालन।
5. मत्स्य पालन।
6. सामाजिक और फार्म वानिकी।
7. लघु वन उत्पाद।
8. लघु उद्योग।
9. कुटीर और ग्राम उद्योग।
10. ग्रामीण आवास।
11. पेयजल।
12. ईंधन और चारा भूमि।
13. सड़क, पुलिया, पुलों, नौकाघाट, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन।
14. ग्रामीण विद्युतीकरण।
15. गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत।
16. गरीबी उपशमन कार्यक्रम।
17. शिक्षा जिसके अन्तर्गत प्रारम्भिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं।
18. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा।

19. प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा।
20. पुस्तकालय।
21. खेलकूद और सांस्कृतिक कार्य।
22. बाजार और मेले।
23. चिकित्सा और स्वच्छता।
24. परिवार कल्याण।
25. प्रसूति और बाल विकास।
26. समाज कल्याण जिसके अन्तर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मन्द व्यक्तियों का कल्याण भी है।
27. कमजोर वर्गों और विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण।
28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
29. सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण।
30. नियोजन और आंकड़े।
31. ग्राम पंचायतों पर पर्यवेक्षण।
32. प्राकृतिक आपदाओं में सहायता।

2.4 ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की सबसे छोटी इकाई है। एक या अधिक राजस्व गांव को मिलाकर ग्राम का गठन होता है। एक ग्राम पंचायत के गठन को व्यवस्था यथा संभव एक हजार या उससे अधिक की जनसंख्या पर की गयी है। उ०प्र० में वर्तमान में कुल 51944 ग्राम पंचायतें कार्यरत हैं। ग्राम पंचायत के कार्यों का सुचारु रूप से संचालन के लिये प्रत्येक ग्राम सभा हेतु प्रधान व सदस्यों का चुनाव प्रत्येक पांच वर्षों के अन्तराल पर किया जाता है। उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम 1947 के अनुसार ग्राम पंचायत की

बैठक सामान्यतः प्रत्येक मास में कम से कम एक बार होनी चाहिए किन्तु दो लगातार बैठकों के मध्य दो मास से अधिक का अन्तराल नहीं होना चाहिए। ग्राम प्रधान की प्रति दिन के कार्यों के सुचारु रूप से चलाने हेतु ग्राम्य विकास अधिकारी की तैनाती शासन द्वारा की गयी है। ग्राम पंचायत के समस्त खातों का संचालन ग्राम प्रधान एवं ग्राम्य विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालन किया जाता है।

ग्राम सभा की बैठक तथा कृत्य

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम की धारा 11 के अनुसार प्रतिवर्ष ग्राम सभा की दो सामान्य बैठक होगी, (खरीफ की बैठक तथा रबी की बैठक) इसके अतिरिक्त विहित अधिकारी की लिखित मांग अथवा सदस्यों को कुल संख्या का कम से कम $1/5$ की मांग पर मांग की दिनांक से 30 दिन के अन्दर प्रधान ग्राम सभा की असाधारण सामान्य बैठक अवश्य बुलाएगा, प्रधान किसी भी समय असाधारण बैठक बुला सकता है किन्तु ग्राम सभा निम्नलिखित मामलों पर विचार करेगी तथा ग्राम पंचायत की सिफारिश व सुझाव दे सकती है।

- 1— ग्राम पंचायत के खातों का वार्षिक विवरण, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की प्रशासन को रिपोर्ट और अन्तिम लेखा परीक्षा टिप्पणी और उन पर दिये गये उत्तर यदि कोई हो।
- 2— पूर्ववर्ती वर्ष से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के विकास कार्यक्रमों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लिए जाने के लिये प्रस्तावित विकास कार्यों की रिपोर्ट।
- 3— ग्राम में समाज के सभी वर्गों के बीच एकता और समन्वय की अभिवृद्धि।
- 4— ग्राम के भीतर प्रौढ शिक्षा का कार्यक्रम।
- 5— ऐसे अन्य कार्य जो नियम किये जाये।

ग्राम सभा निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी:—

- क— सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिये स्वैच्छिक जन और अंशदान जुटाना।
- ख— ग्राम से सम्बन्धित विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये हितकारी की पहचान।
- ग— ग्राम से सम्बन्धित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता पहुंचाना।

ग्राम पंचायतों के अधिकार , कर्तव्य व कृत्य

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 15 के अनुसार ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसा राज्य सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करें। प्रत्येक ग्राम पंचायत निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी।

- 1— कृषि, जिसके अन्तर्गत कृषि विस्तार भी है।
- 2— भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबन्दी और भूमि संरक्षण।
- 3— लघु सिंचाई, जल व्यवस्था और जल आच्छादन विकास।
- 4— पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन।
- 5— मत्स्य पालन।
- 6— सामाजिक और कृषि वानिकी।

- 7— लघु वन उत्पाद ।
- 8— लघु उद्योग ।
- 9— कुटीर और ग्राम उद्योग ।
- 10— ग्रामीण आवास ।
- 11— पेयजल ।
- 12— ईंधन और चारा भूमि ।
- 13— सडकें, पुलिया, पुलों नौकाघाट, जलमार्ग, और संचार के अन्य साधन ।
- 14— ग्रामीण विद्युतीकरण ।
- 15— गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत ।
- 16— गरीबी उपशमन कार्यक्रम ।
- 17— शिक्षा, जिसके अन्तर्गत प्रारम्भिक और माध्यमिक विधालय भी हैं ।
- 18— तकनीकी प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा ।
- 19— प्रौढ और अनौपचारिक शिक्षा ।

- 20— पुस्तकालय ।
- 21— खेलकूद और सांस्कृतिक कार्य ।
- 22— बाजार और मेले ।
- 23— चिकित्सा और स्वच्छता ।
- 24— परिवार कल्याण ।
- 25— आर्थिक विकास के लिए योजना ।
- 26— प्रसूति और बाल विकास ।
- 27— समाज कल्याण जिसके अन्तर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है ।
- 28— कमजोर वर्गों और विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण ।
- 29— सार्वजनिक वितरण प्रणाली ।
- 30— सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण ।

उक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिये एक विकास योजना तैयार करेगी और उसे सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत को ऐसे दिनांक के पूर्व और ऐसे प्रारूप और रीति में जैसी नियत की जाये, प्रेषित करेगी तथा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित में से किसी या सभी कृत्यों की ग्राम पंचायत को समानुदेशित कर सकती है ।

- 1— पंचायत क्षेत्र में स्थित किसी वन की व्यवस्था तथा अनुरक्षण।
- 2— पंचायत क्षेत्र के भीतर स्थित सरकार की बंजर भूमि, चारागाह भूमि या खाली पड़ी भूमि की व्यवस्था।
- 3— किसी कर या भू राजस्व का संग्रह और संबन्धित अभिलेखों का अनुरक्षण।

कर तथा शुल्क का आरोपण:—

उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 37 के प्राविधानुसार ग्राम पंचायत निम्नांकित कर लगायेगी

क— उन क्षेत्रों में जहां उ०प्र० जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 जौनसार वाबर जमींदारी— विनाश तथा भूमि—व्यवस्था अधिनियम 1956 के अधीन मध्यवर्तियों के अधिकार, आगम और स्वत्व अर्जित कर लिये गये हो, भूमि पर उसके लिये देय अथवा देय समझे जाने वाली भू—राजस्व की धनराशि पर प्रति रुपया (कम से कम पच्चीस पैसे किन्तु पचास पैसे से अनधिक) का कर लगा सकती है।

ख— उक्त खण्ड क में अभिदिष्ट क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में भौमिक अधिकार से सम्बन्धित प्रवृत्त विधि के अधीन किसी काश्तकार द्वारा, वह कुछ भी कहलाता हो, देय भू—राजस्व की धनराशि पर प्रति रुपया (कम से कम पच्चीस पैसे किन्तु पचास पैसे से अनधिक) कर लगा सकती है।

उक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत निम्नवत् सभी या कोई कर, फीस और शुल्क लगा सकती है।

ग— प्रेक्षागृह, चलचित्र अथवा इसी प्रकार के मनोरंजन कार्य, जो अस्थायी रूप से ग्राम पंचायत के क्षेत्र में आया हुआ है।

घ— ग्राम पंचायत के क्षेत्र में रखे हुए और किराये पर चलाने जाने वाले यन्त्र चलित वाहनो से भिन्न वाहनों तथा पशुओं पर उसके स्वामियों द्वारा देय कर लगा सकती है।

ड— उन व्यक्तियों से जिन पर खण्ड—ग के अधीन कोई कर लगाया गया हो, भिन्न व्यक्तियों पर लगा सकती है। जो ऐसे बाजारों, हाटों अथवा मेलों में बिक्री के लिये सामाना प्रदर्शित करें। जो सम्बन्धित ग्राम पंचायत के स्वामित्व या नियन्त्रण में हो।

च— उन पशुओं की रजिस्ट्री पर शुल्क सभा लगा सकती है, जो ऐसे बाजार अथवा भूमि पर बेचे गये हो, जो ग्राम पंचायत के स्वामित्व में या उसके नियन्त्रण में हो।

छ— वधशालाओं और पडाव की भूमि के लिये शुल्क लगा सकती है।

ज— जल शुल्क— जहां ग्राम सभा द्वारा घर के उपयोग के लिये जल सम्मारित किया जाता है।

झ— यदि सफाई ग्राम पंचायत द्वारा की जाती हो, तो निजी शौचालयों और नालियों को साफ करने के लिये कर लगा सकती है, जो उन मकानों के जिनमें वे निजी शौचालय या नालियां संलग्न हो, स्वामियों अथवा अध्यासियों द्वारा देय होगा।

ञ— सडकों की सफाई और उन पर रोशनी की व्यवस्था के लिये कर।

ट— जहां ग्राम पंचायत द्वारा सिचाई के प्रयोजनार्थ छोटी सिचाई की परियोजनाओं जल सम्मरण हेतु बनायी गयी या अनुरक्षित की गयी हो, की कोई सिचाई दर।

ठ— कोई ऐसा अन्य कर जिसे राज्य में आरोपित करने का अधिकार राज्य विधान मण्डल को संविधान के अधीन, उनके अनुच्छेद 277 को सम्मिलित करते हुये, हो और जिनका ग्राम पंचायत द्वारा आरोपण राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया है।

ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिये ग्राम पंचायतों द्वारा अनेक योजनाओं/ परियोजनाओं का संचालन किया जाता है। विकास के कार्यों के क्रियान्वयन के लिये उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम 1947 के अनुसार कर लगाने व वसूलने का अधिकार है तथा राज्य सरकार /

भारत सरकार द्वारा विकास के कार्यों के लिये धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान में ग्राम पंचायत द्वारा मूलतः चार महत्वपूर्ण परियोजनाओं/ कार्यों का संचालन किया जा रहा है, जिनका विवरण निम्नवत् है:—

1 —महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम-2005 (मनरेगा)

ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार चाहने वाले प्रत्येक परिवार को वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की गयी, इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक गृहस्थी को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिये स्वेच्छा से आगे आते हैं। इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी स्कीम के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष में 100 दिनों से अन्यून के लिये ऐसा कार्य उपलब्ध करायेगा तथा प्रत्येक व्यक्ति जिसने ऐसा कार्य किया है, प्रत्येक कार्य दिवस के लिये निर्धारित मजदूरी की दर से मजदूरी प्राप्त करने का हकदार होगा तथा ऐसी मजदूरी का भुगतान कार्य करने के पन्द्रह दिन के अन्दर किया जायेगा, अधिनियम के धारा 7(1) के अनुसार यदि स्कीम के अन्तर्गत नियोजन चाहने वाले आवेदक को निर्धारित समय (आवेदन के पन्द्रह दिन) के अन्दर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वह निर्धारित दर से बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होता है।

1— मनरेगा का उद्देश्य

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक गृहस्थी को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल कार्य करने के लिये उत्सुक हैं, को एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराकर, जीवन सुरक्षा (livelihood security) को बढ़ाना है।

2— मनरेगा का लक्ष्य:—

1— जहां अन्य रोजगार की सुविधा कम है। ऐसी ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर लोगो को रोजगार मुहैया कराकर मजबूत सामाजिक सुरक्षातन्त्र का निर्माण करना है।

2— ऐसे क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराकर, (जो गरीबी के मूल कारण है) जैसे बाढ़, सूखा, जंगलों का कटान, भूमि (soil Erosion) कृषि प्रधान आर्थिक संरचना के विकास के लिये सुविधा प्रदान करना।

3— अधिनियम, ग्रामीण, जीवकोपार्जन, हेतु राष्ट्रीय रिसोर्स आधार को मजबूत करता है, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत व टिकाऊ सम्पत्ति का निर्माण करता है, मनरेगा में गरीबी के कारणों को पूर्णरूप से बदलने की क्षमता है।

4— ग्रामीण गरीबों को कानूनी अधिकार के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराना।

5— सबसे निचले स्तर पर अपने क्षेत्र के समान्वित विकास के लिये स्वयं कार्य का निर्धारण करना तथा पारदर्शिता के साथ इसे पूर्ण करना।

3— मनरेगा के महत्वपूर्ण विशेषतायें निम्नवत् हैं:—

1— ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य, जो अकुशल कार्य करने के इच्छुक हो, स्थानीय ग्राम पंचायत में लिखित या मौखिक रूप से पंजीकरण के लिये आवेदन देगे।

2— सत्यापन के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन की दिनांक से 15 दिनों के अन्दर जाब कार्ड जारी किया जायेगा, जाब कार्ड पर परिवार के उन सभी सदस्यों के नाम व फोटो होगा जो मनरेगा के अन्तर्गत कार्य करने के इच्छुक है।

3— जाब कार्ड धारक द्वारा रोजगार के लिये लिखित रूप से आवेदन किया जायेगा, जिसमें कब और कितने दिनों के लिये रोजगार चाहिये का उल्लेख होगा, कम से कम 14 दिनों के लिये रोजगार की मांग की जायेगी, ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन की रसीद दी जायेगी तथा अधिनियम की व्यवस्थानुसार 15 दिनों के अन्दर रोजगार मुहैया कराया जायेगा। यदि 15 दिनों के अन्दर रोजगार मुहैया नहीं कराया जाता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।

4— रोजगार ग्राम के 5 किमी० के अन्दर दिया जायेगा यदि 5 किमी० से अधिक दूरी पर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है तो उसे आने जाने व अन्य खर्चों के लिये मजदूरी का 10 प्रतिशत अधिक भुगतान किया जायेगा।

5— मजदूरी का भुगतान ग्रामीण मजदूरी के लिये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुसार किया जायेगा, परन्तु यह 60 रुपये प्रतिदिन से कम नहीं होगा, मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर होगा तथा प्रत्येक दशा में 15 दिनों के अन्दर भुगतान किया जायेगा।

6— कम से कम 1/3 रोजगार महिलाओं को उपलब्ध कराया जायेगा जिन्होंने पंजीकरण कराया है तथा काम करने के लिये आवेदन दिया है।

7— कौन-कौन से कार्य सम्पादित किये जायेंगे इसकी संस्तुति ग्राम पंचायत द्वारा की जायेगी तथा इसे ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित किया जायेगा, कुल कार्य का न्यूनतम 50% कार्य ग्राम पंचायत द्वारा कराया जायेगा।

8— मनरेगा के अर्न्तगत ठेकेदार द्वारा कार्य सम्पादित नहीं किया जायेगा तथा कार्यों में मजदूरी का हिस्सा न्यूनतम 60% होगा भारत सरकार द्वारा अकुशल मजदूरी का 100% तथा सामान के मूल्य का 75 % वहन किया जायेगा।

9- प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा सोशल आडिट आवश्यक है।

मनरेगा के अर्न्तगत अनुमन्य कार्य

1- जल संचयन व जल प्रबन्धन।

2- वानिकी व वृक्षारोपण।

3- सिचाई हेतु नहरे, जिसमें छोटे व अति छोटे सिंचाई की व्यवस्था सम्मिलित हो।

4- सिचाई के साधन की व्यवस्था, वृक्षारोपण, हार्टीकल्चर।

5- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों, भूमि सुधार के अर्न्तगत सहायता प्राप्त परिवार, इन्दिरा आवास योजना/गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के भूमि का भूमि विकास।

6- परम्परागत जल सुविधाओं का जीर्णोधार, जिसमें टैकों की सफाई भी सम्मिलित है।

7- भूमि सुधार/विकास।

8- वाद नियन्त्रण जिसमें जल भराव क्षेत्रों को संरक्षित करना भी सम्मिलित है।

9- ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ना, सड़क का निर्माण, आवश्यकतानुसार ग्राम क्षेत्र में नाली का निर्माण, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत आने वाले सड़कों पर मनरेगा के अर्न्तगत कार्य नहीं कराया जाना चाहिये, मनरेगा के अर्न्तगत सीमेन्ट सड़क का निर्माण प्रतिबन्धित है तथा ऐसी सड़कों को प्राथमिकता दी जायेगी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निवास से जोड़ती है।

- 10— कोई अन्य कार्य जो भारत सरकार, राज्य सरकार से विचार विमर्श कर अधिसूचित करे।
- 11—अन्य योजनाओं के अर्न्तगत निर्मित सम्पत्ति का रख रखाव का कार्य मनरेगा के अर्न्तगत अनुमन्य है।
- 12— मनरेगा के अर्न्तगत भूमि कय अनुमन्य नहीं है।

2—छात्रवृत्ति योजना:—

समाज के सभी वर्गों के बच्चों की पढाई के लिये प्रेरित करने तथा उन्हें आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों/ उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के माध्यम से छात्रवृत्ति उपलब्ध कराया जाता है। विभिन्न वर्गों के छात्रों के लिये अलग-अलग विभागों से छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। जैसे विकलांग बच्चों के लिये विकलांग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक छात्रों के लिये अल्पसंख्यक विकास विभाग आदि से धनराशि ग्राम पंचायत को प्राप्त होती है। जिससे ग्राम पंचायत द्वारा संबन्धित वर्ग के छात्रों को प्राप्त कराया जाता है।

3— राज्य वित्त आयोग/तेरहवे वित्त आयोग/अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान:—

ग्रामीण क्षेत्रों के समबन्धित विकास के लिये राज्य वित्त आयोग तथा तेरहवें वित्त आयोग से अनुदान प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 तथा उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के अनुसार ग्राम पंचायतें कर आरोपित कर सकती हैं। उक्त समस्त धनराशि का उपयोग ग्राम पंचायतों द्वारा विभिन्न विकास के कार्यों, वृक्षारोपण, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, जलाशयों/नलकूपों का निर्माण, पुराने जलाशयों का जीर्णोद्धार, भूमि संरक्षण आदि कार्यों का निर्धारण ग्राम सभा की खुली बैठक में किया जाता है। समिति द्वारा कार्य एवं कय की आन्तरिक लेखा परीक्षा की व्यवस्था भी की गयी है।

4- मध्यान्ह भोजन योजना

प्रदेश के राजकीय परिषदीय तथा राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से मध्यान्ह भोजन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजनान्तर्गत प्रत्येक छात्र को सप्ताह में 4 दिन चावल के बने भोज्य पदार्थ तथा दो दिन गेहूँ से बने भोज्य पदार्थ दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। इस योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्राथमिक स्तर पर 100 ग्राम प्रति छात्र प्रति दिवस एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 150 ग्राम प्रति छात्र प्रति दिवस की दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। खाद्यान्न में भोजन पकाने के लिए परिवर्तन लागत की व्यवस्था की गयी है। परिवर्तन लागत में सब्जी, तेल, मसाले एवं अन्य सामग्रियों की व्यवस्था की जाती है। भोजन को तैयार करने एवं अन्य सामग्रियों की व्यवस्था हेतु प्राथमिक स्तर पर 2.69 प्रति छात्र प्रति दिवस तथा उच्च प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर पर 4.30 प्रति छात्र प्रति दिवस परिवर्तन लागत के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन अर्थात् भोजन निर्माण कार्य मुख्यतः ग्राम पंचायतों की देख-रेख में किया जाता है। भोजन बनाने हेतु आवश्यक खाद्यान्न निःशुल्क प्रदान किया जाता है। जो अपने देख-रेख में विद्यालय परिसर में बने किचन शेड में भोजन तैयार कराते हैं। भोजन बनाने हेतु लगने वाली अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करने का दायित्व भी ग्राम प्रधान का ही है। इस हेतु उन्हें परिवर्तन लागत उपलब्ध कराया जाता है।

योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा किचन शेड हेतु ₹ 8500/प्रति विद्यालय तथा किचन उपकरण हेतु ₹ 5000/प्रति विद्यालय चरणबद्ध रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है।

विद्यालयों में पके पकाए भोजन की व्यवस्था की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर योजना के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु मंडलीय सहायक निदेशक (बेसिक शिक्षा) को दायित्व सौंपा गया है तथा विकास खण्ड स्तर पर उप जिलाधिकारी की

अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित की गयी है। जिसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निदेशक को सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए निम्नवत् व्यवस्था की गयी है।

1. मेनू को विद्यालयों की दीवारों पर 6' / 8' साइज में चस्पा कराया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे एवं परोसा जा रहा भोजन मेनू के अनुरूप है कि नहीं, यह सर्वविदित रह सके।
2. भोजन वितरण के माह से पूर्व माह में खाद्यान्न को विद्यालय तक पहुँचाने जाने की व्यवस्था की गयी है।
3. परिवर्तन लागत के मद में प्राप्त धनराशि को ग्राम निधि खाता संख्या-5 (मिड डे मील) में पृथक बैंक खाते में रखे जाने की व्यवस्था था। जिसका संचालन सम्प्रति ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाता था। शासनादेश संख्या शिक्षा अनुभाग -4-1233/7976-10 दिनांक- 12 नवम्बर, 2010 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक विद्यालय स्तर पर मध्यान्ह भोजन योजना हेतु पृथक खोले जाने की व्यवस्था की गयी है। "यह खाता मध्यान्ह भोजन निधि" कहलायेगा। इस खाते में मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत प्राप्त परिवर्तन लागत, रसोईये का मानदेय, किचन उपकरण, किचन शेड निर्माण एम.एम.आई. आदि की धनराशि रखी जायेगी तथा ग्राम निधि में अवशेष परिवर्तन लागत की धनराशि एवं ग्राम शिक्षा समितियों के खाते में उपलब्ध मध्यान्ह भोजन योजना संबंधी धनराशि मध्यान्ह भोजन निधि में तत्काल स्थानान्तरित कर दी जायेगी। मध्यान्ह भोजन योजना के अतिरिक्त अन्य किसी योजना की धनराशि इस खाते में नहीं रखी जायेगी। इस खाते का संचालन संबंधित गाम पंचायत के प्रधान तथा विद्यालय के प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। यह सभी खाते समीपस्थ सी.वी.एस. ब्रान्च में रखे जायेगे। इस खाते में मध्यान्ह भोजन योजना संचालन हेतु रखी जाने वाली विभिन्न मदों की धनराशि का लेखा जोखा पृथक रखा जाएगा।

4. योजना के अनुश्रवण हेतु प्रभावी व्यवस्था के नियंत्रण के लिए परिवर्तन लागत का दैनिक आय-व्यय लेखा विवरण, दैनिक खाद्यान्न स्टॉक रजिस्टर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर मासिक सूचना प्रपत्र पर सूचना संकलन की व्यवस्था की गयी है।

मध्याह्न भोजन योजना की लेखा परीक्षा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा के साथ संपन्न की जाएगी।

ख- संगठनात्मक ढाँचा— विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव/ग्राम्य विकास अधिकारी उत्तरदायी थे। मनरेगा के क्रियान्वयन के लिए विकास खण्ड स्तर पर एवं खण्ड विकास अधिकारी, जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी व जिलाधिकारी, राज्य स्तर पर निदेशक, ग्राम्य विकास व शासन स्तर पर प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास, बारहवे वित्त आयोग के क्रियान्वयन के लिए ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी, पंचायती राज जिला स्तर पर जिला पंचायती राज अधिकारी व शासन स्तर पर प्रमुख सचिव पंचायती राज, मध्याह्न भोजन योजना के लिए ब्लाक स्तर पर सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/उप विद्यालय निरीक्षक, जिला स्तर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी, राज्य स्तर पर निदेशक, बेसिक शिक्षा व शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा को उत्तरदायी बनाया गया है। इसी प्रकार अन्य योजनाओं के लिए संबंधित विभागों के विभिन्न स्तरों के अधिकारी उत्तरदायी हैं।

अध्याय—3

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा प्रगति

3.1—जिला पंचायतें

वर्ष 2011-12 में राज्य की कुल 71 जिला पंचायतों में से 34 जिला पंचायतों के लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। लेखा परीक्षित जिला पंचायतों की जनपदवार सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

परिशिष्ट—1

जिला पंचायतों की वर्ष 2010-11 की जनपदवार लेखा परीक्षा प्रगति का विवरण निम्नवत्:—

क्र० सं०	सम्भाग का नाम	जनपद का नाम	कुल जिला पंचायत	वर्ष में लेखा परीक्षित	अवशेष				
1	2	3	4	5	6				
1.	गोरखपुर	गोरखपुर	1	—	1				
2.		महाराजगंज	1	—	1				
3.		देवरिया	1	—	1				
4.		कुशीनगर	1	1	0				
	योग		4	1	3				
5.	बस्ती	बस्ती	1	—	1				
6.		सिद्धार्थनगर	1	—	1				
7.		संत कबीर नगर	1	—	1				
	योग		3	—	3				
8.	आजमगढ़	आजमगढ़	1	1					
9.		मऊ	1	1					
10.		बलिया	1	1	—				
	योग		3	3	0				
11.	वाराणसी	वाराणसी	1	1	—				

12.		चंदौली	1	1	—				
13.		गाजीपुर	1	1	—				
14.		जौनपुर	1	0	1				
	योग		4	4	1				
15.	मिर्जापुर	मिर्जापुर	1	—	1				
16.		सोनभद्र	1	—	1				
17.		भदोही (रविदास नगर)	1	1	—				
	योग		3	1	2				
18.	फैजाबाद	फैजाबाद	1	—	1				
19.		सुल्तानपुर	1	1	—				
20.		बाराबंकी	1	1	—				
21.		अम्बेडकर नगर	1	—	1				
22.		अमेठी	1	1					
	योग		5	3	2				
23.	गोण्डा	गोण्डा	1	—	1				
24.		बहराइच	1	1	—				
25.		बलरामपुर	1	—	1				
26.		श्रावस्ती	1	1	—				
	योग		4	2	2				
27.	आगरा	आगरा	1	—	1				
28.		अलीगढ़	1	1	—				
29.		मथुरा	1	1	..				
30.		एटा	1	—	1				
31.		मैनपुरी	1	1	—				
32.		फिरोजाबाद	1	—	1				
33.		हाथरस (महामाया नगर)	1	1	—				
	योग		7	4	3				
34.	सहारनपुर	सहारनपुर	1	1	—				
35.		मु0 नगर	1	1	—				
	योग		2	2	—				
36.	मेरठ	मेरठ	1	1	—				

37.		बुलन्दशहर	1	1	—				
38.		गाजियाबाद	1	1	—				
39.		बागपत	1	—	1				
40.		गौतमबुद्ध नगर	1	1	—				
	योग		5	4	1				
41.	बरेली	बरेली	1	—	1				
42.		शाहजहांपुर	1	—	1				
43.		पीलीभीत	1	—	1				
44.		बदायूं	1	—	1				
	योग		4	—	4				
45.	कानपुर	कानपुर नगर	1	1	..				
46.		कानपुर देहात	1	1					
47.		फर्रुखाबाद	2	—	2				
48.		इटवा	2	—	2				
49.		कन्नौज	1	—	1				
50.		औरंगाबाद	1	—	1				
			8	2	6				
51.		इलाहाबाद	1		1				
52.		प्रतापगढ़	1	1	—				
53.	इलाहाबाद	फतेहपुर	1	1	—				
54.		कौशांबी	1	1	—				
	योग		4	3	1				
55.	लखनऊ	लखनऊ	1	1	—				
56.		हरदोई	1	1	—				
57.		लखीमपुर	1	—	1				
58.		उन्नाव	1	1					
59.		रायबरेली	1		1				
60.		सीतापुर	1		1				
	योग		6	3	3				
61.	मुरादाबाद	मुरादाबाद	1	—	1				
62.		रामपुर	1	—	1				
63.		बिजनौर	1	—	1				

64.		जे०पी०नगर	1	—	1				
	योग		4	—	4				
65.	झांसी	झांसी	1	1					
66.		उरई जालौन	3	1	1				
67.		ललितपुर	1	1	—				
	योग		5	3	1				
68.	चित्रकूट	चित्रकूट	1	—	1				
69.		हमीरपुर	1	—	1				
70.		महोबा	1	—	1				
71.		बांदा	1	—	1				
	योग		4	—	4				

3.2—क्षेत्र पंचायतें

वर्ष 2011—12 में राज्य की कुल 809 क्षेत्र पंचायतों में से 111 क्षेत्र पंचायतों के लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। लेखा परीक्षित क्षेत्र पंचायतों की जनपदवार सूची परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। क्षेत्र पंचायतों के प्रशासनिक अधिकारी (मुख्य विकास अधिकारी) एवं कार्यकारी अधिकारी (खण्ड विकास अधिकारी) द्वारा लेखा परीक्षा में सहयोग न करने एवं लेखा परीक्षक के समक्ष लेखा परीक्षा हेतु समस्त निर्धारित अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण लेखा परीक्षा में अपेक्षित प्रगति न हो सकी।

परिशिष्ट—2

क्षेत्र पंचायतों की वर्ष 2010—11 की जनपदवार लेखा परीक्षा प्रगति का विवरण निम्नवत्:—

क्र० सं०.	सम्भाग का नाम	जनपद का नाम	कुल क्षेत्र पंचायत	वर्ष में लेखा परीक्षित	अवशेष				
1	2	3	4	5	6				
1.	गोरखपुर	गोरखपुर	19	—	19				
2.		महराजगंज	12		11				
3.		देवरिया	16	—	16				

4.		कुशीनगर	14		13				
	योग		61	0	61				
5.	बस्ती	बस्ती	14	—	14				
6.		सिद्धार्थनगर	14	—	14				
7.		संत कबीर नगर	09	—	09				
	योग		37	—	37				
8.	आजमगढ़	आजमगढ़	22	—	22				
9.		मऊ	09	—	09				
10.		बलिया	17	1	16				
	योग		48	1	47				
11.	वाराणसी	वाराणसी	8	1	7				
12.		चंदौली	9	5	4				
13.		गाजीपुर	16	2	14				
14.		जौनपुर	21	11	10				
	योग		54	19	35				
15.	मिर्जापुर	मिर्जापुर	12	—	12				
16.		सोनभद्र	8	1	7				
17.		भदोही (रविदास नगर)	6	6	—				
	योग		26	7	19				
18.	फैजाबाद	फैजाबाद	11	5	6				
19.		सुल्तानपुर	23	16	7				
20.		बाराबंकी	15	—	15				
21.		अम्बेडकर नगर	9	6	3				
	योग		58	27	31				
22.	गोण्डा	गोण्डा	16	—	16				
23.		बलरामपुर	9	—	9				
24.		बहराइच	14	1	13				
25.		श्रावस्ती	5	—	5				
	योग		44	1	43				
26.	आगरा	आगरा	15	—	15				
27.		अलीगढ़	12	—	12				

28.		मथुरा	10	1	9				
29.		एटा	15	—	15				
30.		मेनपुरी	9	—	9				
31.		फिरोजाबाद	9	—	9				
32.		हाथरस (महामाया नगर)	7	—	7				
	योग		77	1	76				
33.	सहारनपुर	सहारनपुर	11	—	11				
34.		मु0 नगर	14	—	14				
	योग		25	—	25				
35.	मेरठ	मेरठ	12	6	6				
36.		बुलन्दशहर	16	—	16				
37.		गाजियाबाद	8	—	8				
38.		बागपत	6	2	4				
39.		गौतमबुद्ध नगर	4	1	3				
	योग		48	9	37				
40.	बरेली	बरेली	15	—	15				
41.		शहजहापुर	15	—	15				
42.		पीलीभीत	7	—	7				
43.		बदायूं	18	—	18				
	योग		55	—	55				
44.	कानपुर	कानपुर नगर	10	4	6				
45.		कानपुर देहात	10	10	0				
46.		फर्रुखाबाद	14	—	14				
47.		इटवा	15	—	15				
48.		कन्नौज	7	—	7				
49.		औरैया	1	—	1				
50.	योग		56	14	42				
51.	इलाहाबाद	इलाहाबाद	20	—	20				
52.		प्रतापगढ़	17	—	17				
		फतेहपुर	13	10	3				

53.		कौशाबी	8	5	3				
54.	योग		58	15	43				
55.	लखनऊ	लखनऊ	8	—	8				
56.		हरदोई	19	3	16				
57.		लखीमपुर	15	—	15				
58.		उन्नाव	16	3	13				
		रायबरेली	21		21				
59.		सीतापुर	19		19				
60.	योग		98	6	92				
61.	मुरादाबाद	मुरादाबाद	13	3	10				
62.		रामपुर	6	—	6				
		बिजनौर	11	—	11				
63.		जे०पी०नगर	6	—	6				
64.	योग		36	3	33				
65.	झांसी	झांसी	8	—	8				
		उरई जालौन	10		10				
66.		ललितपुर	6	6	0				
67.	योग		24	6	18				
68.	चित्रकूट	चित्रकूट	5	—	5				
69.		महोबा	4	—	4				
70.		हमीरपुर	7	2	5				
71.		बांदा	8	—	8				
	योग		24	2	22				

3.3—ग्राम पंचायतें

वर्ष 2011-12 में राज्य की कुल 51944 ग्राम पंचायतों में से 24910 ग्राम पंचायतों के लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। लेखा परीक्षित ग्राम पंचायतों की जनपदवार सूची परिशिष्ट 3 पर संलग्न है। ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक अधिकारी (जिला पंचायती राज अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी) एवं कार्यकारी अधिकारी (ग्राम्य विकास अधिकारी) द्वारा लेखा परीक्षा में सहयोग न करने एवं लेखा परीक्षक के समक्ष लेखा परीक्षा हेतु समस्त निर्धारित अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण लेखा परीक्षा में अपेक्षित प्रगति न हो सकी।

परिशिष्ट-3

ग्राम पंचायतों की वर्ष 2010-11 की जनपदवार लेखा परीक्षा प्रगति का विवरण निम्नवत्:-

क्र० सं०	सम्भाग का नाम	जनपद का नाम	कुल ग्राम पंचायत	वर्ष में लेखा परीक्षित	अवशेष				
1	2	3	4	5	6				
1.	गोरखपुर	गोरखपुर	1233	735	498				
2.		महाराजगंज	777	530	247				
3.		देवरिया	1017	588	429				
4.		कुशीनगर	956	343	613				
	योग		3983	2196	1787				
5.	बस्ती	बस्ती	1047	158	889				
6.		सिद्धार्थनगर	1015	26	989				
7.		संत कबीर नगर	648	193	455				
	योग		2710	377	2333				
8.	आजमगढ़	आजमगढ़	1617	1057	560				
9.		मऊ	598	249	349				
10.		बलिया	835	238	597				
	योग		3050	1544	1506				
11.	वाराणसी	वाराणसी	698	570	128				
12.		चंदौली	622	572	50				
13.		गाजीपुर	1048	414	634				
14.		जौनपुर	1514	885	629				
	योग		3882	2441	1441				
15.	मिर्जापुर	मिर्जापुर	758	616	142				
16.		सोनभद्र	501	174	327				
17.		भदोही (रविदास नगर)	489	333	156				
	योग		1748	1123	625				
18.	फैजाबाद	फैजाबाद	729	558	171				

19.		सुल्तानपुर	1262	848	414				
20.		बाराबंकी	998	385	613				
21.		अम्बेडकर नगर	805	531	274				
	योग		3794	2322	1472				
22.	गोण्डा	बहराइच	903	666	237				
23.		गोण्डा	1054	17	1037				
24.		बलरामपुर	667	—	667				
25.		श्रावस्ती	334	267	67				
	योग		2958	950	2008				
26.	आगरा	आगरा	637	368	269				
27.		अलीगढ़	853	217	636				
28.		मथुरा	479	193	286				
29.		एटा	905	50	855				
30.		मैनपुरी	503	165	338				
31.		फिरोजाबाद	524	66	458				
32.		हाथरस(महामाया नगर)	430	46	384				
	योग		4331	1105	3226				
33.	सहारनपुर	सहारनपुर	782	503	279				
34.		मु0 नगर	687	370	317				
	योग		1469	883	586				
35.	मेरठ	मेरठ	460	454	6				
36.		बुलन्दशहर	889	599	290				
37.		गाजियाबाद	403	387	16				
38.		बागपत	237	215	22				
39.		गौतमबुद्ध नगर	231	185	46				
	योग		2220	1847	373				
40.	बरेली	बरेली	1008	652	356				
41.		शहजहांपुर	922	352	570				
42.		पीलीभीत	599	117	482				
43.		वदायूं	1069	143	926				
	योग		3598	1264	2334				
44.	कानपुर	कानपुर नगर	557	56	501				

45.		कानपुर देहात	613	295	318				
46.		फरुखाबाद	512	17	495				
47.		इटवा	848	51	788				
48.		कन्नौज	441		441				
	योग		2971	419	2552				
49.	इलाहाबाद	इलाहाबाद	1425	1181	244				
50.		प्रतापगढ़	1105	711	394				
51.		फतेहपुर	788	325	463				
52.		कौशांबी	440	363	77				
	योग		3758	2580	1178				
53.	लखनऊ	लखनऊ	515	149	366				
54.		हरदोई	1101	691	410				
55.		लखीमपुर	995	563	432				
56.		उन्नाव	954	640	314				
57.		रायबरेली	965	788	177				
58.		सीतापुर	1329	430	899				
	योग		5859	3261	2598				
59.	मुरादाबाद	मुरादाबाद	970	458	512				
60.		रामपुर	580	236	344				
61.		बिजनौर	960	366	594				
62.		जे०पी०नगर	461	257	204				
	योग		2971	1344	1627				
63.	झांसी	झांसी	437	153	284				
64.		उरई जालौन	1341	246	1095				
65.		ललितपुर	340	333	7				
	योग		1976	732	1244				
66.	चित्रकूट	महोबा	247	4	243				
67.		हमीरपुर	314	131	183				
68.		चित्रकूट	330	217	113				
69.		बांदा	437	170	267				
	योग		1328	522	806				

अध्याय-4

लेखा परीक्षा में उद्घाटित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा आपत्तियों का विवरण

लेखा परीक्षा के उद्देश्य— निष्पादित लेखा परीक्षा का उद्देश्य यह देखना था कि क्या—

1. संस्था द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया नियमावली के किसी नियम अथवा संविधान के किसी अनुच्छेद के विपरीत नहीं है।
2. किये गये व्यय में नियमों/मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन किया गया है तथा वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का उलंघन नहीं हुआ है।
3. न्यूनतम मूल्य में उच्च गुणवत्ता की सामग्री का कय किया गया है तथा न्यूनतम लागत में अधिकतम हित प्राप्त किया गया है।
4. संस्था द्वारा प्रभावी ढंग योजना का अनुश्रवण करते हुए भौतिक लक्ष्य को समय से पूरा कर लिया गया है।
5. बैंक खातों का मिलान कर लिया गया है।
6. सृजित परिसम्पत्तियों का लेखांकन किया गया है।
7. निर्धारित समस्त अभिलेखों का लेखांकन, रख रखाव एवं प्रस्तुतिकरण समुचित रूप से किया गया है।

लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यविधि

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय वर्ष 2010-11 तक के अवधि की लेखा परीक्षा अप्रैल 2011 से मार्च 2012 के मध्य की गयी। जिसमें राज्य के सभी जनपदों के 25055 पंचायती राज संस्थाओं के उपलब्ध अभिलेखों की जाँच की गयी। योजनाओं के कियान्वयन के लिए उत्तरदायी प्रशासनिक विभागों द्वारा निर्धारित किये गए उद्देश्यों, लेखा नियमों, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराये गये

अभिलेखों के आधार पर जनपद के जिला लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा जनपद में तैनात लेखा परीक्षा कर्मियों के माध्यम से लेखा परीक्षा कार्य संपादित कराया गया।

पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षणोपरान्त लेखा परीक्षक की टिप्पणियों लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से संबंधित पक्षों को निर्गत की गयी।

4.1—जिला पंचायतों के अनिस्तारित आपत्तियों का विवरण

1— बकाया अग्रिम की वसूली/समायोजन न किया जाना— संस्था द्वारा कर्मचारियों/ठेकेदारों, पार्टियों आदि का अग्रिम स्वीकृत किया जाता है। जिसका समायोजन/वसूली वर्षान्त तक न होने के कारण अत्यधिक धनराशि अनावश्यक रूप से निष्प्रयोज्य पड़ी रहती है। जिससे लम्बे अन्तराल के उपरान्त अग्रिम धनराशि की वसूली न होने पर संस्था को आर्थिक क्षति होती है। विभिन्न जिला पंचायतों पर समायोजन/वसूली हेतु बकाया अग्रिम का विवरण निम्नवत है।

क्रमांक	जिला पंचायत	असमायोजित/वसूली हेतु धनराशि (रु० में)	आपत्ति संदर्भ
1	मऊ	2000—00	आ०सं० 22
2	हरदोई	134190	आ०सं० 3,9
3	इलाहाबाद	10650—03	आ०सं० 20
4	अलीगढ़	3914.00	आ०सं० 9
5	सहारनपुर	92341.00	आ०सं० 6
6			

2— निजी स्रोत के मदों में अवधारित करों की वसूली न कर संस्था को क्षति पहुँचाना—विभव एवं सम्पतिकर , काजी हाउस, तहबाजारी, कृषि एवं तरूपालन, नौकाघाट एवं पड़ाव अड़डा के मदों में जिला पंचायतों द्वारा कर किराया आदि का अवधारण किया जाता है तथा इसकी वसूली का दायित्व भी जिला पंचायतों का है, परन्तु सामयिक वसूली न होने के कारण विभिन्न मदों में लाखों रुपये की धनराशि बकाये के रूप में पड़ी रहती है। जिससे संस्था का निजी स्रोत से प्राप्त होने वाली वास्तविक आय में कमी होती है। अवधारण कर किराया की वसूली में प्रभावी कार्यवाही का अभाव पाया गया। जिससे जिला पंचायतों को आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है। दिनांक 31.3.11 को विभिन्न जिला पंचायतों में निम्न विवरणानुसार रू० 2195.00 लाख की धनराशि वसूली हेतु बकाया थी। जिसकी वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(धनराशि लाख रुपयों में)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्रमांक	जिला पंचायत का नाम	विभव व सम्पति कर	काजी हाउस	तह बाजारी	कृषि एवं तरूपालन	नौकाघाट	पड़ाव अड़डा	योग
1	मु०नगर	659.80				7.70		663.50
2	श्रावस्ती			1.03		3.30	0.99	5.32
3	बहराइच			12.32		2.83		15.15
4	सुलतानपुर		0.39	17.14	0.64	7.38	3.48	29.03
5	बाराबंकी	197.63		0.46	0.50			198.59
6	उरई			7.03		9.62		16.65
7	झासी	15.27		4.06	2.32			21.65
8	आजमगढ़	19.74		19.19			4.92	43.85
9	मऊ	12.50		2.61		1.76	13.30	30.17

10	मथुरा	9.70			0.69	1.82	2.94	15.15
11	अलीगढ़	134.77	0.30		4.02	1.24		140.33
12	लखनऊ		0.21			0.85		1.06
13	उन्नाव	6.40	0.31	0.51		2.35		9.57
14	कुशीनगर	17.53		0.30		1.83		19.66
15	हरदोई	512.33	0.08			2.90		515.31
16	भदोही			4.70		2.52		7.22
17	चन्दौली					9.21		9.21
18	फतेहपुर		1.11	20.47		12.88		34.46
19	कानपुर नगर			0.76	1.17			1.93
20	गाजीपुर	240.21		5.18		2.92		248.31
21	इलाहाबाद	11.10				0.20		11.30
22	सहारनपुर	70.68				2.14		72.82
23	मैनपुरी			16.35				16.35
	योग	189.24	2.13	76.97	8.84	889.21	25.63	2195.00

3— निजी श्रोत के मदों में अवधारित करों की वसूली न कर संस्था को क्षति पहुंचाना—मेला प्रदर्शनी, लाइसेंस शुल्क, पशुशव निस्तारण ठेका , दुकान / डाक बंगला / भवन किराया , सी0पी0 टैक्स हाटबाजार एवं अस्थि चर्म ठेका के मदों में जिला पंचायतों द्वारा कर किराया आदि

का अवधारण किया जाता है तथा इसकी वसूली का दायित्व भी जिला पंचायतों का है, परन्तु सामयिक वसूली न होने के कारण विभिन्न मदों में लाखों रुपये की धनराशि बकाये के रूप में पड़ी रहती है। जिससे संस्था का निजी स्रोत से प्राप्त होने वाली वास्तविक आय में कमी होती है। अवधारण कर किराया की वसूली में प्रभावी कार्यवाही का अभाव पाया गया जिससे जिला पंचायतों को आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है। दिनांक 31.3.11 को विभिन्न जिला पंचायतों में निम्न विवरणानुसार रु० 865.81 लाख की धनराशि वसूली हेतु बकाया थी। जिसकी वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

धनराशि लाख रुपयों में

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्रमांक	जिला पंचायत का नाम	मेला प्रदर्शनी	पशु शव निस्तारण ठेका	दुकान / बंगला / भवन किराया	सी०पी टैक्स / अस्थि चर्म ठेका	हाटबाजार / बालू अड़्डा	लाइसेंस शुल्क	योग
1	मु०नगर		19.61	27.05		59.61		106.27
2	श्रावस्ती				1.35			1.35
3	बहराइच			22.99				22.99
4	सुलतानपुर	41.74	13.14	32.53			0.73	88.14
5	बाराबंकी			4.84			7.75	12.59
6	उरई		7.52	36.13				43.65
7	झासी		4.66	9.86		4.52		19.04
8	आजमगढ़			41.88				41.88
9	मऊ			16.15		2.12		18.27
10	मथुरा		8.15	18.24		0.79		27.18
11	अलीगढ़		29.38	61.23			0.16	19.77

12	सहारनपुर		25.81	0.48				26.29
13	लखनऊ				52.59			52.59
14	उन्नाव		11.34	10-06			8.28	29.68
15	कुशीनगर			7.62			20.80	28.42
16	हरदोई			85.02			0.02	85.02
17	भदोही		1.77	3.23	5.12		0.74	10.88
18	चन्दौली					15.19		15.19
19	फतेहपुर		6.19	4.59		36.92		47.70
20	बाँदा			50.66	3.27			53.93
21	कानपुर नगर			4.51				4.51
22	गाजीपुर			7.04				7.04
23	मैनपुरी			9.95	10.22			20.47
24	इलाहाबाद	0.54	0.63	20.84			8.92	30.93
25								

	योग	41.74	119.61	482.93	16.46	115.08	29.99	805.81
--	-----	-------	--------	--------	-------	--------	-------	--------

3-वर्ष 2010-11 में जिला पंचायतों द्वारा विभिन्न बैंक खातों में जमा दर्शित राशि एवं बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेंट के अनुसार अंतर पाया गया परन्तु आपत्ति उठाये जाने के उपरान्त भी उसका निराकरण संस्था द्वारा नहीं किये जाने के फलस्वरूप बैंकों में जमा अंतर राशि से संस्था को क्षति उठानी पड़ रही है। जिसका दायित्व निर्धारण करते हुए वसूली करायी जानी अपेक्षित है। निम्न विवरणानुसार रु. 478.77 लाख की धनराशि विभिन्न जिला पंचायतों में अंतर के रूप में विद्यमान है।

क्र०सं०	नाम जिला पंचायत	अंतर धनराशि (लाख रुपयों में)	आपत्ति संख्या
1	बाँदा	136.86	(भाग-2 अ) 9 एवं 7
2	कानपुर देहात	22.40	14
3	क्षेत्रपति शाहूजी महाराज नगर	21.82	12
4	मु०नगर	0.10	5
5	गाजीपुर	99.29	26
6	मथुरा	2.20	34
7	चन्दौली	195.57	भाग अ प्रस्तर एवं आपत्ति सं० 10
	गाजियाबाद	0.53	आपत्ति सं० 16
	योग	478.77	

4- वर्ष 2009-10 में जिला पंचायत द्वारा सक्षम अधिकारी मण्डलायुक्त से स्वीकृत प्राप्त हुए बिना ही मृत स्कंध/अन्य सामान क्रय किये गये बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के किया गया व्यय अनियमित रहा। क्रय स्कंध की प्रविष्टि मृत स्कंध पंजी में नहीं किए जाने से क्रय की

पुष्टि नहीं होती है। जिस कारण कय की धनराशि वसूली योग्य है। निम्न विवरणानुसार रु. 7.94 लाख की धनराशि की कय विभिन्न जिला पंचायतों में अनियमित रूप से की गयी।

क्र०सं०	नाम जिला पंचायत	धनराशि लाख रु० में	आपत्ति संख्या
1	गाजीपुर	1.04	6
2	मेरठ	6.90	6,20
	योग	7.94	

5— वर्ष 2010-11 में जिला पंचायतों द्वारा स्वीकृत किये गये विभिन्न ठेकों के सापेक्ष अनुबन्ध शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाली स्टैम्प ड्यूटी की धनराशि को ठेकेदारों द्वारा राजकीय खजाने में जमा नहीं कराया गया। जिस कारण राजस्व की क्षति ठेकेदारों द्वारा पहुंचायी गयी जिसका दायित्व निर्धारण कर वसूली करायी जानी अपेक्षित है। निम्न विवरणानुसार रु 11.71 लाख की धनराशि विभिन्न जिला पंचायतों पर ठेकेदारों से वसूली करायी जानी अपेक्षित

क्र०सं०	जिला पंचायत	धनराशि लाख रु० में	आपत्ति संख्या
1	आजमगढ़	0.70	2
2	फतेहपुर	0.07	12
3	बौदा	6.94	8
4	इलाहाबाद	0.83	16,17,19
5	श्रावस्ती	0.56	6 (1)
6	बलिया	2.35	8,9
7	कानपुर नगर	0.26	1,2

	योग	11.71	
--	-----	-------	--

7- वर्ष 2010-11 जिला पंचायतों द्वारा विभिन्न प्रमाणकों द्वारा क्रय किये गये डीजल, स्टेशनरी एवं अन्य उपयोग हेतु क्रय सामग्री का सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन किये बिना तथा जनरेटर आदि के लिए क्रय डीजल का उपयोग बिना ब्रेक डाउन रजिस्टर, लागबुक के किया गया। बिना समुचित लेखांकन के दर्शित व्यय वसूली योग्य है। विवरण निम्नवत् है-

क्र०सं०	नाम जिला पंचायत	धनराशि लाख रु० में	आपत्ति संख्या
1	मुजफ्फरनगर	0.30	21
	योग		

8- वर्ष 2010-11 में जिला पंचायतों द्वारा स्वीकृत बजट से अधिक व्यय किया गया जबकि किसी भी अधिकारी को वित्तीय अधिकार बजट सीमा के अन्तर्गत ही प्राप्त होता है। बजट समाप्ति के पश्चात लेखांकार/लेखा अधिकारी के समस्त अधिकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं। बजट से अधिक किये गये भुगतानों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृत सक्षम नियोजन अधिकारी से प्राप्त किये बिना ही भुगतान किया गया जो अनियमित रहा। विवरण निम्नवत् है:-

क्र०सं०	नाम जिला पंचायत	धनराशि लाख रु० में	आपत्ति संख्या
1	बहराइच	1.51	प्रमुख आपत्ति क-1
	योग	1.51	

09— राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं यथा अन्त्योदय, स्थानीय विकास, स्पेशल कम्पोनेन्ट आदि के अन्तर्गत लाभार्थियों को ऋण व अनुदान की राशि उपलब्ध करायी जाती है। इन योजनाओं के अन्तर्गत वितरित ऋण एवं उस पर आगणित ब्याज की धनराशि की वसूली कर राज्य सरकार को वापस किये जाने की जिम्मेदारी जिला पंचायत की है। जिला पंचायतों द्वारा वित्त पोषित अन्त्योदय, स्थानीय विकास तथा स्पेशल कम्पोनेन्ट योजनान्तर्गत वितरित ऋण एवं ब्याज की वसूली नहीं की जा रही है। जिस कारण राज्य सरकार की ही धनराशि अवरुद्ध है। 31.03.2011 की निम्नवत् जिला पंचायतों पर रु0 94.94 लाख की धनराशि वसूली हेतु लम्बित है। जिसकी वसूली सम्बन्धित पक्षकारों से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न है:—

क्र०सं०	नाम जिला पंचायत	धनराशि लाख रु०में	आपत्ति संख्या
1	हरदोई	94.94	3,5

10— वर्ष 2010-11 में जिला पंचायतों की लेखा परीक्षा में यह तथ्य पाया गया कि आयकर व व्यापार कर की कटौती न कर या कम कटौती करके राजकीय कोषागार में जमा न कराकर राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी। जिसके लिए सम्बन्धित अपर मुख्य अधिकारी एवं वित्तीय परामर्शदाता उत्तरदायी हैं। वष 2010-11 में निम्न विवरणानुसार रुपये 2.70 लाख की आपत्ति पायी गयी। जिसके प्रति कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र०सं०	नाम जिला पंचायत	धनराशि लाख रु०में	आपत्ति संख्या
1	बलिया	2.29	7
2	लखनऊ	0.41	26
	योग	2.70	

11— जिला पंचायत सहारनपुर के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के आपत्ति संख्या...15 के अनुसार मे अन्त्योदय स्थानीय विकास तथा स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत रु0 1286533-00 ऋण तथा रु0 317981-00 ब्याज, कुल रु0 1604514-00 शेष था जिसकी वसूली नहीं की गयी तथा न ही राज्य सरकार को वापस किया गया समस्त धनराशि वसूल कर राज्य सरकार को वापस किया जाना अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-15)

12— जिला पंचायत मु०नगर के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के आपत्ति संख्या-02 के अनुसार संस्था मे कार्यरत श्री ओम वीर सिंह कमप्यूटर (कार्यरत कर अमीन) द्वारा प्रपत्र-5 के माध्यम से रु0 87700-00 की वसूली कर जिला पंचायत मे जमा नहीं कराया गया है जिस पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

13- जिला पंचायत उरई के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 के आपत्ति संख्या-17 के अनुसार शासनादेश संख्या-129/33-3-2009-100(104)/2005 दिनांक 19.12.2009 के अनुसार द्वितीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार प्राप्त धनराशि का उपयोग पूर्व में सृजित पंचायती राज सम्पत्तियां समुदायिक सम्पत्ति / संसाधन के समुचित रख-रखाव के लिये उपयोग किया जाना था परन्तु रु0 5963978-00 का व्यय सी.सी.रोड बनाने पर किया जो धनराशि गया का दुर्विनियोग व शासनादेश के विरुद्ध रहा इस पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

14- जिला पंचायत उरई के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 के आपत्ति संख्या-19 के अनुसार पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत प्राप्त राशि में से दिनांक 13.12.10 को रु0 25-00 लाख उ.प्र. श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ को भुगतान किया गया तथा पूर्व में भुगतानिक धनराशि को सम्मिलित कुल रु0 1001.70 लाख का भुगतान किया जा चुका है। परन्तु उक्त धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य स्थिति अज्ञात रही। तथा समयान्तर्गत व्यय न होने के कारण राजकीय अनुदान का दुर्विनियोग है। जिसके लिये उक्त संस्था के दोषी अधिकारी / कर्मचारियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

15- जिला पंचायत झांसी के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 के आपत्ति संख्या-15 के अनुसार अन्त्योदय योजना, स्थानीय एवं स्पेशल कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत वितरित धनराशियों में से क्रमशः रु0 27.23 लाख, रु0 6.17 लाख, रु0 35.33 लाख कुल रु0 57.73 लाख की वसूली कर शासन को वापस किया था जिसमें से मात्र रु0 18.39 लाख वसूली कर वापस किया गया है शेष धनराशि रु0 39.34 लाख ब्याज सहित वसूल कर शासन को वापस किया जाना अपेक्षित है।

16- जिला पंचायत आजमगढ़ के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 के आपत्ति संख्या-16 के अनुसार दिनांक 17.6.10 को श्री रविशंकर सिंह रु0 15000-00 को अधिक जमानत वापस कर संस्था को क्षति पहुँचाई गई जिस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

17- जिला पंचायत उन्नाव के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 10-11 के आपत्ति 14 के अनुसार उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-2967/11/32-2002-15 दिनांक 7.10.2002 के अनुसार जिला पंचायत द्वारा मृत पशु निस्तारण से प्राप्त आय का 50 प्रतिशत भाग जनपद की गाँव सभाओं को प्रदान किया जायेगा आलोच्य वर्ष में इस में प्राप्त आय रु0 1425174-00 का 50 प्रतिशत रु0 712287-00 ग्राम पंचायतों को भुगतान नहीं किया गया जो शासकीय आदेशों की अवहेलना है। शासनादेश के अनुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

18- जिला पंचायत गाजियाबाद के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 10-11 के आपत्ति संख्या-2 के अनुसार विकास हापुड, सिम्भौली, भोजपुर, धौलाना लोनी, रजापुर मुराद नगर एवं गढ़ की कर निर्धारण सूची / रजिस्टर के अनुसार पुराना व आलोच्य वर्ष का कुल रु0 20363026-00 का टैक्स पावना बकाया है। जिससे संस्था को आर्थिक छति उठानी पड़ रही है वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

19— जिला पंचायत कुशीनगर के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 10-11 के आपत्ति संख्या-10 के अनुसार निर्धारित तय सीमा रु0 5000-00 के अधिक के सामानो को बिना मण्डल आयुक्त की पूर्व स्वीकृति के रु0 203109-00 का अनियमित क्रय किया गया जिसके लिये अपर मुख्य अपर मुख्य अधिकारी श्री जय प्रकाश उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

20— जिला पंचायत कुशीनगर के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 10-11 के आपत्ति संख्या-11 के अनुसार रु0 16836-00 का मृत स्कन्ध विभिन्न तिथियों में क्रय किया जाना दर्शाया गया है। परन्तु इसकी प्रविष्टि मृत स्कन्ध पंजिका अंकित न कर धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

21— जिला पंचायत बांदा के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 10-11 के भाग 2 अ के प्रस्तर -10 के अनुसार मृत पशु शव निस्तारण से प्राप्त आय रु0 30.52 लाख का 50 प्रतिशत रु0 15.26 लाख शासनादेशों संख्या 858/33-2-96-57/91 पंचायती राज अनुभाग-2 दिनांक 30.3.1996 के अनुसार ग्राम पंचायतों को वापस किया जाना चाहिये जो नहीं किया गया आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

22— जिला पंचायत फतेहपुर के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 10-11 के आपत्ति संख्या-18 के अनुसार जिला पंचायत के बी.आर.जी.एफ. खाता संख्या-017000-0100331147 (पंजाब नेशनल बैंक शाखा फतेहपुर) को विभिन्न फर्जी चेकों से रु0 4201486-00 डेबिट कर भुगतान किया / ट्रान्सफर किया जाना दर्शित है। जबकि उक्त क्रमांक की चेक जिला पंचायत के आंकिक श्री राम भजन द्विवेदी के पास पी.एन.बी. से निर्गत चेक बुक में मौजूद है। जिसे लेखा परीक्षा में देखा गया इस प्रकार सन्दर्भित व्यक्तियों द्वारा रु0 4201486-00 जिला पंचायत के बी0आर0जी0 एफ0 खाते से अपहरण कर लिया गया मौखिक रूप से जिला पंचायत आंकिक श्री राम भजन द्विवेदी द्वारा बताया गया कि उक्त धनराशि ब्याज सहित बैंक ने जिला पंचायत के उक्त बी.आर.जी.एफ. खाते में दिनांक 2.4.2011 में जमा कर दिया है। जिसके सापेक्ष बैंक ने जिला पंचायत से बा ले रखा है। स्पष्टता अभी मृत धनराशि जिला पंचायत की पूर्णतया से वापस नहीं हुई है। इस तरह जिला पंचायत के आधार मुख्य अधिकारी / कर्मचारियों के सर्तकता अभाव के कारण उक्त धनराशि आहूत हुई है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

23— जिला पंचायत फतेहपुर के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 10-11 के आपत्ति संख्या-22 के अनुसार ग्रांट रजिस्टर के अनुसार विगत वर्षों के शेष अनुदान रु0 109582-76 जो विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त हुआ था उक्त की शेष धनराशि को अवधारित अंकित किया गया है। जिसे जिला पंचायत द्वारा शासन / सम्बन्धित विभाग को वापस न कर धनराशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। उत्तरदायित्व का निर्धारण कर कार्यवाही अपेक्षित है।

24— जिला पंचायत फतेहपुर के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 10-11 के आपत्ति संख्या-21 के अनुसार आलोच्य वर्ष के राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के वर्ष 2006-07 के अवशेष धनराशि रु0 2606730-00 से वर्ष दौरान रु0 739168-00 पुरानी कार्ययोजना पर व्यय किया गया है। जो अनियमितता है। क्योंकि उक्त योजना वर्तमान में समाप्ति हो चुका है। नियमानुसार इस धनराशि को शासन को वापस कर दिया जाना था किन्तु वापस न कर शनैः शनैः धन का विगत वर्षों में दुरुपयोग किया जा रहा है। उत्तरदायी के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है।

25— जिला पंचायत फतेहपुर के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 10-11 के आपत्ति संख्या-20 के अनुसार तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त प्रथम किस्त रु0 14763100-00 में से वर्ष दौरान रु0 10109346-00 का उपभोग किया गया तेरहवें वित्त आयोग से संबन्धित शासनादेश संख्या-2566/33-3-2010-142/2010 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार प्राप्त धनराशि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा मूलभूत सुविधाओं जैसे पेयजल सुविधा सीवेज व्यवस्था साविड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेन्ट और स्ट्रीट लाइट मार्ग व अन्य नागरिक सुविधा आदि के रख-रखाव अनुरक्षण पर उपभोग की जायेगी, परन्तु शासनादेश के अनुसार अनुमन्य मदों पर उपभोग न कर निर्माण की नवीन योजनाओं में उपभोग किया गया है जो गम्भीर वित्तीय अनिमितता है उत्तरदायित्व का निर्धारण कर कार्यवाही अपेक्षित है।

26— जिला पंचायत फतेहपुर के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 10-11 के आपत्ति संख्या-19 के अनुसार आलोच्य वर्ष में पीएनवी खाता फतेहपुर में सावधि जमा रु0 26082446-00 को भुगतान मेच्युरिटी के उपरान्त दिनांक 16.3.2011 की बैंकर चेक से प्राप्त हुआ जो पुनः दिनांक 5.7.2011 की स्टेट बैंक आफ इन्डिया के सावधि खाते में जमा किया गया। इस प्रकार चेक प्राप्त तिथि से 83 दिन बाद सावधि खाते में धनराशि जमा करने के कारण 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से रु0 474486-00 के ब्याज की क्षति हुई जिस हेतु तात्कालिक अपर मुख्य अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र गुप्ता जिम्मेदार है। अतः श्री गुप्ता से रु0 474486-00 की वसूली अपेक्षित है।

27— जिला पंचायत कानपुर नगर के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 10-11 के आपत्ति संख्या-4 के अनुसार ग्राम विरहर रोड से अवस्थी जी की दुकान से भद्रकाली मन्दिर तक 250 मीटर सी सी कार्य हेतु रु0 5-00 लाख का ठेका श्री शैलेन्द्र त्रिपाठी को दिया गया जिसमें ग्रामीणों से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर 40 मीटर और सड़क बनवाकर रु0 589724-00 का भुगतान किया गया जबकि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1983 के अध्याय-2 के नियम 15 के अनुसार स्वीकृत अनुमान में कोई सारवान परिवर्तन की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा 10प्रतिशत तक दी जा सकती है। अन्यथा की स्थिति में टेन्डर आमन्त्रित करने की कार्यवाही नियमित होगी इस नियम का उल्लंघन करते हुए रु0 89724-00 से संस्था को क्षति पहुँचाई गयी जिस हेतु श्री राधाकृष्ण जायसवाल अभियन्ता एवं श्री सुरेन्द्र बाबू त्रिपाठी जे0ई0 पर दायित्व निर्धारण कर कार्यवाही अपेक्षित है।

28— जिला पंचायत कानपुर नगर के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 10-11 के आपत्ति संख्या-6 के अनुसार ग्राम मैरमपुर में सूरज के मकान से मुन्ना सिंह के मकान तक सी सी कार्य लम्बाई 150 मीटर हेतु अनुमानित व्यय 3लाख के स्थान पर 4.30 लाख का व्यय कर रु0 137930-00 का अधिक भुगतान किया गया जबकि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1983 के अध्याय-2 के नियम 15 के अनुसार स्वीकृत अनुमान में कोई सारवान परिवर्तन की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा 10प्रतिशत तक दी जा सकती है। अन्यथा की स्थिति में टेन्डर आमन्त्रित करने की कार्यवाही नियमित होगी उक्त रु0 137930-00 की वसूली श्री आर के जायसवाल अभियन्ता और श्री हरि शंकर लिपिक ले की जानी अपेक्षित है।

29— जिला पंचायत कानपुर नगर के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 10-11 के आपत्ति संख्या-30 के अनुसार विकास खण्ड चौवेपुर में ग्राम रिक्खी पुरवा में खंडजा से गाँव के अन्दर तक की सी.सी कार्य लम्बाई 350 मीटर हेतु रु0 9.00 लाख पास किये गये परन्तु 300 मीटर का कार्य कर रु0 9.00 लाख में समायोजित

किया गया अतः 50 मीटर लम्बाई कम कर धनराशि अधिक व्यय की गयी अधिक व्यय धनराशि में वसूली अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियन्ता से की जानी अपेक्षित है।

30— जिला पंचायत कानपुर नगर के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 10-11 के आपत्ति संख्या-54 के अनुसार 22.77 क्यूबिक मीटर प्रमाणक संख्या 35 दिनांक 28.4.10 से मेसर्स महेन्द्र कान्स्ट्रैक्शन को फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क्स का भुगतान रु० 2942-00 प्रति क्यूबिक मीटर से किया गया है। जबकि प्रमाणक संख्या 36 दिनांक 28.4.10 द्वारा मेसर्स स्वदेश कुमार की इसी कार्य हेतु रु० 1900/ प्रति क्यूबिक मीटर की दर से भुगतान किया गया है। इस प्रकार मेसर्स महेन्द्र कान्स्ट्रैक्शन को रु० 23726-00 (22.77 x 2942-1900) का अधिक भुगतान कर क्षति पहुँचाई गयी इसी तरह सी.सी. 1:6:12 में दरो में अन्तर होने के कारण मेसर्स महेन्द्र कान्स्ट्रैक्शन को 78.11 क्यूबिक मीटर हेतु रु० 701-00(2001-1400) की दर से रु० 47124-00 का अधिक भुगतान कर क्षति पहुँचाई गयी कुल रु० 70850-00 की वसूली श्री आर. के. जायसवाल अभियन्ता एवं श्री सुरेन्द्र बाबू त्रिपाठी जे.ई. से कार्यवाही अपेक्षित है।

31— जिला पंचायत कानपुर नगर के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 10-11 के आपत्ति संख्या-55,56 के अनुसार तहबाजारी एवं मत्स्य आखेट मद से माँग वसूली रजिस्टर के अनुसार क्रमशः रु० 261380-00 एवं रु० 1459200-00 की वसूली दर्शायी गयी है। तबकि इन मदों में कैश-बुक के अनुसार क्रमशः रु० 235350-00 एवं रु० 1348660-00 की वसूली दर्शित है इस तरह तहबाजारी एवं मत्स्य आखेट मदों में क्रमशः रु० 26030-00 एवं रु० 110540-00 कुल रु० 136570-00 की वसूली कर जमा कर न कर अपहरण किया गया है जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री डी०डी० गौतम पटल प्रभारी श्री रावमोरन एवं श्री श्याम कुमारशुक्ल उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है।

32— जिला पंचायत गाजीपुर के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 10-11 के आपत्ति संख्या-2 के अनुसार सामान्य रोकडबही (प्रपत्र सं.-1) के अनुसार वर्ष की आय 19779046/- दर्शित है। यूनियन बैंक विस्तार पटल शाखा विकास भवन में सम्यक रूप से जमा कराया जाना दर्शित किया गया। बैंक खाते में दर्शित प्रविष्टियों के अनुसार रु० 12182436/- की राशि जमा की गयी थी शेष राशि ब्याज एवं अन्य मदों को ट्रान्सफर होना था इस प्रकार संस्था द्वारा कैश बुक में दर्शित आय एवं बैंक जमा के मध्य 7596910/- का अन्तर रहा। इस प्रकार रु० 7596910-00 का अपहरण कैशियर श्री झून्नूराम अपर मुख्य अधिकारियों श्री के० एन० कनौजिया एवं श्री उज्जवल अम्बुस द्वारा किया गया जिसका दायित्व निर्धारण करते हुए वसूली एवं वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

33— जिला पंचायत गाजीपुर के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 10-11 के आपत्ति संख्या-3 के अनुसार उ.प्र. क्षेत्र एवं जिला पंचायत 1961 की धारा 119 से 128,142 से 146 में निहित प्राविधानों का स्पष्ट रूप से अतिक्रमण करते हुए राज्य सरकार से विना पूर्वअनुमति प्राप्त किये असंवैधानिक रूप से त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2010 में नामांकन के इच्छुक उम्मीदारों से अदेयता प्रमाण पत्र शुल्क के रूप में रु० 200 प्रति व्यक्ति वसूल किया गया जिसमें निम्न आपत्तियाँ हैं:-

क- संस्था के 248 रसीदों के माध्यम से रु० 4960000/- वसूल किया गया तथा रोकडबही में 4697600/- का लेखा करते हुए रूप 262400-00 का अपहरण किया गया।

ख- जिला निर्वाचन अधिकारी गाजीपुर के पत्रांक 305/40चु0ग0/ उप निर्वाचन 2010 दिनांक 30.9.10 के साथ संलग्न सूची के अनुसार 31853 नाम निर्देशन प्राप्त हुए। तदनुसार रू0 6370600-00 अदेयता प्रमाण पत्र शुल्क के रूप में प्राप्त होना चाहिये था। जो दर्शित शुल्क रू0 4960000-00 से रू0 1410600-00 अधिक होता है। इस प्रकार रू0 1410600-00+262400-00=1673000-00 का अपहरण श्री उज्जवल अम्बुस अपर मुख्य अधिकारी द्वारा कार्मिकों की मदद से कराया गया जिससे वसूली के साथ-साथ वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

34- जिला पंचायत गाजीपुर के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 10-11 के आपत्ति संख्या-4 के अनुसार पेंशन अंशदान खाता यूनियन बैंक आफ इण्डिया विस्तार पटल विकास भवन गाजीपुर के बचत खाते में कर्मचारियों के पेंशन अंशदान रू0 858571-00 के सापेक्ष रू0 508406-00 पेंशन अंशदान की धनराशि बैंक में जमा न कर कैशियर श्री झूनूराम अपर मुख्य अधिकारी श्री के0 एन0 कनौजिया एवं श्री उज्जवल अम्बुस द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किया गया जिसकी वसूली के साथ- साथ वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

35- जिला पंचायत गाजीपुर के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 10-11 के आपत्ति संख्या-05 के अनुसार वर्ष 10-11 में रू0 467633-00 की पूर्व निर्गत रायल्टी एवं आय के चेकों को निरस्त करते हुए पुनः अपर मुख्य अधिकारी के नाम चेक निर्गतकर धनराशि का अपहरण श्री के9एन0 कनौजिया अपर मुख्य अधिकारी द्वारा किया गया जिसकी वसूली एवं वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

36- जिला पंचायत गाजीपुर के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 10-11 के आपत्ति संख्या-6 के अनुसार 10-11 में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना क्रय आदेश के अभाव में बिना बिल कैश में एवं प्राप्त रसीद के रू0 104439/- मृत स्कन्ध क्रय किया गया जिसकी प्रविष्टि मृत स्कन्ध पंजिका में नहीं है अतः रू0 1040439/- की वसूली सम्बन्धित से अपेक्षित है।

37- जिला पंचायत गाजीपुर के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 10-11 के आपत्ति संख्या-07 के अनुसार विभिन्न तिथियों में विभिन्न प्रमाणकों से रू0 146573/ का भुगतान सम्बन्धित पक्षों को न करके अपर मुख्य अधिकारी के नाम किया गया जिसकी प्राप्त रसीद मूलप्रमाणक जाँच में प्रस्तुत नहीं रहा भुगतान संदिग्ध है। अतः जाँचोपरान्त रू0 146573/ की वसूली सम्बन्धित से अपेक्षित है।

38- जिला पंचायत गाजीपुर के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 10-11 के आपत्ति संख्या-8 (ग) (3) के अनुसार प्रपत्र -5 के अनुसार रू0 26407-00 को वास्तविक जमा के सापेक्ष रोकडबही में रू0 21626-00 जमा दर्शाकर कर रू0 4781-00 का अपहरण किया गया। तद्वा आपत्ति संख्या-8 (घ) (3) के अनुसार प्रपत्र -5 के अनुसार रू0 10500-00 के सापेक्ष कैशबुक में रू0 950 दर्शाते हुए रू0 9550-00 कम जमा कर अपहरण किया गया है। इस प्रकार कुल रू0 14331-00 की वसूली सम्बन्धित से अपेक्षित है।

39— जिला पंचायत गाजीपुर के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 10-11 के आपत्ति संख्या-10 के अनुसार संस्था के वाहनो पर रू0 101856-00 डीजल व्यय दर्शाया गया किन्तु जाँच में लागबुक प्रस्तुत न किये जाने के कारण प्रयुक्त वाहनो के उद्देश्य, चालित दूरी एवं यात्राकर्ता अधिकारी की विवरण की पुष्टि नहीं हो सकी। लागबुक के अभाव में रू0 1.01856-00 की वसूली सम्बन्धित से अपेक्षित है।

40— जिला पंचायत गाजीपुर के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 10-11 के आपत्ति संख्या-11 के अनुसार जनेरटर हेतु स्टेशनरी एवं अन्य उपयोगी वस्तुये रू0 281974-00 की क्रय की गयी जिसके सापेक्ष स्कन्ध रजिस्टर मे आय- व्यय नहीं दर्शाया गया न ही जाँच में जनेरटर लागबुक ब्रेकडाउन रजिस्टर प्रस्तुत रहा स्कन्ध पंजी एवं अन्य अभिलेखों क अभाव मे 281974-00 की वसूली अपर मुख्य अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

41— जिला पंचायत गाजीपुर के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 10-11 के आपत्ति संख्या-12 के अनुसार वित्त परामर्श दाता जिला पंचायत गाजीपुर के निरीक्षण पत्र संख्या 355 दिनांक 27.4.11 के प्रस्तर 11 के अनुसार पेंशन निधि की रोकड बही दिनांक 15.3.07 को अन्तिम प्रविष्टि अंकित किया जाना दर्शाया गया उक्त तिथि को पेंशन निधि का अन्तिम शेष रू0 928045-00 था जिसकी रोकडबही एवं बैंक पासबुक की जाँच मे प्रस्तुत नहीं की गयी दिनांक 15.3.07 पेंशन निधि खाता खोले जाने तक उक्त राशि बैंक मे जमा नहीं की गयी । इस प्रकार रू0 928045-00 का अपहरण किया गया है जिसकी वासूली तत्कालीन कैशियर एवं अपर मुख्य अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

42— जिला पंचायत गाजीपुर के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 10-11 के आपत्ति संख्या-13 के अनुसार रू0 5898368-00 के विभिन्न परियोजनाये मनरेगा के अन्तर्गत सभासदों/ विधायकों के दबाव के कारण चालू कराते हुए कुल रू0 20208088/- व्यय करते हुए रू0 1332412-00 अवशेष धनराशि को विवादित परियोजना के चलते मुख्य विकास अधिकारी गाजीपुर को वापस किया गया कुल व्यय 20208088-00 मे से रू0 5898368-00 विभिन्न परियोजना मे से रू0 5195028-00 का दुरुपयोग किया गया एवं रू0 703340-00 की गम्भीर अनियमितता की गयी जिस हेतु निर्माण खण्ड क अभियन्ता श्री अखिलेश यादव , सम्बन्धित कार्य प्रभारी एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। कुल विवादित कार्य रू0 1352864-00 का अवशेष था जिसके सापेक्ष रू0 1332412-00 वापस किया गया। एवं रू0 20552-00 का अन्तर रहा ।

43— जिला पंचायत गाजीपुर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 10-11 आपत्ति संख्या-14 के अनुसार महात्मा गांधी रेतगार गारन्टी योजना में वर्ष दौरान कोई धनराशि अवमुक्त नहीं हुई । वर्ष 2009-10 मे रू0 21540500-00 अवमुक्त हुए अनुदान रजिस्टर के अनुसार रू0 296003-00 की राशि अवशेष थी जबकि कार्य पंजिका के अनुसार दिनांक 31.3.11 को मनरेगा कार्यो पर भुगतान किये जाने वाली अवशेष राशि 1431452-00 दर्शित है। इस प्रकार अनुदान पंजिका एवं कार्य पंजिका के माध्य रू0 1135449-00 का अन्तर रहा। जिसका अधिक भुगतान/ दुरुपयोग किया गया एवं जिला पंचायत श्रम बजट हेतु समय सारणी एवं प्रक्रियाओ का अनुपालन एक्ट के प्राविधानो के अनुरूप सुनिश्चित न होने के कारण परियोजनाओं के वास्तविक लागत की अपेक्षा प्रकलन अधिक करने के कारण एवं लाभ प्रति सम्पति सृजित न होने के कारण रू0 5128115-00 का व्यय अनियमित रहा।

- 44— जिला पंचायत गाजीपुर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 10-11 आपत्ति संख्या-16 के अनुसार दिनांक 01.40.10 को ग्रांट रजिस्टर के अनुसार प्रारम्भिक शेष रू0 11102253-00 दर्शाया गया जबकि दिनांक 31.03.10 को लेखा परीक्षा के अनुसार अन्तिम शेष रू0 16193976-00 था उक्त से स्पष्ट है कि अन्तर की राशि 5091723-00 का शीर्ष में उपभोग कर दुरुपयोग किया गया। जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी एवं वित्त परामर्श दाता उत्तरदायी है।
- 45— जिला पंचायत गाजीपुर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 10-11 आपत्ति संख्या-26 के अनुसार बैंक खतों एवं संस्था के मध्य रू0 9929298.89 का अन्तर विद्यमान है जिसमे से इलहाबाद बैंक में जमा रू0 5513549-00 की स्थिति संदिग्ध बतायी गयी जिस कारण उसके दुरुपयोग की संभावना की पुष्टि होती है।
- 46— जिला पंचायत मैनपुरी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 10-11 आपत्ति संख्या-1 के अनुसार परपिक्वता तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाली धनराशि रू0 1498397 के सावधि जमा का भुगतान दिनांक 11.7.2011 को (21 माह पश्चात) प्राप्त पाये जाने के फलस्वरूप जिला पंचायत को रू0 256720-00 ब्याज की हानि उठानी पड़ी है। जिसका दायित्व भूतपूर्व अपर मुख्य अधिकारी श्री आर0 के 0 सिंह तथा सम्बन्धित रोकडियाँ श्री राकेश कुमार मिश्रा एवं आर0 एन0 चौवे भूतपूर्व अपर मुख्य अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।
- 47— जिला पंचायत मैनपुरी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 10-11 आपत्ति संख्या-10 के अनुसार क्रय किये गये तारकोल का मूल्य रू0 36 दर्शाया गया है जबकि भाड़ा सहित तारकोल का मूल्य 42.41165-00 प्रति किलो है। वर्ष में उपभोग किये गये तारकोल के 234 ड्रम रू0 156 किलो/ ड्रम की दर से 36504 किलो तारकोल का उपभोग किया गया जिससे मूल्य अन्तर 6.41.165 से रू0 234034-00 की हानि संस्था को उठानी पड़ी है जिसकी वसूली तत्कालीन सहायक अभियन्ता एवं अपर मुख्य अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।
- 48— जिला पंचायत मैनपुरी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 10-11 आपत्ति संख्या-26 के अनुसार श्री राकेश कुमार मिश्रा खुदरा रोकडिया द्वारा प्रारूप -11 की खुदरा रोकड बही में विभिन्न तिथियों पर रोकड अवशेष समय-समय पर नगद धनराशि को न तो बैंक में जमा कराया गया न ही प्रधान रोकडिया के पास जमा कराया गया जिसके कारण वर्ष दौरान कुल रोकड शेष गुणांक $6279075 \times 21\% \times 36500 =$ रू0 3613 दण्ड ब्याज श्री राकेश कुमार मिश्रा से वसूल किया जाना अपेक्षित है।
- 49— जिला पंचायत मैनपुरी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 10-11 आपत्ति संख्या-33 के अनुसार निर्माण कार्यों में मिट्टी खुदाई के लिये वाजिब होने वाली रायल्टी कम वसूल की गयी जिस कारण रू0 77344.84-00 राजकीय राजस्व की क्षति रायल्टी के रूप में हुयी है। जिसकी वसूली सम्बन्धित ठेकेदारों से की जानी अपेक्षित है।
- 50— जिला पंचायत मथुरा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 10-11 आपत्ति संख्या-34 के अनुसार बैंक खातों एवं संस्था के खाते में मध्य रू0 220140-00 का अन्तर विद्यमान है जिसका समाधान कराया जाना अपेक्षित है।

51- जिला पंचायत प्रतापगढ़ लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 10-11 आपत्ति संख्या-46 के अनुसार असमायोजित ऋण अग्रिम मद के अन्तर्गत रू0 336551 दिनांक 31.3.11 को पाना शेष था जिसमें से वर्ष में रू0 16700-00 अग्रिम दिया गया है शेष रू0 219051-00 बिगत वर्षों का पावना है बिगत वर्षों के पावने के अन्तर्गत रू0 187997-00 मैक्स फाल क्रय हेतु अवर अभियन्ता श्री बृजेश को अधिकृत किया गया था वर्तमान में वह जिला पंचायत में कार्यरत नहीं है। जिस हेतु जिला पंचायत का स्थापना अनुभाग भी उत्तरदायी है।

52- जिला पंचायत प्रतापगढ़ लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 10-11 आपत्ति संख्या-47 के अनुसार कर्मचारियों से भवनअग्रिम मद में पाना रू0 601000-00 चार कार्मिकों से पाना शेष है। जिसकी वसूली माह फरवरी 2008 से नहीं की गयी है, जिसकी वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

53- जिला पंचायत प्रतापगढ़ लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 10-11 आपत्ति संख्या-48 के अनुसार श्री रामरेखा सिंह सेवा निवृत्त जिला पंचायत कार्मिक से रू0 79000-00 भवन अग्रिम का पावना शेष है जिसकी वसूली जॉचोपरान्त उत्तरदायित्व निर्धारणकर सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है।

दिनांक 31.3.11 को राजकीय ऋण के अन्तर्गत दर्शित अन्त्योदय स्पेशल काम्पौनेन्ट स्थानीय विकास पेयजल आपूर्ति एवं क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु प्राप्त ऋणों के क्रमशः 67.45, 18.89, 146.01, 7.85 एवं 8.73 लाख कुल 249.59 लाख की ऋण की राशि वसूली हेतु बकाया थी आ0सी0 जारी करा करके राजस्व विभाग के माध्यम से वसूली कराया जाना अपेक्षित है।

54- जिला पंचायत बहराइच लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 10-11 भाग 2 अ के प्रस्तर -10 के अनुसार:-

अ- पूर्वान्वल विकास निधि में दिनांक 30.3.11 की रू0 1473800 प्राप्त अनुदान का लेखा कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया, जबकि अनुदान रजिस्टर में दर्ज किया गया इससे संस्था की प्रभावित रही।

ब- दिनांक 31.3.10 को बारहवाँ वित्त आयोग मद में अवशेष 9172810 था वर्ष 201-11 में कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ तथा 71.94 लाख अनुदान उपभोग किया गया शेष रू0 19.70 लाख वर्षान्त में शेष होना चाहिये दिनांक 31.3.2011 की शासन को प्रेषित सूचना में शुन्य दर्शाया गया इस तरह रू0 19.79 लाख अनुदान के गबन की सम्भावना है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

55 जिला पंचायत लखनऊ लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 10-11 आपत्ति संख्या-27 के अनुसार जिला पंचायत परिसर में अध्यक्ष अपर मुख्य अधिकारी अभियन्ता तथा कार्य अधिकारी के लिये टाइप 4 के आवास का निर्माण किया गया है। उक्त आवासों का उद्घाटन दिनांक 7.9.2005 को तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री द्वारा किया गया था, परन्तु उक्त आवास खाली पड़े है तथा वर्ष में अध्यक्ष को रू0 48000 अभियन्ता को 37800 तथा कार्याधिकारी को रू0 20040 आवास का भुगतान किया गया है। जो देय नहीं है तथा वसूली अपेक्षित है।

56- जिला पंचायत लखनऊ लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 10-11 आपत्ति संख्या-46 के अनुसार विभिन्न प्रमाणको 4प्रतिशत के स्थान पर मात्र 2प्रतिशत का वैट काटा गया जिसके कारण शासन को रू0 40842 राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

4.2-क्षेत्र पंचायतों के अनिस्तारित आपत्तियों का विवरण

1- विभिन्न क्षेत्र पंचायतों में निर्माण/ मरम्मत का कार्य किया जाता है परन्तु उक्त कार्य की पुष्टि/ भुगतान के सम्बन्ध में अभिलेख / बाउचर्स आडिट में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे भुगतानित धनराशि दुरुपयोग / अपहरण की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। जिस हेतु सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत के लेखकार / खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। वर्ष 2010-11 में निम्न विवरणानुसार रू0 20155.79 हजार का व्यय / अभिलेख बाउचर्स के आधार पर अपुष्ट रहा:-जाचोपरान्त कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र०सं०	सम्भाग	जनपद	क्षेत्र पंचायत	सन्निहित धनराशि	संदर्भित आपत्ति संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	फैजाबाद	फैजाबाद	पूराबाजार	2642.19	27,28,31,32से 35	
			रूदौली	691.25	14,15	
			मिल्कीपुर	3653.31	46,51	
	इलाहाबाद	फतेहपुर	मलक	64.49	3	
	मेरठ	मेरठ	मकरपुर	14120.55	.2	
		योग		20155.79		

2- वर्ष 2010-11 में विभिन्न क्षेत्र पंचायतो द्वारा क्रय सम्बन्धित प्रक्रिया का पालन न करके अनियमित क्रय कर धनराशि का दुरुपयोग किया गया अनेकों क्षेत्र पंचायतों द्वारा टेन्डर कोटेशन आदि नहीं किये गये जिस कारण क्षेत्र पंचायतों को न्यूनतम दर पर लाभ मिलने की पुष्टि नहीं होती है जिस कारण अधिक अनियमित भुगतान की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अनियमित भुगतान की राशि रु0 4502.41 है जिस हेतु सम्बन्धित बी0डी0ओ0 लेखकार उत्तरदायी है। विवरण निम्न प्रकार है:-कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र0सं0	सम्भाग	जनपद	क्षेत्र पंचायत	सन्निहित धनराशि	संदर्भित आपत्ति संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	फैजाबाद	फैजाबाद	मिल्कीपुर	1436.57	27 से 30	
			पूराबाजार	470.46	24	
			पूराबाजार	1941.98	37से 47	
			मिल्कीपुर	268.55	15,16,32,37	
	इलाहाबाद	कोरससम्बी	नेवादा	276.13		
			कौशाम्बी	58.72		
			सिराधू	50.00		
			योग	4502.41		

3- विभिन्न क्षेत्र पंचायतों द्वारा वर्ष 2010-11 में बैंक से आहरित धनराशि आहरण कर इसका उपयोग समयान्तर्गत नहीं किया गया एवं वर्षान्त में रोकड़ हस्तगत रही जिसे कार्य की आवश्यकता न होने पर बैंक में जमा करा देना चाहिये था परन्तु ऐसा नहीं किया गया जिस कारण 44.17 हजार एवं अनियमित ढंग से रोका गया जिस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।। विवरण निम्न है:-

क्र०सं०	सम्भाग	जनपद	क्षेत्र पंचायत	सन्निहित धनराशि	संदर्भित आपत्ति संख्या
1	2	3	4	5	6
1	फैजाबाद	फैजाबाद	सोहावल	12.00	28
			मिल्कीपुर	32.17	43
			योग	44.17	

4- विभिन्न क्षेत्र पंचायतों द्वारा वर्ष 2010-11 में कराये गये भुगतानों की पुष्टि स्वरूप भुगतान प्राप्त कर्ता से प्राप्ति नहीं ली गयी जिस कारण दर्शित व्यय रू० 380.40 फर्जी है जिसकी वसूली अपेक्षित है वसूली के अभाव में इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। विवरण निम्न है:-

क्र०सं०	सम्भाग	जनपद	क्षेत्र पंचायत	सन्निहित धनराशि (हजार रू० में)	संदर्भित आपत्ति संख्या
1	2	3	4	5	6
1	फैजाबाद	फैजाबाद	मिल्कीपुर	380.41	47,48

			योग	380.41	

5- विभिन्न क्षेत्र पंचायतों द्वारा वर्ष 2010-11 में अनुदान धनराशि का उपभोग न नियमों के विपरीत अन्य मदों में अनावश्यक कार्यों में व्यय करते हुए रु0 7025.32 की अनियमितता की गयी जिसकी वसूली सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार करते हुए शासन को वापस की जानी अपेक्षित है विवरण निम्न है:-

क्र0सं0	सम्भाग	जनपद	क्षेत्र पंचायत	सन्निहित धनराशि	संदर्भित आपत्ति संख्या
1	2	3	4	5	6
1	फैजाबाद	फैजाबाद	मिल्कीपुर	2986.14	14,19,21,24,25 33से 36,38,47
			सोहावल	1493.62	2,18,23
	इलाहाबाद	फतेहपुर	मिरौरा	590.57	3
			मलवा	1393.10	5
	मेरठ	मेरठ	परीक्षिगढ	71.89	2
	इलाहाबाद	कौशाम्बी	चायल	526.00	
			नवादा	595	
			योग	7025.32	

6— विभिन्न क्षेत्र पंचायतों द्वारा वर्ष 2010-11 में निर्माण सामग्री क्रय में सापेक्ष प्रस्तुत प्रमाणक निर्धारित प्रारूप बिल / कैश मेमो नहीं होने पर भी उसका भुगतान आकलन कच्चे बिल के आधार पर किया गया जो गम्भीर अनियमितता है क्रय सामग्री के स्टॉक पंजिका में अंकित होने एवं प्रयुक्त होने की पुष्टि नहीं होती है जिस कारण किया गया भुगतान रु० 3227.00 हजार अनियमितता रहा जिस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र०सं०	सम्भाग	जनपद	क्षेत्र पंचायत	सन्निहित धनराशि (हजार रु० में)	संदर्भित आपत्ति संख्या
1	2	3	4	5	6
1	फैजाबाद	फैजाबाद	मिल्कीपुर	345.07	50
			पूराबाजार	223.23	5
	इलाहाबाद	फतेहपुर	मिरौरा	126.68	17
		---	मलवा	76.20	2
			खजुहा	252.48	5
		कौशाम्बी	नेवादा	91.27	
			नेवदा	416.16	
			मूरतगंज	407.00	
				5.21	
				107.51	
				223.85	

				99.85	
				99.94	
				199.77	
				99.93	
			कौशाम्बी	358.68	
			सिराधु	91.56	
			सिराधू	1.50	
			योग	3227.00	

7— वर्ष 2010-11 में विभिन्न क्षेत्र पंचायतों द्वारा पंजीकृत फर्मों से सामग्री क्रय करने के फलस्वरूप क्षेत्र पंचायत द्वारा विक्रेता फर्म से व्यापार कर एवं आयकर की नियमानुसार कटौती करके राजकीय कोषागार में जमा नहीं कराया गया जिस कारण क्षेत्र पंचायतों द्वारा राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी है जिसका नियमानुसार आगणन करते हुए सम्बन्धित उत्तरदायी / कर्मचारी से वसूल करते हुए राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क0सं0	सम्भाग	जनपद	क्षेत्र पंचायत	सन्निहित धनराशि (हजार रु० में)	संदर्भित आपत्ति संख्या
1	2	3	4	5	6
1	फैजाबाद	फैजाबाद	पूराबाजार	2.16	6
			रुदौली	0.90	25
			कटेहरी	506.70	
			भीटी	560.73	

			अकबरपुर	884.00	
			जलालपुर	685.83	
			मिवाव	604.42	
	कानपुर	कानपुरदेहात	मखासा	0.51	17 / 1
			राजपुर	0.25	3से 9 / 2
			डेरापुर	0.89	9 / 3
			अमरौघा	0.11	22 / 4
			सन्दलपुर	0.54	14,18,21,22 / 5
			रसूलाबाद	0.82	12 / 16
			मैथा	1.37	12 / 7
			सरवनखेडा	2.02	12 / 8
			योग	3251.25	

8— वर्ष 2010-11 में विभिन्न क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्ययों के प्रमाणक सामग्री क्रय के प्रमाणक एवं मजदूरी के मास्टर रोल आदि जाँच में प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण भुगतान की गयी धनराशि के अपहरण की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है भुगतानित धनराशि 57.49 हजार की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है:-

क0सं0	सम्भाग	जनपद	क्षेत्र पंचायत	सन्निहित धनराशि (हजार रू0 में)	संदर्भित आपत्ति संख्या
-------	--------	------	----------------	-----------------------------------	------------------------

1	2	3	4	5	6
1	इलाहाबाद	कौशाम्बी	सूरतगंज	57.49	

9- वर्ष 2010-11 में विभिन्न क्षेत्र पंचायतों द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत मनरेगा की रोकड़बही में दर्शित भुगतानित व्ययों के सापेक्ष अभिलेख / बाउचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये इस धनराशि के दुरुपयोग / अपहरण की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता जिस हेतु सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत में लेखाकार एवं खण्डविकास अधिकारी उत्तरदायी है निम्न विवरणानुसार रु0 427.55 हजार के व्यय अभिलेख / बाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहा विवरण निम्न है:-

क्र०सं०	सम्भाग	जनपद	क्षेत्र पंचायत	सन्निहित धनराशि (हजार रु० में)	संदर्भित आपत्ति संख्या
1	2	3	4	5	6
1	कानपुर	कानपुरदेहात	डैरापुर	427.25	16 / 9

10- वर्ष 2010-11 में विभिन्न क्षेत्र पंचायतों द्वारा वर्ष 2010-11 में मनरेगा के अन्तर्गत क्रय सामग्री का स्टॉक रजिस्टर से अंकन नहीं किया गया न ही क्रय सामग्री के उपभोग / प्रयुक्त होने की पुष्टि उपभोग पंजिका से होती है अतः दर्शित सामग्री व्यय रु0 29.53 हजार के अपहरण की सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता है जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से अपेक्षित है विवरण निम्न है:-

क्र०सं०	सम्भाग	जनपद	क्षेत्र पंचायत	सन्निहित धनराशि (हजार रु० में)	संदर्भित आपत्ति संख्या

1	2	3	4	5	6
1	इलाहाबाद	फतेहपुर	खजुहा	16.81	2
				12.72	8
			योग	29.53	

11- वर्ष 2010-11 में विभिन्न क्षेत्र पंचायतों द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत रखी गयी रोकड़ बही में दर्शित मजदूरी व्ययों के सापेक्ष प्रस्तुत मस्टर रोल की जाँच करने पर तथ्य प्रकाश में आया कि अनेकों क्षेत्र पंचायतों में मस्टर रोल के अनुसार लगे श्रमिकों को जो जो भुगतान किया गया दर्शाया गया वह रोकड़ बही में दर्शित भुगतान से कम पाया गया। इस प्रकार वास्तविक व्यय से अधिक व्यय दशप्रकर रु० 200.56 हजार का अपहरण किया गया जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से अपेक्षित है।

क०स०	सम्भाग	जनपद	क्षेत्र पंचायत	सन्निहित धनराशि (हजार रु० में)	संदर्भित आपत्ति संख्या
1	2	3	4	5	6
1	इलाहाबाद	फतेहपुर	खजुहा	2.45	3
	आजमगढ़	बलिय	मनियर	50.00	13/3
			मनियर	148.00	23/2
				0.09	10
	कानपुर	कानपुर देहात	सरवनखेडा	0.02	
			योग	200.56	

12- वर्ष 2010-11 द्वारा रोकड़बही में दर्शित मजदूरी व्ययों के सापेक्ष मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं मजदूरी बैंक खातों के स्थान पर नरद भुगतान किये जाने के कारण अपहरण की श्रेणी में आता है इस मद में ₹0 1530.97 हजार का व्यय बिना मूल प्रमाणन (मस्टर रोल) के किया गया जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से अपेक्षित है विवरण निम्नवत् है:-।

क्र०सं०	सम्भाग	जनपद	क्षेत्र पंचायत	सन्निहित धनराशि (हजार ₹0 में)	संदर्भित आपत्ति संख्या
1	2	3	4	5	6
1	फैजाबाद	अम्बेडकरनगर	जलालपुर	1439.32	25
	इलाहाबाद	फतेहपुर	मिर्सा	18.77	3
			मिर्सा	38.78	5
			मलका	33.90	3
			योग	1530.97	

13- वर्ष 2010-11 में निम्न क्षेत्र पंचायतों द्वारा वर्षों से प्राप्त अनुदानों का शर्तों के अनुसार समय से उपभोग नहीं किये जाने के फलस्वरूप अनुदानों के से प्राप्त होने वाला लाभ जन सामान्य को समय से नहीं मिल पाता है समय से अनुदान का उपयोग न होने पर अनुदान वित्तीय सहायता दावा को वापस किया जाना चाहिए जो ₹0 380.89 हजार है विवरण निम्नवत् है:-।

क्र०सं०	सम्भाग	जनपद	क्षेत्र पंचायत	सन्निहित धनराशि (हजार ₹0 में)	संदर्भित आपत्ति संख्या
1	2	3	4	5	6
1	फैजाबाद	फैजाबाद	मिल्कीपुर	380.89	16/9

14— वर्ष 2010-11 में निम्न क्षेत्र पंचायतों द्वारा क्रय सामग्री का लेखाकन स्टाक रजिस्टर में नहीं किये जाने के कारण क्रय सामग्री के अपहरण की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है बिना स्टाक प्रविष्टि के किया गया भुगतान रु० 148.34 हजार की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से अपेक्षित है विवरण निम्नवत् है:- ।

क०स०	सम्भाग	जनपद	क्षेत्र पंचायत	सन्निहित धनराशि (हजार रु० में)	संदर्भित आपत्ति संख्या
1	2	3	4	5	6
1	फैजाबाद	फैजाबाद	मिल्कीपुर	7.00	40,41
	इलाहाबाद	फतेहपुर	मलवा	15.04	13
				96.20	12
				30.10	15
			योग	148.34	

15— वर्ष 2010-11 में क्षेत्र पंचायत द्वारा क्षेत्र पंचायत निधि से किये गये व्ययों के सापेक्ष कोई भी मूल प्रमाणन जाँच में प्रस्तुत नहीं किये गये बिना व्यय प्रमाणनको के दर्शित व्यय रु० 20143.08 हजार के व्यय अपहरण की श्रेणी में आते है जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से अपेक्षित है विवरण निम्नवत् है:- ।

क०स०	सम्भाग	जनपद	क्षेत्र पंचायत	सन्निहित धनराशि (हजार रु० में)	संदर्भित आपत्ति संख्या
1	2	3	4	5	6
1	फैजाबाद	फैजाबाद	मिल्कीपुर	20143.08	52

17— वर्ष 2010-11 में निम्न क्षेत्र पंचायतो द्वारा अनुदान से प्राप्त धनराशियों का उपभोग अनुबन्ध की शर्तों के विपरीत अनावश्यक कार्यों में व्यय कर रु0 11991.29 हजार का दुरुपयोग किया गया जिस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है विवरण निम्नवत् है:—।

क्र0सं0	सम्भाग	जनपद	क्षेत्र पंचायत	सन्निहित धनराशि	संदर्भित आपत्ति संख्या
1	2	3	4	5	6
1	फैजाबाद	फैजाबाद	पूराबाजार	242.10	25,36
			सेहावल	898.57	24
			रुदौली	2634.18	10से13 ,17,22
			मिल्कीपुर	2745.48	17,18,20,22,26,31,55,56,63से 65
1	फैजाबाद	सुलतानपुर	लम्मुआ	160.00	13
			लम्मुआ	15.31	14
			लम्मुआ	1239.56	20
			प्रतापपुर	434.00	31
			प्रतापपुर	178.40	8
			भदैया	1.03	9
			भदैया	12.67	6
			पूराबाजार	12.00	7
		फैजाबाद	पूराबाजार	1508.88	4
			पूराबाजार	304.50	23

	इलाहाबाद	फतेहपुर	खजुहा	128.84	4
			मलका	136.57	6
			मलका	198.87	7
			मलका	172.44	8
			मलका	39.43	9
			मलका	84.42	10
			मलका	82.95	11
			मलका	96.93	12
			मलका	591.04	16
			खजुहा	77.10	7
			योग	11991.29	

18— वर्ष 2010-11 में निम्न क्षेत्र पंचायतों द्वारा कराये गये कार्यों के सापेक्ष किये गये भुगतानों की पुष्टि स्वरूप भुगतान प्राप्तकर्ता से प्राप्त रसीद नही लिये जाने के कारण दर्शित व्यय रू0 10478.21 हजार के भुगतान व्यय फर्जी है जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से अपेक्षित है विवरण निम्नवत् है:-।

क्र०सं०	सम्भाग	जनपद	क्षेत्र पंचायत	सन्निहित धनराशि (हजार रू० में)	संदर्भित आपत्ति संख्या
1	2	3	4	5	6
1	फैजाबाद	अम्बेडकरनगर	जलालपुर	10202.98	

			अकबरपुर	254.61	
			कटेहरी	11.41	
				9.21	
			योग	10478.21	

19- क्षेत्र पंचायत सोहावत द्वारा 2009-10 में युवक महिला दंगल दल मद का अनुदान ग्राम रजिस्टर के अनुसार प्राप्त हुआ परन्तु 31.03.10 को ग्राम रजिस्टर 3 में उक्त अनुदान का लेखा नहीं दर्शाया गया। जो पटल सहायक के कर्तव्य एवं दायित्वों की लापरवाही को दर्शाता है।
(आ0सं0 36)

20- कुड़वार क्षेत्र पंचायत सुल्तानपुर द्वारा चन्डकला से राम जानकी मंदिर तक नाला खुदाई कार्यभार अगस्त 09 में कराया गया जबकि इस अवधि में वर्षा अपने चरम पर होती है। माह अगस्त में नाला खुदाई कार्य का औचित्य समक्ष से परे है। जिसपर 42,600.00 व्यय किया गया (दिनांक 25.07.09 से 06.08.09 कुल 426 मानक दिवस) किया गया व्यय दुर्विनियोग की श्रेणी में आती है।(जाचोंपरान्त कार्यवाही अपेक्षित है।)
(आ0सं0 10)

20- क्षेत्र पंचायत बार जनपद ललितपुर द्वारा अनुदान रजिस्टर 3 में ₹0 2,500.00 घटाया गया परन्तु इससे सम्बन्धित प्रमाणक आदि जांच में प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण दर्शित व्यय अपुष्ट रहा जिसकी वसूली खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार के अपेक्षित है।

(आ0सं0 4)

21— वर्ष 2009—10 में क्षेत्र पंचायत संदलपुर जिला रमाबाई नगर द्वारा चेक संख्या 25,04,570 दिनांक 18.02.10 द्वारा रू० 14,000.00 श्री अनुराग त्रिवेदी को भुगतान दर्शाया गया जिसका प्रमाणक जांच में अप्राप्त रहा। श्री अनुराग त्रिवेदी कार्याधिकारी को किस उद्देश्य से भुगतान किया गया। स्पष्ट नहीं अतः रू० 14,000.00 की वसूली श्री ए०के०सिंह, बी०डी०ओ तथा एस०एन० अवस्थी लेखाकार से अपेक्षित है।
(आ०सं० 9)

22— वर्ष 2009—10 में क्षेत्र पंचायत संदलपुर द्वारा य० 36,220.00 का भुगतान श्री अनुराग त्रिवेदी कार्याधिकारी को किया गया। प्रस्तुत रू० 10,800.00 के मजदूरी भुगतान के प्रमाणकों पर मजदूरों के हस्ताक्षर नहीं है। अतः दर्शित भुगतान अनियमित है। जिसकी वसूली श्री ए०के०सिंह बी०डी०ओ, एस०एन० अवस्थी लेखाकार एवं श्री अनुराग त्रिवेदी कार्याधिकारी से अपेक्षित है।

(आ०सं० 10)

23— क्षेत्र पंचायत मोलिकापुर जिला सुल्तानपुर द्वारा वर्ष 2006—07 में स०ग्रा०रो०योजनान्तर्गत प्र०शे० प्राप्त अनुदान एवं प्रयुक्त अनुदान क्रमशः 2,58,808 तथा 7,58,535 दर्शाया गया जो 31.03.07 को (—) 4,99,727 तथा वर्ष 2007—08 में 2,36,539 प्राप्त तथा उपयोग 6,56,826 31.03.08 को शेष (—) 9,20,014.00 पाना दर्शाया गया। उपरोक्तस्थित 31.03.10 में यथावत 9,20,014.00 पावना दर्शित है। जो इस बात का घोटक है कि तत्कालिक खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए उक्त योजना में प्राप्त अनुदान से अधिक धनराशि का उपयोग दर्शाकर क्षति पहुंचाई गयी जिसकी वसूली खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

(अनुदान प्रस्तर से)

24— क्षेत्र पंचायत संदलपुर जिला रमाबाईनगर द्वारा दिनांक 06.11.03 को रू0 8,000.00 चेक संख्या 661547 दिनांक 06.11.03 द्वारा स्टेशनरी क्रय हेतु भुगतान अग्रिम स्वरूप किया गया परन्तु उक्त अग्रिम के सापेक्ष स्टेशनरी स्टॉक आमद की ना तो पुष्टि होती है ना ही समायोजन किया गया। इस भुगतान की वसूली श्री एस0एन0 अवस्थी लेखाकार से की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0 6)

25— क्षेत्र पंचायत संदलपुर को वर्ष 2009—10 में 666 इंदिरा आवास प्राप्त हुए तथा 410 आवासों को निर्माण कार्य कराया गया जिसके 27 आवास अपूर्ण होते हुए भी द्वितीय किस्त रू0 40,000.00 का अनियमित भुगतान किया गया। किये गये अनियमित भुगतान की वसूली श्री ए0के0सिंह खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार एस0एन0 अवस्थी से अपेक्षित है। (आ0सं0 8)

26— वर्ष 2009—10 में संदलपुर क्षेत्र पंचायत द्वारा खण्ड विकास अधिकारी श्री ए0के0सिंह के नाम से रू0 31,725.00 के 4 चेक संख्या 662706 दिनांक 28.01.10, 2570101 दिनांक 31.12.09, 971357 दिनांक 02.02.10 एवं 971077 दिनांक 20.12.09 बीज क्रय करने हेतु निर्गत किये गये परन्तु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा बीज क्रय के प्रमाणक (बिल) प्रस्तुत नहीं किये गये नहीं स्टॉक रजिस्टर एवं बीज प्रयुक्त रजिस्टर ही जांच में प्रस्तुत किया गया अतः किया गया व्यय अनियमित एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री ए0के0सिंह से वसूली योग्य है।

27— क्षेत्र पंचायत द्वारा शौचालय, बायोगैस अनुदान आदि के लाभार्थियों की प्रमाणित सूची जांच में उपलब्ध नहीं कराये जाने के फलस्वरूप वितरित अनुदान की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं रहा अतः किया गया दर्शित भुगतान अनियमित रहा।

28— वर्ष 2009—10 में क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्य के सापेक्ष मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित मस्टर रोल जांच में प्रस्तुत नहीं किये जाने के फलस्वरूप किये गये भुगतान की पुष्टि नहीं होने के कारण किया गया भुगतान अनियमित एवं वसूली योग्य है।

29— क्षेत्र पंचायत द्वारा स्टेशनरी, डीजल एवं अन्य क्रय आदि से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्ट्रेशन, लागबुक आदि जांच में प्रस्तुत नहीं किये जाने के फलस्वरूप क्रय से सम्बन्धित भुगतान की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं रहा है। जिस कारण दर्शित भुगतान अनियमित रहा।

30— क्षेत्र पंचायत द्वारा एस0सी0आर0वाई0 योजनान्तर्गत कराये गये निर्माण कार्य सम्बन्धी भुगतान की इस्टीमेट से अधिक भुगतान कराया गया एवं कार्मिकों के स्थान पर मशीन से कार्य कराया गया, मजदूरी भुगतान के मस्टर रोल जांच में प्रस्तुत नहीं किये गये। मेसरमेण्ट बुक (एम0बी0) अपूर्ण पायी गयी। जिस कारण किया गया व्यय अनियमित एवं वसूली योग्य है।

31— क्षेत्र पंचायत द्वारा सक्षम अधिकारी की स्वीकृत/अनुमोदन के बिना ही व्यय किया गया तथा उन व्ययों से सम्बन्धित स्टाक रजि0 उपभोग रजि0 भी जांच में प्रस्तुत नहीं किया गया बिना आदेशों के किया गया व्यय अनियमित एवं वसूली योग्य है।

32— विधायक तिथि से क्षेत्र पंचायत द्वारा एक ही कार्य हेतु दो बार व्यय किया गया जैसाकि प्रस्तुत की गयी एम0बी0 से स्पष्ट होता है। अतः किया गया भुगतान खण्ड विकास अधिकारी एवं जे0ई0 आर0ई0एस0 से वसूली योग्य है।

33— क्षेत्र पंचायत द्वारा रोजगार परक योजनाओं पर राजकीय आदेशों एवं निर्देशों के विपरीत मशीनों का प्रयोग कर कार्य कराया गया जिस कारण मानव दिवसों के मजदूरी की क्षति पहुंचायी गयी एवं शासन के रोजगार सृजन की महत्वाकांक्षी योजना के विरुद्ध कार्य अनियमित ढंग से कराते हुए भुगतान किया गया जिसकी वसूली खण्ड विकास अधिकारी एवं जे0ई0 आर0ई0एस0 से अपेक्षित है।

34— क्षेत्र पंचायत बीकापुर फैजाबाद द्वारा वर्ष 2009—10 में पंचायत निर्वाचन पर निर्वाचन कार्मिकों को यात्रा भत्ता का भुगतान करने हेतु विभिन्न चेकों के माध्यम से स्वयं आहरित कर भुगतान करना दर्शाया गया परन्तु व्ययों के पुष्टि स्वरूप भुगतान प्राप्तकर्ता कार्मिकों के प्राप्त रसीदें आदि उपलब्ध नहीं होने के फलस्वरूप किया गया। व्यय कुल रू0 2,74,684.00 अनियमित रहा जिसकी पुष्टि नहीं होने के फलस्वरूप यह राशि खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से वसूली योग्य है। विवरण निम्न है—

(1)— पंचायत निर्वाचन 2000 से सम्बन्धित व्यय	19,881.00	आ0सं0 12
(2)— पंचायत निर्वाचन 2005 से सम्बन्धित व्यय	2,54,803.00	आ0सं0 13

35— वर्ष 2001-02 में बालिका समृद्धि योजनान्तर्गत 73 लाभार्थियों को विभिन्न चेकों के माध्यम से ₹0 500.00 प्रति लाभार्थी के ₹0 36,500.00 का नकद वितरण करना दर्शाया गया परन्तु इससे सम्बन्धित सूची, वितरण रजिस्टर, प्राप्त रसीदें प्रस्तुत नहीं किये जाने के फलस्वरूप दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की गयी इस अनियमित व्यय हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है।

(आ0सं0 15)

36— क्षेत्र पंचायत बीकापुर फैजाबाद द्वारा अनुसूचित जाति योजनान्तर्गत जनता साइकिल स्टोर फैजाबाद से 545 ठेला क्रय (आपूर्ति) हेतु दर 4,450 प्रति से ₹0 24,25,250.00 का भुगतान विभिन्न तिथियों में किया गया, जिसमें 200 ठेलों की वितरण सूची के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि लाभार्थियों के हस्ताक्षर फर्जी पाये गये तथा उनके वितरण की पुष्टि क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा नहीं की गयी। यथा राम उजागर, रयाल तोत, अजय कुमार धनुबाबा, बिन्देश्वरी आदि। 125 लाभार्थियों की सूची जांच में प्रस्तुत नहीं की गयी। उक्त कारणों से दर्शित व्यय अनियमित एवं वसूली योग्य है जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है।

(आ0सं0 17)

37— क्षेत्र पंचायत बीकापुर द्वारा एस0जी0आर0वाई0 एवं सूखा राहत कार्यक्रम राज्य वित्त योजना अन्तर्गत विभिन्न कार्यों में हयूम पाइप क्रयकर उनके प्रयुक्त लेने से सम्बन्धित एम0बी0, कार्यपूर्ति, मस्टर रोल आदि जांच में प्रस्तुत नहीं किये गये। वर्ष 2001-02 से 2005-06 के मध्य इस मद में ₹0 4,15,308.00 के हयूम पाइप क्रय कर भुगतान करना दर्शाया गया परन्तु उनके उपयोग से सम्बन्धित कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं होने के फलस्वरूप दर्शित व्यय अनियमित रहा जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं कार्य प्रभारी उत्तरदायी है।

(आ0सं0 21)

38— क्षेत्र पंचायत बीकापुर द्वारा वर्ष 2007-08 में दिनांक 07.06.07 को 20,210.00 समरसेबुल पम्प हेतु तथा 03.08.2007 को 18,200.00 इन्वर्टर बैटरी हेतु चेक निर्गतकर भुगतान किया गया। परन्तु उक्त क्रयों से सम्बन्धित कार्य हेतु सक्षम अधिकारी ब्लाक प्रमुख से अनुमोदन

नहीं प्राप्त किया गया तथा क्रय से सम्बन्धित मूल अभिलेख कैंश मेमो/बिल, स्टॉक रजिस्टर, उपयोग रजिस्टर जांच में प्रस्तुत नहीं किये जाने के फलस्वरूप रु० 38,410.00 अनियमित भुगतान हेतु तत्कालिक खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है।

(आ०सं० 22)

39— क्षेत्र पंचायत बीकापुर द्वारा वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य से सम्बन्धित मिट्टी कार्यों जो कराये गये शासनादेश संख्या 6714/77-5-2004-77 दिनांक 15.12.04 एवं 4951(11)77-05-06-506/06 दिनांक 05.10.2006 में निहित प्रावधानों के अनुसार मिट्टी कार्य पर रायल्टी रु० 2,31,180.00 की धनराशि राजकीय कोषागार में नहीं जमा कराये जाने के फलस्वरूप राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी जिस हेतु तत्कालिक खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार सूर्यप्रसाद दुबे उत्तरदायी है। (आ०सं० 25)

40— क्षेत्र पंचायत बीकापुर फैजाबाद द्वारा शासनादेश संख्या 2479/38-7-2008 एम०आए०ई०जी०/08 दिनांक 14.10.08 के विपरीत वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में मनरेगा में कुल सृजित मानव दिवस 129443 तथा 269791 के सापेक्ष प्रशासनिक/रियासत फण्ड से रु० 2,95,233 तथा 5,45,135 व्यय दर्शाया गया जबकि शासनादेश अनुसार 08-09 एवं 09-10 में क्रमशः 2,09,164.50 तथा 4,04,686.50 ही देय बनता है। इस प्रकार कुल रु० 2,66,517 शासनादेश के विपरीत व्यय दर्शाकर गम्भीर अनियमितता की गयी जिसकी वसूली संजय शुक्ला दिए अधिक एक सहायक लेखाकार सूर्य प्रसाद दुबे से अपेक्षित है। (आ०सं० 29)

41— क्षेत्र पंचायत बीकापुर फैजाबाद द्वारा श्री विनोद कुमार मिश्रा कनिष्ठ लिपिक को जिला विकास अधिकारी फैजाबाद के आदेश 3284/स्था०-2/पी०एफ०/6-7 दिनांक 06.02.07 द्वारा 11.02.07 से 25.02.07 तक अवकाश यात्रा स्वीकृत कर फैजाबाद से चेन्नई कन्या कुमारी तक 4 व्यक्तियों के आने जोन का व्यय 16,178.00 भुगतान किया गया जो खण्ड विकास अधिकारी बीकापुर द्वारा अपने देयक रजिस्टर पर भुगतान किया।

उल्लेखनीय है कि श्री विनोद कुमार मिश्रा क्षेत्र पंचायत बीकापुर में कार्यरत नहीं रहे हैं उन्हें क्षेत्र पंचायत से किस तरह भुगतान किया गया। यात्रा देयक में प्रथम श्रेणी का टिकट भी एक यात्रा प्रमाण भी नहीं प्रस्तुत किया गया। जिसकी वसूली कर्मचारी से अपेक्षित है। विपरीत दशा में खण्ड विकास अधिकारी से धनराशि ब्याज निहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0 39)

42— क्षेत्र पंचायत रुदौली फैजाबाद में 31.03.10 को बैंक में जमा दर्शित विभिन्न बैंक खातों में जमा धनराशि रु0 53,41,771.00 का पासबुक/बैंक स्टेटमेंट एवं बैंक समाधान विवरण पत्र तैयार नहीं किए जाने के फलस्वरूप इसकी पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हुआ।

(आ0सं0 3)

43— क्षेत्र पंचायत रुदौली फैजाबाद में 31.03.10 को रु0 51,25,655.00 के प्रयुक्त अनुदानों को क्षेत्र पंचायत द्वारा प्रयुक्त नहीं किया गया वरन् उसे रोककर बैंक खातों में जमा रखा गया अप्रयुक्त अनुदान को वित्तीय सहायता देने वाली संस्था को अनुदान अप्रयुक्त रहने की दशा में वापस किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया। यह गम्भीर अनियमितता है।

(आ0सं0 4)

44— क्षेत्र पंचायत रुदौली फैजाबाद द्वारा वर्ष 2009—10 में कुल अनुदान व्यय 1,03,06,088.00 किया गया परन्तु अभिलेखों के समुचित रखरखाव नहीं होने के फलस्वरूप व्ययों से सम्बन्धित मूल प्रमाणक, यथा मस्टर रोल इत्यादि यथा स्थान जांच में नहीं पाये जाने के कारण दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं की गयी।

(आ0सं0 10)

45— क्षेत्र पंचायत सुरियावा द्वारा 31.03.10 को कुल 73,45,965.23 के सापेक्ष बैंक में जमा 73,84,513.23 की पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से होती है। अंतर 38,548.00 कम जमा होने का दायित्व खण्ड विकास अधिकारी का है। अंतर राशि का मिलने की दशा में वसूली खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।
(आ0सं0 9)

46— सुरियावा क्षेत्र पंचायत द्वारा समय से अनुदानों का उपयोग ना करने के कारण क्षेत्र की जनता को मिलने वाले लाभों से वंचित किया गया जिस हेतु क्षेत्र पंचायत सचिव खण्ड विकास अधिकारी उत्तदायी है। इस तथ्य की पुष्टि इससे होती है कि कुल अनुदान 60,21,660.23 प्रारम्भिक शेष एवं 24,61,429.00 प्राप्ति एवं व्यय अनुदान उपयोग 11,37,124.00 तथा 31.03.10 को शेष 73,45,965.23 शेष रहता है। जो खण्ड विकास अधिकारी की कार्य शिथिलता का घोटक है।
(आ0सं0 6)

47— क्षेत्र पंचायत हसवा फतेहपुर द्वारा भल्लू के घर से राजेन्द्र के घर तक सी0सी0रोड निर्माण कार्य के भुगतान के सम्बन्ध में निम्न स्थित बनती है।

(1) 20.04.10 को रू0 58,700.00 चेक संख्या 198183 श्री अवधेश सिंह कार्य प्रभारी को किया जाना दर्शाया गया जबकि श्री अवधेश सिंह द्वारा मस्टर रोल 1 से 3 तक रू0 53,800 भुगतान प्राप्त किया जाना दर्शाया गया फिर 57,800 का भुगतान कैसे किया गया।

आ0सं0 13(111)

(2) द्वितीय सामग्री आपूर्ति अनूप सिंह द्वारा 129299 को की गयी जिसमें से य0 125082—2801=1,22,281 का भुगतान किया गया। उक्त आपूर्ति श्री अनूप सिंह द्वारा 04.01.10 को की गयी जबकि मस्टर रोल अनुसार कार्य 27.11.09 को पूर्ण किया जा चुका था। इससे स्पष्ट है कि वित्तीय आपूर्ति 1,22,281.00 उपभोग नहीं किया गया। जिसकी वसूली कार्य प्रभारी अवधेश सिंह से अपेक्षित है।

आ0सं0 13(4)

48-क्षेत्र पंचायत हसवा द्वारा इमातपुर में भूइया बाबा मेरिट से कल्लू रेंदास व छोटकू रेंदास के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य कराया गया। जिसके अन्तर्गत वित्तीय आपूर्ति अनूप सिंह ठेकेदार अनूप सिंह द्वारा बिल संख्या 48 दिनांक 04.01.10 से आपूर्ति की गयी जो रू0 1,44,224 का था। मस्टर रोल से स्पष्ट है कि कार्य 27.11.09 को पूर्ण हो गया है। अतः स्पष्ट है कि इस कार्य में द्वितीय आपूर्ति सामग्री का उपभोग नहीं हुआ है। अतः 1,44,224.00 की वसूली कार्य प्रभारी अवधेश सिंह कार्य प्रभारी ग्राम विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

(आ0सं0 12)

4.3— ग्राम पंचायतों के अनिस्तारित महत्वपूर्ण आपत्तियों का विवरण

1—ग्राम पंचायतों के वर्ष 2009—10 की लेखा परीक्षा में निर्गत विशेष प्रतिवेदनों का मण्डलवार विवरण इस प्रकार है—

क्र0सं0	सम्भाग का नाम	जनपद	ब्लाक	ग्राम पंचायत	आपत्तियों की संख्या	कुल सन्निहित धनराशि	अपहरण	संतोषजनक परिपालन		अभ्युक्ति
								अपहरण	धनराशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	इलाहाबाद	इलाहाबाद	धनूपुर	कलना	2	28800	28800			
2		इलाहाबाद	धनूपुर	रामापुर	2	50950				
3		इलाहाबाद	धनूपुर	भूई	6	135000	135000			
4		इलाहाबाद	धनूपुर	शाहीपुर	2	30000	30000			
5		इलाहाबाद	मेजा	बंघवा	1	102800	102800			
6		इलाहाबाद	मेजा	मईकला	1	137000	137000			
7		इलाहाबाद	मेजा	भसुन्दर खुर्द	1	152000	152000			

8		इलाहाबाद	मेजा	विसहि जनकला	1	253050	253050			
9		इलाहाबाद	मेजा	सलैया खुर्द	1	346910	346910			
10		इलाहाबाद	सैदाबाद	सेरुआ	2	20000	20000			
11		इलाहाबाद	जसका	रेरा	1	94000	94000			
12		इलाहाबाद	जसका	क्षेमरा कलवना	1	146000	146000			
13			कौधियावा	नौगवां	2	360000	360000			
14			कौधियावा	जेदूपुर	1	48000	48000			
15			कौड़िहार	भगवतपुर	1	284485	284485			
16			कौड़िहार	हथिगहां	2	107500	107500			
17			चका	ददकीता नैनी ददरी	1	30000	30000			
19			चाका	लवायन खुर्द	1	28000	28000			
20			शंकरगढ़	लखनपुर	1	14800	14800			
21			शंकरगढ़	पांसी	1	40000	40000			
22			कौड़िहार	हथिगहां	4	123000	123000			
23			चका	कला	2	75000	75000			

क्र०सं०	सम्भाग का	जनपद	ब्लाक	ग्राम पंचायत	आपत्तियों की	कुल सन्निहित	अपहरण	संतोषजनक परिपालन	अभ्युक्ति
---------	-----------	------	-------	--------------	--------------	--------------	-------	------------------	-----------

	नाम				संख्या	धनराशि		अपहरण	धनराशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मेरठ	गाजियाबाद	मुरादानगर	सिखेड़ा हजारी	6	108220	108220			
2	मेरठ	गाजियाबाद	मुरादानगर	रोशनपुर सलेमाबाद	3	178161	178161			
3	मेरठ	गाजियाबाद	मुरादानगर	पैगा	5	218073	218073			
4	मेरठ	गाजियाबाद	मुरादानगर	हुसैनपुर	1					
5	मेरठ	गाजियाबाद	मुरादानगर	मिलक रावली	7	86750	86750			
6	मेरठ	गाजियाबाद	मुरादानगर	जलालपुर रघुनाथपुर						
7	मेरठ	गाजियाबाद	खतौली	कढ़वी	2	15000	15000			
8	मेरठ	गाजियाबाद	खतौली	सराय रसूलपुर	2	60000	60000			
9	मेरठ	गाजियाबाद	खतौली	हुसैनपुर बोपड़ा	1	11000	11000			
10	मेरठ	गाजियाबाद	मुरादानगर	मिलक चाकरपुर	1	25000	25000			

क्र०सं०	सम्भाग का	जनपद	ब्लाक	ग्राम पंचायत	आपत्तियों की	कुल सन्निहित	अपहरण	संतोषजनक परिपालन	अभ्युक्ति
---------	-----------	------	-------	--------------	--------------	--------------	-------	------------------	-----------

	नाम				संख्या	धनराशि		अपहरण	धनराशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	गोरखपुर	देवरिया	सदर	डुमरिया लाल	5	120036	120036			
2	गोरखपुर	देवरिया	भलुअनी	फुलवरिया लाला	8	322512	322512			
3	गोरखपुर	देवरिया	भलुअनी	गड़ेर	4	580017	580017			
4	गोरखपुर	देवरिया	भलुअनी	मिक्षौली उर्फ तरौली	5	167858	167858			
5	गोरखपुर	देवरिया	गौरी बाजार	मोहन मठ	1	20000	20000			
6	गोरखपुर	देवरिया	पनकटा	जधुआ	1	20000	20000			
7	गोरखपुर	देवरिया	सलेमपुर	डुमवलिया	1	20000	20000			
8	गोरखपुर	देवरिया	भलुअनी	कुसुम्हा	4	43456	43456			

क्र०सं०	सम्भाग का नाम	जनपद	ब्लाक	ग्राम पंचायत	आपत्तियों की संख्या	कुल सन्निहित धनराशि	अपहरण	संतोषजनक परिपालन		अभ्युक्ति
								अपहरण	धनराशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मुरादाबाद	रामपुर	चमरौआ	कोयला	9	578011	578011			

क्र०सं०	सम्भाग का नाम	जनपद	ब्लाक	ग्राम पंचायत	आपत्तियों की संख्या	कुल सन्निहित धनराशि	अपहरण	संतोषजनक परिपालन		अभ्युक्ति
								अपहरण	धनराशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	झांसी	हमीरपुर	सरीला	उपरहकां	1	123000	123000			

क्र०सं०	सम्भाग का नाम	जनपद	ब्लाक	ग्राम पंचायत	आपत्तियों की संख्या	कुल सन्निहित धनराशि	अपहरण	संतोषजनक परिपालन		अभ्युक्ति
								अपहरण	धनराशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	फैजाबाद	फैजाबाद	तारून	सीहीपुर	4	383080	57090			
2		फैजाबाद	हैरिंग्टनगंज	रुरुखास	3	432502	432502			
3		फैजाबाद	मवाई	रतनपुर	2	84400	84400			
4		फैजाबाद	मवाई	जैसुखपुर	1	12215	12215			
5		फैजाबाद	हैरिंग्टनगंज	लक्ष्मणपुर ग्रंट	2	477091	477091			
6		फैजाबाद	हैरिंग्टनगंज	पनसपुर सथरा	1	236580	236580			
7		फैजाबाद	मवाई	कुशहवी	4	269256	269256			
8		फैजाबाद	मवाई	भदमऊ	3	159900	159900			

				नकामठापुर						
9		फैजाबाद	मवई	कुशहरी	4	269256	269256			
10		फैजाबाद	मया बाजार	रेवरी	3	373876	373876			
11		फैजाबाद	मया बाजार	उनियार	3	254910	254910			
12		फैजाबाद	मया बाजार	बोधीपुर	5	756948	756948			
13		फैजाबाद	मया बाजार	आलापुर	4	221600	221600			
14		फैजाबाद	मवई	सैदपुर	5	721715	721715			
15		फैजाबाद	मवई	सिपरिया कोटवा	2	128493	128493			
16		फैजाबाद	मवई	नौगवाडीह	6	177470	177470			
17		फैजाबाद	हैरिंगनगंज	खड़मड़िया	4	242012	242012			
18		फैजाबाद	बीकापुर	मजरुददीनपुर	8	381379	381379			

क्र०सं०	सम्भाग	जनपद	ब्लाक	ग्राम	आपत्तियों	कुल	अपहरण	संतोषजनक परिपालन	अभ्युक्ति
---------	--------	------	-------	-------	-----------	-----	-------	------------------	-----------

	का नाम			पंचायत	की संख्या	सन्निहित धनराशि		अपहरण	धनराशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	फैजाबाद	बाराबंकी	निन्दूरा	बुढ़ना	2	2289802	2289802			
2		बाराबंकी	निन्दूरा	अटहरा	1	70300	70300			
3		बाराबंकी	निन्दूरा	डिगरी	1	390400	390400			
4		बाराबंकी	निन्दूरा	ओदार	2	905565	905565			
5		बाराबंकी	निन्दूरा	सरसवाँ	2	710995	710995			
6		बाराबंकी	निन्दूरा	अनवारी	1	1290660	1290660			
7		बाराबंकी	निन्दूरा	लिलौली	5	435570	435570			
8		बाराबंकी	निन्दूरा	टिकरा	3	396820	396820			
9		बाराबंकी	निन्दूरा	शाहपुर बाक्सोलिया	2	245085	245085			
10		बाराबंकी	निन्दूरा	गंगोली	2	270740	270740			
11		बाराबंकी	निन्दूरा	अगासण्ड	1	205275	205275			
12		बाराबंकी	निन्दूरा	महमूदपुर बनौगा	1	731863	731863			
13		बाराबंकी	निन्दूरा	गुग्गौर	1	161240	161240			
14		बाराबंकी	निन्दूरा	कसगाँव	2	285500	285500			

15		बाराबंकी	निन्दूरा	छिलगवां	1	192275	192275			
16		बाराबंकी	निन्दूरा	पण्डवी	1	258802	258802			
17		बाराबंकी	निन्दूरा	अखईपुर	5	889160	889160			
18		बाराबंकी	निन्दूरा	पलिया	5	336037	336037			
19		बाराबंकी	निन्दूरा	देवकां	1	470446	470446			
20		बाराबंकी	निन्दूरा	सिंगतरा	5	424486	424486			
21		बाराबंकी	निन्दूरा	बजगहनी	2	8983	8983			
22		बाराबंकी	निन्दूरा	बैना टीकरहार	3	358701	358701			
23		बाराबंकी	निन्दूरा	खण्डसरा	5	600326	600326			
24		बाराबंकी	निन्दूरा	बुढना	2	2289802	2289802			
25		बाराबंकी	त्रिवेदीगंज	जैकास	4	1437099	1437099			
26		बाराबंकी	त्रिवेदीगंज	मोहम्मदपुर	1	10000	10000			
27		बाराबंकी	त्रिवेदीगंज	कान्दपुर	3	11508	11508			
28		बाराबंकी	त्रिवेदीगंज	परीवां	13	1436152 .35	1436152 .35			
29		बाराबंकी	मसौली	ज्योरी	1	10500	10500			
30		बाराबंकी	सिद्धौर	जरगंवा	1	9000	9000			
31		बाराबंकी	हैदरगढ़	सरायगोभी	4	1766971	1766971			

32		बाराबंकी	हैदरगढ़	रानीपुर	3	54077	54077			
33		बाराबंकी	हरख	पारादीपू	1	10002	10002			
34		बाराबंकी	हरख	तेजवापुर	2	130000	130000			
35		बाराबंकी	सिकौली गोरखपुर	मोहम्मदपुर वाहू	3	62796	62796			
36		बाराबंकी	दरियाबाद	मेहोना	2	37566. 50	37566. 50			
37		बाराबंकी	दरियाबाद	पतुल्की	1	3300	3300			
38		बाराबंकी	पूरे डलई	सराय सैफ	4	39169	39169			
39		बाराबंकी	पूरे डलई	कोदरी गौरिया	1	9480	—			
40		बाराबंकी	छेवा	पहाड़पुर कुतलपुर	2	175675	175675			
41		बाराबंकी	छेवा	जुबरीखुर्द	3	819500	819500			
42		बाराबंकी	दरियाबाद	सैदखानपुर	1	87149. 50	—			
43		बाराबंकी	त्रिवेदीगंज	भितरी	1	50750	50750			
44		बाराबंकी	निन्दूरा	काजीवेहटा	1	308200	308200			
45		बाराबंकी	निन्दूरा	बड़ागांव	1	147500	147500			
46		बाराबंकी	दरियाबाद	पतुल्की	1	3300	3300			

47		बाराबंकी	त्रिवेदीगंज	मंक्षार	14	1078151	1078151			
48		बाराबंकी	दरियाबाद	कयामपुर	1	11400	11400			
49		बाराबंकी	निन्दूरा	दरावाँ	5	985326	985326			
50		बाराबंकी	निन्दूरा	उमरा	3	324100	324100			
51		बाराबंकी	निन्दूरा	हिदायतपुर सिपाह	3	593580	593580			
52		बाराबंकी	निन्दूरा	सैदर	2	418000	418000			
53		बाराबंकी	त्रिवेदीगंज	गौरवा उस्मानपुर	6	387474	387474			

1		अम्बेडकर नगर	अकबरपुर	कजरी जमालुद्दीनपुर	1	34000	34000			
2		अम्बेडकर नगर	अकबरपुर	हसनपुर जलालपुर	2	36557	36557			
3		अम्बेडकर नगर	अकबरपुर	कौरा	2	47750	47750			
4		अम्बेडकर नगर	अकबरपुर	चांदपुर भटपुरा	1	211260	211260			
5		अम्बेडकर नगर	जहांगीरगंज	तिहाड़तपुर	1	506500	506500			

6		अम्बेडकर नगर	जहांगीरगंज	देवचंदपुर	5	826338	826338			
7		अम्बेडकर नगर	टकवरपुर	केशवपुर	4	65050	16100			
क्र०सं०	सम्भाग का नाम	जनपद	ब्लाक	ग्राम पंचायत	आपत्तियों की संख्या	कुल सन्निहित धनराशि	अपहरण	संतोषजनक परिपालन		अभ्युक्ति
								अपहरण	धनराशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	वाराणसी	गाजीपुर	मदह	विहरा	5	109295	109295			
2		चन्दौली	सकलडीहा	महादेवपुर	2	1574827	1574827			
3		वाराणसी	काशी विधापीठ	सुसुवाही	2	51877	51877			
4		वाराणसी	धानापुर	इनायतपुर	2	553700	553700			
5		चन्दौली	सकलडीहा	सहरोई	3	86120	86120			
6		वाराणसी	काशी विधापीठ	करोदी	2	25880	25880			
7		चन्दौली	सकलडीहा	खगवल	4	208317	208317			
8		चन्दौली	सकलडीहा	भोजापुर	2	963640	963640			
9		चन्दौली	सकलडीहा	नसीरपुर पट्टन	2	49650	49650			
10		चन्दौली	सकलडीहा	गंजखाजा	3	193540	193540			
11		मीर्जापुर	नारायणपुर	जलालपुर मौफ़ी	1	1160634	1160634			
12		चन्दौली	चहनियाँ	सराय	2	139260	13000			

13		चन्दौली	नौगढ़	जयमोहनी	1	240500	240500			
14		चन्दौली	चहनियों	पूरा सुनहौला	2	34820	34820			
15		चन्दौली	नौगढ़	परसिया	1	84000	—			
16		गाजीपुर		फतेहपुर						
क्र०सं०	सम्माग का नाम	जनपद	ब्लाक	ग्राम पंचायत	आपत्तियों की संख्या	कुल सन्निहित धनराशि	अपहरण	संतोषजनक परिपालन	६	
								अपहरण		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	लखनऊ	लखीमपुर खीरी	बकगंज	ग्रन्ट न० 14	4	597451	597451			
2		लखीमपुर खीरी	लखीमपुर	सिसौना	3	18447	18447			
3		लखीमपुर खीरी	कुम्भी (गोला)	बेलवा	1	285600	285600			
4		लखीमपुर खीरी	बकगंज	रोशन नगर	3	1510997	1510997			
5		लखीमपुर खीरी	बकगंज	बाबरपुर	4	430286	430286			
6		लखीमपुर खीरी	बकगंज	बनबुघौली	4	471396	471396			

7		लखीमपुर खीरी	बकेगंज	ग्रान्ट डाटपुर	4	3573286	3573286		
8		लखीमपुर खीरी	पसगवाँ	भूड़ा	1	32891	—		
9		लखीमपुर खीरी	कुम्भी (गोला)	रायपुर	1	2800738	2800738		
10		लखीमपुर खीरी	पसगवाँ	इब्राहिमपुर	1	32750	—		
11		लखीमपुर खीरी	कुम्भी (गोला)	हैदराबाद	1	1193288	1193288		
12		लखीमपुर खीरी	कुम्भी (गोला)	मूड़ा खालसा	1	799200	799200		
13		लखीमपुर खीरी	कुम्भी (गोला)	गरदहा	1	1135510	1135510		
14		लखीमपुर खीरी	लखीमपुर	लखीमपुर देहात	1	38199	38199		
15		लखीमपुर खीरी	लखीमपुर	सेहरूआ	2	39000	39000		
16		रायबरेली	सरेनी	विशालपुर	1	9000	9000		
17		रायबरेली	सरेनी	कुटिया सतमाली	1	18000	18000		
18		रायबरेली	बछगौवा	कन्नावी	2	27066	27066		
19		रायबरेली	बछगौवा	रानीखेड़ा	2	49653	49653		
20		रायबरेली	सतौव	कोन्सा	3	1788138	1788138		
21		लखीमपुर खीरी	फलबेहड़	हजरतपुर	13	1174046	660552		
22		लखीमपुर खीरी	कुम्भी (गोला)	परसेहरा	6	295660	295660		
23		लखीमपुर खीरी	फलबेहड़	गंगा बेहड़	2	452285	256176		

24		रायबरेली	हरचन्दपुर	प० गोंव					
25		रायबरेली	डलमऊ	उमरामऊ					
26		रायबरेली	श्राही	बन्दरा मऊ					
27		उन्नाव	हिलौली	खेरवा	1	168580	168580		
28		उन्नाव	हिलौली	जेरा	1	17583	17583		

1- निर्माण/मरम्मत कार्य में दर्शित व्यय के सापेक्ष सामग्री केय प्रमाणक, मजदूरी भुगतान के मस्टर रोल आदि जांच में प्रस्तुत न किये जाने के कारण अनियमित भुगतान:- ग्राम पंचायतों द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनेकों निर्माण/मरम्मत का कार्य कराया जाता है। आडिट में इन कार्यों के सापेक्ष सामग्री केय से सम्बन्धित प्रमाणक (बिल, प्रोफार्मा इनवाइस, चालान पत्र आदि) तथा मजदूरी भुगतान की पुष्टि में मस्टर रोल आदि महत्वपूर्ण प्रमाणक जांच हेतु प्रस्तुत न किए जाने से निर्माण/मरम्मत कार्य किए जाने की पुष्टि नहीं होती। इस प्रकार फर्जी कार्य दर्शाकर या वास्तविक कार्य से अधिक कार्य दर्शाकर धनराशि के अपहरण/दुरुपयोग/अधिक व्यय किए जाने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुवल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) में दिये गये प्राविधानुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी।" निम्नांकित ग्राम पंचायतों में निर्माण/मरम्मत कार्य से सम्बन्धित उक्त महत्वपूर्ण अभिलेख/बाउचर्स प्रस्तुत नहीं किए गए-जिसमें रु० 1751.89 लाख की धनराशि सन्निहित है। ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी हैं। जिसके प्रति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

2	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	सन्निहित धनराशि	आपत्ति संख्या
3		4	5	6	7
	फतेहपुर	मिटौरा	रहमत दौलतपुर	392265.00	9
	कानपुरनगर	चौवेपुर	जरारी	670678	7,8,9,10
		चौवेपुर	खडगपुर	296163	7,8,9,10
		चौवेपुर	कला	3833532	7,8,9,10
		चौवेपुर	इन्दलपुरजुगराज	495622	7,8
		चौवेपुर	विरैचामऊ	494335	7,8,9,10

	चौवेपुर	प्रधानपुर	967646	8,9,10
कानपुरदेहात	रसूलाबाद	महेरा	212250	22 / 2
मुरादाबाद	बिलारी	सयोहारा	177708	21,24,27
	बिलारी	बमपुरा	102074	24
	बिलारी	सिसौनातारापुर	84400	21,24,25
	बिलारी	सिहोलीलड्डा	123059	20,21
	ठाकुरद्वारा	नन्दूवाला	285927	18,19
	ठाकुरद्वारा	रतूपुरा	1909500	18
	ठाकुरद्वारा	राजपुरकला	108500	18,20
	ठाकुरद्वारा	शहबाजपुरकला	134208	19
	ठाकुरद्वारा	कैज्जुलागंज	64950	19
	ठाकुरद्वारा	कुडेसरा	260770	18,19
	मुढापाण्डे	बूजपुरआशा	63818	31से35
	मुढापाण्डे	मानपुरपट्टी	36227	32,33
	मुढापाण्डे	धतूरामेघानगला	97931	31से 36
	भगतपुरटौंडा	पीपलसाना	258000	31
	भगतपुरटौंडा	चांदपुर	321179	31,32,34
	ठाकुरद्वारा	रानीनागल	349358	31से39
	ठाकुरद्वारा	प्रतापपुर	508500	18
	ठाकुरद्वारा	बालापुर	97362	18
	ठाकुरद्वारा	लौंगीकला	285500	18
	ठाकुरद्वारा	रुद्रपुरटेडौला	627275	18,19
	थ्वलारी	सकीलपुर	85000	21
	बनियाखेडा	भिन्डकारी	3526	21,23
	बनियाखेडा	मीकनपुर कुडैया	93325	18,19
जे0पी0नगर	टमरोहा	नानकनगली	21900	1,2
	टमरोहा	पीपडाकला	23375	1,2

	टमरोहा	अहरोईमाफी	18000	2
	जेमा	डिडौली	124000	19
	गंगेश्वरी	कोकापुर	8698224	19,21
	गंगेश्वरी	पथरायवत्तकमपुर	2242540	1,2
	गंगेश्वरी	डुल्हेपुरपट्टी	8794702	19,27,21
विजनौर	नूरपुर	रतनगढ	7378	1
	मौ०पुरदेवमल	कासमपुरकपाराम	81596	18
	मौ०पुरदेवमल	शादीपुर	37750	19
	मौ०पुरदेवमल	भरुका	106000	24
	मौ०पुरदेवमल	फरीदपुरदर्गी	64000	24
	मौ०पुरदेवमल	मिर्जापुरमहेश	80000	24
	मौ०पुरदेवमल	भगैन	11640	19
गोरखपुर	पिपरौली	बरहुआ	86500	17, 18,19
	बडहलगल	पोहिला	48300	35
	सरदारनगर	बरईपार	118800	1बी, 1डी
	सरदारनगर	बाल बु०	5300	1सी
देवरिया	बैतालपुर	चिउरहा खास	107029	23
	रामपुरकारखाना	चौदपुर	28450	3,4
	रुद्रपुर	महदहा	560014.37	1से 6
	भटनी	करमौता ठाकुर	95968	0
		पोखराभिन्डा		
	रामपुरकारखाना	नागमर	233000	0
	रामपुरकारखाना	पाण्डेयपुर	310228	0
				0
	रामपुरकारखाना	डिहाबसन्त	17020	
कुशीनगर	हाटा	कुरमौटा	47480	3

		मदरहा	259200	1
		करमही	1065600	2
		करमही	114960	3
		करमही	21600	4
	तमकुही	गौरीगरोत्तम	588045	5,8
		बनरहा पुरवही	381060	1
		विशुनपुरा	1835745	6,8,9,10
		भरवलिया	581917	9,10
महाराजगंज	फरेन्दा	पचरुथी	469744	18
	सिरुवा	बंदी बेलासपुर	91080	14
	परतावल	बेरलाई	0	14 से 17
	परतावल	गोधवल	0	14 से 16
	परतावल	सेमराचंदौली	0	14 से 25
	सदर	लखिमाथरूआ	48300	2
	सदर	लखिमाथरूआ	6350	3
सिद्धार्थनगर	बर्डपुर	बर्डपुर नं0 9	71135	13
	बर्डपुर	बर्डपुर नं0 6	29440	12
	लोटन	चनरैया	242999	13
बस्ती	बहादुरपुर	रोझिया	81375	3

	मेरठ	परीक्षितगढ़	मिमका	131340	17
		मेरठ	फफूडा	696595	12,13,14
		दौराला	महलका	617620	12,13,14
		दौराला	महल	1164626	3,4,5,6
		मवाना	नंगलीईशा	447702	10,11
		माछरा	मुबारिकपुर	241194	1
		माछरा	शाहकुलीपुर	101200	2
		माछरा	जई	332000	3
		हस्तिनापुर	रहमापुर	248700	4,5,6,9
		परीक्षितगढ़	समसपुर	1536034	14,15,16
	बागपत	बागपत	पावला	3977524	3,4
	मु०नगर	सदर	सिलागुडडी	4650	26
	सहारनपुर	ननौता	लढौरा	306811	25
			तिलफरा	207880	2,3
			मांग	1492680	2,3
			दादनपुर	148251	24
			खुडाना	1375890	2,3
			भैस राऊ	333785	24,25
			बडुलीनयागांव	366698	24,25,26
			शिमलाना	432000	26,28
	आजमगढ़	मिर्जापुर	मिर्जापुर	55384	
		रानी की सराय	वढ़ाया	56000	11

	पव्हकी	लक्षिरामपुर	90026	3
	पव्हकी	लक्षिरामपुर	50000	2
	पव्हकी	नीष्ठी	63140	5
		सैदपुर	167788	4
बाराबंकी	मसौली	मुश्कीनगर	55500	2
बाराबंकी	मसौली	मोदमदपुरवाला	1329687	10
बाराबंकी	मसौली	मधवाजलावपुर	320465	10
बाराबंकी	मसौली	अल्हिक	79963	10
बाराबंकी	श्रामनगर	हसनपुर	231507	8
बाराबंकी	श्रामनगर	रामपुरमहासिंह	1999926	9
बाराबंकी	श्रामनगर	थावखुर्द	258217	9
बाराबंकी	श्रामनगर	परसावल	401633	1
फैजाबाद	हेरिशगंज	रेवना	2076609	4,6,7,8,11,12,
फैजाबाद	हेरिशगंज	कदनपुर	734838	2
फैजाबाद	हेरिशगंज	कीहपुरबीरवल	2612230	4,5,6,7
फैजाबाद	हेरिशगंज	जसवारखुर्द	786945	1

फैजाबाद	हरिश्चगंज	हरीरामपुर	2366892	1,2,3
यहराइच	रिसिया	बगलाचक	300036	
	रिसिया	भुलवाभकुरहॉ	27300	
	रिसिया	भुलवाभकुरहॉ	73390	
	शिवसर	तिगड़ा	357766	8
	नवाबगंज	साहजना	177696	5
	नवाबगंज	सैहदनियां	283952	9
	नवाबगंज	सैहदनियां	16500	14
	नवाबगंज	जमुनहानौबास्ता	79880	12
	नवाबगंज	जमुनहानौबास्ता	152495	15
	पयागपुर	शम्भूटिकरी	132000	12
	पयागपुर	शम्भूटिकरी	449472	14
	पयागपुर	अकरौरा	49200	0
	फरवाडर	टेढ़वा अली मिया	376724	9
	फरवाडर	खसरवा	106638	12
	फरवाडर	अजीजपुर	134663	9

	फरवाडर	अरईकला	85622	8
	फरवाडर	शरदपारा	258200	14
	फरवाडर	मिलौराकाजी	225210	11
	फरवाडर	बुबकापुर	477320	12
	फरवाडर	पट्टीकमालपुर	64700	12
	फरवाडर	नौबिस्ता	135600	9
	फरवाडर	साईगाँव	371680	12
	फरवाडर	गौरी	237812	10
	फरवाडर	पहलवारा	206562	0
	म्हसी	साधवापुर	370358	0
आवस्ती	सिरसिया	बभनी	370710	15,16,17
	सिरसिया	तेन्दुआरतनपुर	232120	9,14
	सिरसिया	संग्रामगंज	19000	14
	इरौना	कैलाशपुर	30000	12
	इरौना	कैलाशपुर	87000	13
	इरौना	मो०पुरराजा	80000	13

	इरौना	मो०पुरराजा	274150	12
	इरौना	इटौझा	45000	13
	इरौना	इटौझा	156200	14
	इरौना	इटौझा	146000	15
	इरौना	नरायनपुर	110000	13
	इरौना	हेमपुर	1816550	13
	इरौना	हेमपुर	316180	15
बौदा	बडोसर	पलरी	350112	3
बौदा	बडोसर	पलरी	2597052	4
बौदा	बडोसर	बडोखरखुर्द	3132739	8
बौदा	जसपुरा	पडेरी	319488	7
महोबा	जैतपुर	मदखारा	12280	19
चित्रकूट	कवी	भटकुरी	534210	4
चित्रकूट	कवी	भीसमपुर	998662	4
चित्रकूट	मऊ	इटवादेवीपुर	1425608	7
चित्रकूट	मऊ	मोहनी	1318091	7

बरेली	नवाबगंज	प्रेमपुर मुरारपुर	130958	34,22,3
बरेली	नवाबगंज	बड़ेपुरा	63600	28
बरेली	नवाबगंज	सम्मुह	38250	35
बरेली	नवाबगंज	फैजुल्लापुर	14959	19
बरेली	नवाबगंज	जौरहा	54250	19
बरेली	नवाबगंज	हरहरपुर	164080	19
बरेली	नवाबगंज	टाडासादत	49050	21
बरेली	नवाबगंज	पनुआ	19650	18
बरेली	नवाबगंज	हसा	4500	24
बरेली	नवाबगंज	चमननगरिया	77850	20
बरेली	नवाबगंज	कुआडाडा	50550	21
बरेली	नवाबगंज	बरौर	64800	23
बरेली	नवाबगंज	लम्बेखेड़ा	13500	12
बरेली	नवाबगंज	मसीत	31450	20
बरेली	नवाबगंज	हिमकरा	13500	20
बरेली	नवाबगंज	रिछोला	49500	23

बरेली	नवाबगंज	सेयादपुर	9600	22
बरेली	नवाबगंज	रसूला	23000	23
बरेली	नवाबगंज	आसपुर	50180	30
मिर्जापुर	छानवे	रन्नोपट्टी	33000	2
मिर्जापुर	राजगढ़	कुन्दरूक	5850	2
मिर्जापुर	राजगढ़	कुन्दरूक	35500	3
मिर्जापुर	राजगढ़	भीटी	4915	2
मिर्जापुर	राजगढ़	भीटी	10800	3
मिर्जापुर	लालगंज	सोनभर्षा	736695	1
मिर्जापुर	लालगंज	थरपरसिया	195080	1
मिर्जापुर	लालगंज	मेढ़रा	232210	2
मिर्जापुर	नरायनपुर	भूजडीज	410000	2
मिर्जापुर	नरायनपुर	जलालपुर माफी	145933	1क
मिर्जापुर	नरायनपुर	गौगपुर	566125	2क
मिर्जापुर	नरायनपुर	मोहिउद्दीन	145000	2
मिर्जापुर	कीन	गडगेडी	322500	2

मिर्जापुर	हलिया	वेदउर	1329950	3
मिर्जापुर	हलिया	बबुरारधुनाथसिंह	590000	3
मिर्जापुर	नरायनपुर	नियमताखुर्द	26029	2क
मिर्जापुर	जमालपुर	घुरिया	13500	3
मिर्जापुर	जमालपुर	घुरिया	21000	4
मिर्जापुर	लालगंज	तेन्दुहनी	790990	1
मिर्जापुर	मझना	आही	3248062	2
मिर्जापुर	मझना	दामोदारपुर	1260310	2
मिर्जापुर	लालगंज	बसराराजा	172652	2
मिर्जापुर	हलिया	वराया	443923	3,4,6,7,9,10
मिर्जापुर	सिद्धीउ	बगहा	742000	2
मिर्जापुर	नरायनपुर	घाटमपुर	391500	2
मिर्जापुर	चेलापुर	लाखी	12000	1
मिर्जापुर	सेवरापुर	ओदरहा	30000	1
मिर्जापुर	अराजीलाइन	शहशाहपुर	49815	1
मिर्जापुर	चेलापुर	धरसौन	19625	1

गाजीपुर	कासिमाबाद	टौंडरा	27632	57,75,16,17, 26
गाजीपुर	मदौरा	भक्सी	5300	2,3
गाजीपुर	सादात	बीरभान	160000	2,3
गाजीपुर	सदर	भटौली	38454	3
गाजीपुर	जखनिया	रेवड़िया	47000	0
गाजीपुर	देवकली	चकोरिउपरवार	87160	22,23
गाजीपुर	कासिमाबाद	बडौरा	940539	19
गाजीपुर	देवकली	घरीखुर्द	14789	19,23,29,30, 35,32
गाजीपुर	मुहम्मदा	कठउत	2384901	5
गाजीपुर	देवकली	कोरियाडिहा	171360	7से 18
गाजीपुर	कासिमाबाद	सबना	392558	19,20
भदोही	औराई	चकमासूद	403509	2
भदोही	ज्ञानपुर	पाली	148500	1
भदोही		सहसापुर	154882	1
भदोही				

चन्दौली	सकलडीहा	दुदौली	25000	1
चन्दौली	सकलडीहा	जीवनपुर	13660	1
चन्दौली	नियमताबाद	पचोखर	3419000	4
चन्दौली	नियमताबाद	दुलहीपुर	26060	1
चन्दौली	नियमताबाद	भोजपुर	64700	1
चन्दौली	नियमताबाद	चौरहट	172650	1
चन्दौली	नियमताबाद	बरबरा	229639	1
चन्दौली	नियमताबाद	मठिया	95354	1
चन्दौली	चकिया	सोमहुल	32880	1
चन्दौली	चकिया	गढ़वाउ	22960	1
चन्दौली	नौगढ़	जयमोहिनी	459720	1
चन्दौली	शाहबगंज	पड़रिया	10800	1
चन्दौली	शाहबगंज	जगुरी	40000	1
चन्दौली	चन्दौली	बिरछेकुला	550758	1,2
चन्दौली	चन्दौली	धरीकटे	40000	1,2
चन्दौली	घानापुर	अमोदपुर	17000	1

	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	सन्निहित धनराशि (हजार रु० में)	आपत्ति संख्या	अभ्युक्ति
2	3	4	5	6	7	8
	इलाहाबाद	शेररगढ	लखनपुर	97735	3	
		प्रतापुर	जंधई	201310	4	
			जंधई	399779	4	
			बगरहाहावसाड	3000	10	
			मेलरवा	369640	7	
			उमापुर	148269	10	
			पूरेविक्रम शाह	108180	4	
			अनुवा	369370	10	
			बारी	169780	5	
			रिदुआ	97500	3	
			पूरेमिश्र	3350	3	
	कौशाम्बी	मूरतगंज	पट्टीनरवर	3050	9	
		मूरतगंज	अशोक पुर	755357	3	

		मूरतगंज	ग्रामीण भरवारी	554702	3	
		मूरतगंज	मारुफपुर	438878	3	
		मूरतगंज	असदुल्लापुर रोही	186987	2	
	फतेहपुर	भिटौरा	रहमतदौलतपुर	10820	5	
		देवकई	कृपालपुरविघोर	60450	2	
		देवकई	कौडिया	68170	3	
					4	
		खजुहा	गढी	184760		
	प्रतापगढ़	सडवाचन्द्रिका	दादूपुरदौलतपुर	669250	2	
		रामपुरसंग्रामगढ़	सरायसंग्रामसिंह	63750	2	
		बिहार	स्मसपुर दामू	63510	2	
		शिवगढ़	सराय जमुनी	43380	2	
		मान्धाता	उसरापुर	29490	3	
		सदर	करनपुर	370268	2	
		सदर	सगरा	127453	2	

	कानपुरदेहात	रसूलाबाद	दहेली	1000	16 / 2	
		रसूलाबाद	खेडा कुर्सी	58050	19 / 3	
	फर्रुखाबाद					
	कन्नौज					
	इटावा	सैफई	यरा	3840	8	
			रामेत	2000	23	
	जे.पी.नगर	धनौरा	पथरपुर	9540	19,19अ 19ब	
	रामपुर	-	-	-	-	
	विजनौर	मी.पुरदेवमल	गजरौलाशिव	39950	19,20	
	गोरखपुर	जंगल कौडिया-	उसका	40000	17	
		जंगल कौडिया	बुढियारीयारी	24000	17	
		कैम्पियारगंज	चौमुख	40994	19	
		कैम्पियारगंज	मु०उ० हगना	100000	19	
		बेलघाट	दभनौली	74000	0	
		बेलघाट	ढाबिया	58500	0	
		उरुआ	मरचा	204718	21	

		उरुआ	बिरई बु०	49218	21	
		खजनी	खुटहन	25000	21	
		खजनी	रामपुरपाण्डेय	52500	21	
		पाली	मटियासी	51237	0	
	देवरिया	रामपुरखाना	चांदपुर	100220	2,8	
		रामपुरखाना	गौतमचक्रमाठिया	307128	5,6,7	
		भलुअनी	फतेहपुर	617858	21से 26	
		भटनी	सिघहीडीह	132690	22	
		भटनी	खैराट	1400	22	
	कुशीनगर	रामकोला	लालाछपरा	1725328	1,2,3	
		रामकोला	तरकुलवा	258528	4,5,6	
		विशुनपुरा	हिरनही	1600	2	
		तमकुही	कोइन्दी बुजुर्ग	245339	10	
		तमकुही	लक्ष्मिया देवरिया	105000	3	
		तमकुही	बभनौली	177140	4	
		तमकुही	हरकुलयेलही	199220	2	

	महाराजगंज	सदर	चीपरिया	292834	22,24	
		सदर	दरौली	20000	27	
		धानी	पुरन्दरपुर	126171	17	
	मेरठ	परीक्षितगढ़	गेसूपुर	14793	16	
	मेरठ	मेरठ	चांदसाड़ा	537481	2	
	मेरठ	मेरठ	तृतीनाशानी	815604	2	
	मेरठ	मेरठ	निरहड़ा	1247869	2	
	मेरठ	हस्तिनापुर	लतीफपुर	690903	3,5,6,7,8,9,11,12,13, 14	
	मेरठ	हस्तिनापुर	रहमापुर	68954	2,3,8	
	बागपत	बागपत	लघवाडी	14625	3,4	
		बागपत	सिसाना	51280		
		पिलाना	गौसपुर	21500		
		पिलाना	पाची	1212596		

	सहारनपुर	ननौता	लण्डोरा	36840	26	
		ननौता	नोरा	183757	5	
		ननौता	सिमलाना	77855	25	
	मु०नगर	सदर	बहलना	79352	38(1)	
	अलीगढ़	चण्डौस	भोगपुर	108640	3	
		चण्डौस	बरका	282545	8	
		धनीपुर	कलाई	716780	5	
	उन्नाव	पुरवा	सेमरीमऊ	46581	13,14,15	
	रायबरेली	सरेनी	रावतपुरकला	99416	2,8	
		सरेनी	दुल्लापुर	64400	3,7	
		सरेनी	विशायकपुर	132200	6	
		राही	दरियापुर	820561	3,4,5,6	
		डलमऊ	पकरागिरफता	25800	3	
		बछरावा	कसरावा	77064	2	
		सिंहपुर	जुगराजपुर	152000	9	
	आजमगढ़	मोहम्मदपुर	आवक	17750	23	

		कोयलसा	लहरवार	51000	2	
		कोयलसा	डींगरपुरनिजाम	14460	2	
		पवई	रामनगर	32500	2	
		सठियाव	मुइनाबाद	95900	13	
		सठियाव	देवकी खाकस	91090	16	
		सठियाव	चकसिकही	80000		
		अहलौल	सजनी	8300		
		अहलौल	सजनी	700		
		अहलौल	सजनी	16600	13	
		अहलौल	सजनी	8300	14	
		अहलौल	सजनी	700	15	
		अहलौल	गोपालपट्टी	37700		
		अहलौल	गोपालपट्टी	72000		
		अहलौल	बेन्दुईखुर्द	267400		
		अहलौल	बेन्दुईखुर्द	34800		
		अहलौल	बेन्दुईखुर्द	5000		

		अहलौल	गौरी	36000		
		अहलौल	गौरी	10000	6	
		अहलौल	गौरी	2500	8	
		लालकेरा	अरबालपुर सहना	476660	9	
		लालकेरा	कटहरा	163320	2,3,5	
		लालकेरा	नारायनपुर नवादा	89654	2,3,4	
		लालकेरा	तरफकाजी	64000	2,3,4	
		रानी की सराय	बिठठलपुर	35000	4,5	
		रानी की सराय	खतीरपुर	8000	11	
		रानी की सराय	कोटवा	24398	13	
		रानी की सराय	चडई	34350	8	
		अतरौलिया	मडोही	30000	6	
		अतरौलिया	मुडेरा	59395	11	
		महराजगंज	नौबसर दे0	497000	1	
	बाराबंकी	पल्हनी	नीवी	5000	3	
		बंकी	श्वनरी	5000	3	

		बंकी	तेदुआरी	2500	22	
		बंकी	सन्दौलीउमर	1000	22	
	अम्बेडकर नगर	मढडा	पुन्थर	321519	9,10,11,12	
		मढडा	हसनपुरसुन्थर	38250	9	
		मढडा	हसनपुरसुन्थर	29500	4	
	बहराइच	देवीपाटन	बगलाचक	7500		
			बगलाचक	12319		
		शिवपुर	रिगडा	121690	9	
			रिगडा	45300	10	
		मिट्टीपुरक	चिकनियों	79800	12	
		पयागपुर	पुरवा	29722	5	
			शम्भूटिकरी	235740	9	
			शम्भूटिकरी	72800	11	
			शम्भूटिकरी	22000	14	
			लालपुर	18146	5	
			लालपुर	2016	7	

			अकरौरा	132600		
			अकरौरा	593590		
		फखरपुर	टेडवा अल्पी मिश्रा	76000	6	
			टेडवा अल्पी मिश्रा	206470	10	
			खपुरवा	39500	9	
			खपुरवा	127200	11	
			अजीजपुर	21300	6	
			अजीजपुर	37650	10	
			अजीजपुर	11000	11	
			अरईकला	20000	9	
			अरईकला	79320	11	
			शरदपाटन	65000	9	
			शरदपाटन	291850	11	
			भिलौराकाँजी	46595	9	
			भिलौराकाँजी	213220	11	
			बुवकापुर	279860	11	

			बुबकापुर	67000	9	
			पट्टीकमालपुर	66000	11	
			नौवस्ता	37115	6	
			नौवस्ता	44000	11	
			साईगांव	4250	13	
			साईगांव	18000	14	
			गौरी	81180	11	
			महसी	491810	0	
			सधुवापुर	148605	0	
	श्रावस्ती	सिरसिया	बमनी	90000	13	
			बमनी	5000	13	
			तेन्दुआरतनपुर	110000	4	
			तेन्दुआरतनपुर	9450	5	
			तेन्दुआरतनपुर	25000	6	
			तेन्दुआरतनपुर	20000	7	
			तेन्दुआरतनपुर	10000	8	

			संग्रामपुर	55000	15	
			कैलाशपुर	20100	11	
		इकोना	मो०पुरराजा	24250	13	
		इकोना	मो०पुरराजा	16000	14	
	झांसी	बंगरा	विजना	325980	28	
	जालौन	जालौन	देवरी	10100	5	
			मैनपुरा	9870	5	
			ऐदलपुर	41695	5	
			ऐदलपुर	101060	5	
			मलकपुरा	51815	5	
			द्वानीखास	31020	54	
			द्वानीखास	17250	54	
			सिहारीपडडया	61340	5	
			औरेखी	36290	5	
			शसहारीदाउदपुर	52590	5	
		कादौरा	खुरमिली	6996552	39	

		कादौरा	कुशमुराजबावली	1504959	39,40,41,42	
		कादौरा	कठपुरवा	344251	39	
	बादा	जसपुरा	सिधनकला	554550	6	
		जसपुरा	सिधनकला	4000	5	
	चित्रकुट	कर्वी	छिपरीबादखेडा	140700	4	
		कर्वी	पहाडियाबुजुर्ग	260262	5	
		कर्वी	पहाडियाबुजुर्ग	145774	5	
		कर्वी	मन्डौर	20000	5	
		मऊ	गढवा	120500	7	
			मनकुअर	367400	6	
			औझर	154449	9	
			पूरबपताई	248636	6	
			खंडेहा	2651468	7	
	अलीगढ	चण्डौस	भोगपुर	108640	3	
	अलीगढ	चण्डौस	बरका	282545	8	
	अलीगढ	धनीपुर	कलाई	716780	5	

	बरेली	नवाबगंज	रूपपुर	5250	1	
		नवाबगंज	पैगा	56900	1	
		नवाबगंज	खंजनपुर	7000	1	
		नवाबगंज	सतुइआ	51606	3	
		नवाबगंज	आसपुर	25650	4,5,6	
		नवाबगंज	खाईखेडा	7900	4,14,15,28,25,33,34	
	चन्दौली	चकिया	सोनहल	32800	5,4	
	चन्दौली	चकिया	गढवाउ	22960	1	
	वाराणसी	काशीविद्यापीठ	मडाव	179840	1	
	गाजीपुर	भदौरा	लहना	6000	3	
	गाजीपुर	मनिहारी	मलिकपुरा	19000	4,5,6	
	गाजीपुर	कासिमाबाद	टोडार	61750	2	
	गाजीपुर	भदौरा	भक्सी	12930	4,5	
	गाजीपुर	जमानिया	सबुलपुर	14000	3,5	
	गाजीपुर	कासिमाबाद	दुदौरा	175600	4,8,9	
	गाजीपुर	कासिमाबाद	बडौरा	71625	4	

	गाजीपुर	मुहम्मदाबाद	सवना	37750	10,25,33,36,40	
	गाजीपुर	भावरकोल	ज्ञानपुर	28000	2	
	मिर्जापुर	छानवे	गैपुरा	97050	2	
	मिर्जापुर	राजगढ	ददरा	52450	3	
			ददरा	30700	4	
			कुन्दरुक	117920	4	
			कुन्दरुक	73349	5	
		नरायनपुर	भीटी	93120	4	
			जलालपुरमाफी	73590	1ख	
			जलालपुरमाफी -	32433	1ग	
			गौगपुर	119580	2ख	
			गौगपुर	114496	2ग	
		कोन	तेन्दुई	95280	5	
		हलिया	गडगोडी	60100	3	
			वेदउर	114640	3	
			वेदउर	135500	3	

		हलिया	मतवार	504065	3	
			बुरारघुनाथसिंह	170100	3	
			बुरारघुनाथसिंह	244993	4	
		कोन	नियमत-खुर्द	25020	5	
		मडिहान	हसिगपुर	42000	2ख	
		लालगंज	घलवल	86912	3	
		मझवां	तेन्दुहनी	157320	2	
			आही	569600	1	
			आही	342700	2	
		लालगंज	दामोदरपुर	80400	2	
			बस्तराराजा	292590	2	
		हलिया	बरया	162550	3	
			बरया	110000	8	
		पहाडी	सिधौरा	249000	5	
		पहाडी	सिधौरा	129634	6	
	सोनभद्र	रावर्टसगंज	पकरी	41300	2	

		नगवा	ठोसरा	224940	2	
		राघर्टसगंज	बहुअर	2000	2	
			देवरीखुर्द	83750	2,3	
			चुके	3000	2	
		नगवा	पनौरा	109295	2	

3- भुगतान क्रय सामग्री का स्टॉक पंजिका में प्रविष्टि न कर धन/सामग्री का अपहरण किया गया:- ग्राम पंचायतों द्वारा विभिन्न योजनाओं के सुचारू रूप से संचालन के लिये विभिन्न प्रकार की सामग्री का क्रय किया जाता है। जिनमें कुछ का उपयोग निर्माण/मरम्मत हेतु किया जाता है जबकि अनकों क्रय सामग्री दिन प्रति दिन के कार्यों के सम्पादन में प्रयुक्त होती है। नियमों के अन्तर्गत सभी क्रय सामग्री की प्रविष्टि स्टॉक पंजिका में किया जाना आवश्यक होता है। बिना स्टॉक प्रविष्टि के क्रय सामग्री के वास्तविक क्रय की पुष्टि नहीं होती तथा फर्जी क्रम दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया जा सकता है।

निम्न विवरणानुसार विभिन्न ग्राम पंचायतों में क्रय सामग्री को स्टॉक पंजिका में प्रविष्टि नहीं किया गया है। जिससे क्रय हेतु व्यय की गयी धनराशि को फर्जी क्रय दर्शाकर रु0 का अपहरण किया गया। जिस हेतु सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

क्रमांक	सम्भाग	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	सन्निहित धनराशि (हजार रु0 में)	आपत्ति संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
12	इलाहाबाद	इलाहाबाद	प्रतापपुर	जंघई	168600	7	

			प्रतापपुर	जंघई	147501	2	
15		प्रतापगढ	पट्टी	नवरंगायाद	49500	2	
46	मुरादाबाद	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	असलालतपुरा	35000	18	
47			बनियाखेडा	भिन्डावारी	19560	22,24	
51	गोरखपुर	देवरिया	रामपुरकारखाना	चांदपुर	91800	6,10	
			रामपुरकारखाना	गौतमचक्रमाठिया	412604	24	
			रुद्रपुर	सारायबुजुर्ग	11030	3	
			भटनी	परसानी	6475	22	
			भटनी	खैराट	4000	21	
	कानपुर	फर्रुखाबाद	राजेपुर	फकरपुर	5000	17	
		कन्नौज	सौरिख	परौर	32500	51	
	लखनऊ	रायबरेली	सरेनी	दुल्लापुर	42420	2	
			सरेनी	विशायकपुर	25740	5	
			सरेनी	कोटियाएहमतमाल 1	114305	2,4,7	
			जगतपुर	कुसुमी	26300	6,7	
			जगतपुर	उड़वा	72200	2	
			जगतपुर	खजुरी	78349	9	
			जगतपुर	मनिहरशर्की	68403	5	
			डलमऊ	घोरवारा	78905	4	

			डलमऊ	रामपुरबसारा	136576	10,11	
			सिंहपुर	मिर्जागढ़	10150	4	
			सिंहपुर	सढिया	30000	7	
			सिंहपुर	पेडारा	70000	3	
			सिंहपुर	रस्तामऊ	29730	7	
			सिंहपुर	जिजोली	14800	6	
		सीतापुर	हरगाँव	मल्लापुर	8600	3	
			हरगाँव	उदनाकुरैथा	14000	6	
	आजमगढ	आजमगढ	मुहम्मदपुर	अषाढा	85000	1	
			मुहम्मदपुर	नन्दाव	100000	23	
			पल्हना	रामपुर	119220	0	
			पल्हना	रामपुरसालबहन	53058	0	
			सठियाँव	अभिको	41960	16	
			सठियाँव	अभिको	25000	17	
			सठियाँव	देवलीखालसा	21500	15	
			अहरीली	सजनी	16600	0	

			अहरोली	वेन्दुईबनाखुर्द	34800	0	
	फैजाबाद	बाराबंकी	फतेहपुर	मदनपुर	141031	11	
			फतेहपुर	भटुआमऊ	243400	11	
			फतेहपुर	रसूलपुर	36874	11	
			फतेहपुर	टार्डॉनिजामअली	38615	11	
			सूरतगंज	ज्योली	169800	10	
			सूरतगंज	मुहम्मदपुरखाला	86800	11	
			सूरतगंज	उतरावा	67950	2	
		फैजाबाद	हेरिजटनंउ	रेवना	659394	2	
			हेरिजटनंउ	पलियाप्रतापशाह	48332	3	
	झांसी	झांसी	बंगरा	कुआगांय	90000	32	
		ललितपुर	महरोली	कुआघोसी	33500	21	
		ललितपुर	मडावरा	परनामडावरा	37800	18	
	चित्रकुटधाम	बौदा	जसपुरा	खपटिहारखुर्द	1400	1	
		ळमीरपुर	मुस्करा	विवार	114969	20	
	वाराणसी	चन्दौली	नियमतायाद	पचोखर	3419000		

4- क्रय सम्बन्धी प्रक्रिया का पालन न करके अनियमित क्रय कर धनराशि को दुरुपयोग किया गया। ग्राम पंचायतों द्वारा सामग्री के क्रय में कोटेशन, टोन्डर आदि के नहीं लिये जाने के फलस्वरूप ग्राम पंचायतों को सामग्री क्रय में न्यूनतम दर का लाभ मिलने की पुष्टि नहीं होती है। ग्राम पंचायतों द्वारा मनमाने ढंग से मनमानी दरों पर सामग्री क्रय किया जाना दर्शाया गया। जिस कारण ग्राम पंचायतों द्वारा अनियमित ढंग से अधिक भुगतान किये जाने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। विवरण निम्नवत है।

क्रमांक	सम्भाग	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	सन्निहित धनराशि	आपत्ति संख्या	
1	2	3	4	5	6		7
33	कानपुर	कन्नौज	सौरिख	परीर	171650	54	54
46	मुरादाबाद	मुरादाबाद	मूढापाण्डे	दलपतपुर	56941	31,32,37	
49	-	विजनौर	मौ०पुरदेवमल	अरबरपुरदेवीडासवाला	155309	4,8,9,10	
			मौ०पुरदेवमल	मोहड़दीनपुर	696480	4,8,9,10	
			मौ०पुरदेवमल	जमालपुरपढझाती	284375	4,8,9,10	
			मौ०पुरदेवमल	मणवलीसैदू	224511	4,8,9,10	
			मौ०पुरदेवमल	बरुली	808105	4,9,10	
			मौ०पुरदेवमल	सादकपुर	317492	4,9,10	
			मौ०पुरदेवमल	भोजपुरभोपतपुर	354798	9,10	
			मौ०पुरदेवमल	तरीकमपुरसाचण्ड	419200	24	
			मौ०पुरदेवमल	इस्लामपुरलाल	528091	4,8,9,10	

			मौ0पुरदेवमल	मोडियाघनसी	422000	4,8,9,10	
		अमरोहा	अमरोहा	अहरोई माफी	61600	24	
50	गोरखपुर	गोरखपुर	पाली	पट्टीधर्मदास	740	24	
51		देवरिया	भटनी	कुरमौताठाकुर	348399	27	
		कुशीनगर	कप्तानगंज	भडसरनारायन	340181	2	
			कप्तानगंज	भडसरनारायन	1882576	3	
			हाटा	घोरटप	1749010	4,5,6,7,8	
			सुकरीली	नवमुडा	785110	1,2	
57	लखनऊ	सीतापुर	हरगोव	मल्लापुर	146892	9	
		सीतापुर	हरगोव	शेखपुर मूसेपुर	71500	2	
		लखीमपुर खीरी	पसगवा	इब्राहिमपुर	220000		
			पसगवा	मोहिदीनपुर	330000		

			पसगवा	सोहक	55000		
			पसगवा	किरयारा	110000		
			पसगवा	वचगवा	110000		
			पसगवा	भूडा	275000		
			मोहम्मदी	पीचपूरी	148500		
			मोहम्मदी	पोखनापुर	121000		
			मोहम्मदी	गुरेला	121000		
			बेहजम	लरवहा	5150		
	आजमगढ	आजमगढ	हरेया	अजगरामगर्वी	72000	4	
				अजगरामगर्वी	105120	4	
				रोशनगंज	83000	4	
				मानिकपुर	82800	6	
				रैचंदपट्टी	72036	9	
				हसनपुर	42840	4	
				वनकटा	44800	4	
				इटैली	118392	4	

				बकडीहा	88500	4	
				गडेरूआ	50000	4	
				शेवराकुण्ड	71730	4	
				रोनापुर	72000	4	
				शनिचराताडी	108000	4	
				बडीलागाजेपुर	91980	4	
				तुरकौली	109620	4	
				अचलनगर	126000	4	
				चादपट्टी	151200	4	
				उदिहा	108000	4	
			मार्टिनगंज	पकरौल	142230	4	
			पल्हना	रामपुर	71000	4	
				मधुआरी	229003	4	
				रामपुरखालवाहन	115485	4	
				अवनी	20927	4	
				जमुई	49920	4	

				सिघारी	124250	4	
				पकडीकला	124920	4	
				रजहाअजमतसर	39041	4	
				बोकोटाखुर्द	42600	4	
				लहुआकला	49920	4	
				पकनीखुर्द	84470	4	
				मोजपुर	65000	4	
			तहबरपुर	गडहनयुजुर्ग	16650	4	
			अरिशैला	वेन्दुईवेनाखरे	267400	4	
			अरिशैला	वेन्दुईवेनाखरे	5000	4	
			अतिरौलिया	मुडेटा	116470	5	
				सुखीपुर	155206	5	
				मडोही	62980	5	
			मडाव	फूलपुर	549899	19	
				मोलनापुर	199904	19	
				काठतराव	108424	19	

	फैजाबाद	फैजाबाद	हैरिनगंज	आदिलपुर	205980	1	
	चित्रकुटधाम	चित्रकुट	कर्वी	पहडियाबुजुर्ग	230415	2	
			कर्वी	भीषमपुर	418922	3	
	वाराणसी	गजीपुर	भावरकोल	ज्ञानपुर	60000	3	
		मिर्जापुर	जमालपुर	कचुनपुर	18300	3	
		मिर्जापुर	जमालपुर	मानिकापुर	89700	3	
		मिर्जापुर	जमालपुर	मानिकापुर	285000	4	
		मिर्जापुर	सिटी	देवरी	40000	1	
		सोनभद्र	राबर्टसगंज	खराही	13050	3	
		सोनभद्र	राबर्टसगंज	सिरयालपुर	14050	2,3	
		सोनभद्र	राबर्टसगंज	बहुआरा	62120	3,4	

5- ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम निधि की धनराशि बैंक से आहरित कर उसे अनियमित ढंग से रोक कर रखा गया तथा इसका उपयोग वर्षान्त तक नहीं किया जबकि धनराशि का उपयोग नहीं किया जाना था तो उसे बैंक खाते में जमा करा देना चाहिए था परन्तु ऐसा नहीं किया गया। इस तरह धनराशि को अनजाने किसी कार्य में उपयोग किये जाने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इस तरह की प्रवृत्ति पर रोक लगाते हुए आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। जिससे धनराशि के दुरुपयोग पर अंकुश लग सके। विवरण निम्न है:-

क्रमांक	सम्भाग	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	सन्निहित धनराशि	आपत्ति संख्या	अभ्युक्ति
---------	--------	------	------------	--------------	-----------------	---------------	-----------

1	2	3	4	5	6	7	7
14		फतेहपुर	मिटीरा	भलेवा	60000	3	
				भलेवा	44789	7	
				रहमतदौलतपुर	65000	3	
				रहमतदौलतपुर	10000	4	
				रहमतदौलतपुर	2100	6	
31	कानपुर	कानपुर देहात	रसूलाबाद	दहेली	10000	17 / 4	
		कानपुर देहात	रसूलाबाद	बहादुरपुर	3850	17 / 5	
		कानपुर देहात	झीझक	परहुली	200	16 / 6	
		कानपुर देहात	अमरोधा	चकचालपुर	68408	27 / 7	
		कानपुर देहात	अमरोधा	परेहरापुर	3810	27 / 8	
		कानपुर देहात	रसूलाबाद	निगोहिया	3578	19 / 19	
		कानपुर देहात	अमरोधा	वरीली	960	20 / 10	
		कानपुर देहात	अमरोधा	बढौली	28073	20 / 10	
50	गोरखपुर	गोरखपुर	ग्रन्हपुर	पंचदेवरी	300	35	
51			ग्रन्हपुर	करीता	146541	35	
		देवरिया	तरकुलवा	माठियामहबल	7000	21	
			देवरियासादर	तिलईवेलवा	62591	24	
			लार	मठिलउपाध्याय	49800	8	
			भटनी	कुरमीतठाकुर	265177	21,24	

57		कुशीनगर	तमकुही	गोसाईपट्टी	64803	5	
		बस्ती	विक्रमजोत	पचवस	106817	4	
			विक्रमजोत	तुर्सी	72656	4	
			कप्तानगंज	ककुआरावत	882548	2	
		संतकबीरनगर	पौली	पौली	105900	3	
			पौली	शिवबखरी	379939	2	
62	मेरठ	मेरठ	सदर	बहलना	13425	33	
		मेरठ	सदर	सौरभ	11226	65	
		मेरठ	कांछला	नला	123189	41	
	लखनऊ	रायबरेली	अमांवा	सोथी	13350	6	
		सीतापुर	मिश्रिख	कुतुबनगर	2000	6	
		सीतापुर	मिश्रिख	मो०नगर	9000		
		सीतापुर	मिश्रिख	सरसई	1000		
		लखीमपुरखीरी	फूलबेहड़	लौकिया	222350	1	
	आगरा	आगरा	खैरागढ़	बकालपुर	60000	35	
		आगरा	अछनेरा	जनूथा	15000	35	
		आगरा	अछनेरा	सहता	54000	21	

		आगरा	अछनेरा	व्यारा	484320	24	
		आगरा	अछनेरा	रूनकता	920900	8	
		आगरा	अछनेरा	फतेहपुरा	10000	18	
		आगरा	अछनेरा	बरीली	51660	5	
	आजमगढ	आजमगढ	पल्हना	बसही	61000		
			हरैया	मनिकाडीह	3030		
			अतिलिसा	सिकन्दरपुर	11180	2	
			रतनपुरा	दत्तौडा	32770	2	
			रतनपुरा	मुबारकपुर	23426	2	
			रतनपुरा	पहदेवाजीत	7600	2	
			रतनपुरा	गाढा	6620	2	
			फतहपुर मण्डाक	दुबारी	26690	17	
			फतहपुर मण्डाक	मोलनापुर	108000	19	
			फतहपुर मण्डाक	काठ तराय	19000	2	
	फैजाबाद	बाराबंकी	सिहौर	टेडवा	14550	15	
			बनीकोडर	सिल्हौर	61120	1	

			पुरीइलई	सिराही	50879	1	
			सूरतमल	बल्लोपुर	40729	2	
	झांसी	झांसी	बागौर	पकरेडी	2300	46	
			बागौर	करडी	5700	47	
			बागौर	परसुआ	4320	46	
			बागौर	सुकौली	9270	49	
			बागौर	सुदटा	1880	46	
		ललितपुर	वार	बस्तगुवा	13604	17	
		जालौन	मडौर	भीखमपुर	5525	21	
			बिधी	सिरोन	40726	21	
			बिधी	सिमर्घा	26779	20	
	बरेली	बरेली		हंसा	150	25	
				खजुरिया	26618	42	
				गौहाना	59794	28	
				तिलिया	107584	27	
				आटापट्टी	322	13,2क,14	

	वाराणसी	जौनपुर	शाहगंज	धौरहल	102840		
			शाहगंज	अतरी	33519		
			मुफ्तीगंज	मुतजाबाद	1728		
			युक्शा	चुरावनपुर	13640		
		गाजीपुर	भावरकोल	रानीपुर	237000	2	
			भरौरा	लहना	96377	4	
		मिर्जापुर	पहाडी	गहिरा	42240	10	
			सिटी	चेकईराम	42479	1	
		सोनभद्र	राबर्टसगंज	पकरी	94020	3	
			राबर्टसगंज	बभनाली	133550	2	
			राबर्टसगंज	खराही	99112	2	
			राबर्टसगंज	केथी	79810	3	
	मुरादाबाद	बिजनौर	उरफर	रतनगढ	36898	1	

6- बैंक से आहरित धनराशि का कैशबुक में अंकन नहीं करके आहरित धनराशि का अपहरण किया गया। ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान द्वारा बैंक खाते से धन का आहरण किया गया जैसाकि बैंक खातों से स्पष्ट है परन्तु आहरित धनराशि का लेखांकन कोष बही के आय पक्ष में कम/बिल्कुल ही नहीं किये जाने के कारण धनराशि ग्राम पंचायत अभिलेखों से बाहर रही जो अपहरण है। इसकी वसूली सम्बन्धित से अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है।

क्रमांक	सम्भाग	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	सन्निहित धनराशि	आपत्ति संख्या		अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6		7	8
12	इलाहाबाद	इलाहाबाद	प्रतापपुर	बगरहाहायसाद	50000	5		
			प्रतापपुर	भेलरवा	40000	2		
			प्रतापपुर	भेलरवा	117000	3		
			प्रतापपुर	भेलरवा	10000	5		
13		कौशाम्बी	मूरतगंज	राजीपुर जुनैदपुर	79800	7		
14		फतेहपुर	भिटौरा	भलेवा	10000	2		
			भिटौरा	भलेवा	59100	4		
			भिटौरा	रहमतदौलतपुर	23055	7,8		
			अशोधर	अढावल	122000	2		
			देवकई	डण्डरा	13500	3		
			खजुहा	वैनू	10000	2,3		
			खजुहा	मडराय	30000	2		
15		प्रतापगढ़	आसपुरदेवसरा	सपहाघात	10000	2		
30	कानपुर	कानपुरनगर	शिवराजपुर	सुधरदेवा	5330	10,11		

			शिवराजपुर	कुवरपुर	7890	12	
			शिवराजपुर	दिनकरपुर	857	9	
31		कानपुरदेहात	रसूलाबाद	खेडाकुर्सी	11850	20 / 12	
			रसूलाबाद	सलेमपुर	17000	20	
34		इटावा	भर्थना	उमरसैडा	60000	2	
		इटावा	बसरेहर	भढवासोवरान	1595	23	
46	मुरादाबाद	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	शहयाजपुरकला	17000	18	
			ठाकुरद्वारा	फैजुलगांज	85400	18	
			ठाकुरद्वारा	रामवालाशेखू	35000	19	
			बनियाखेडा	चांदपुरगनेश	7200	29,30,40	
			डीगरपुर	जीगनिया	140340	4	
		जे०पी०नगर	जोया	रजबपुर	57600	18	
			जोया	करहटरामहर	48682	22,23	
			जोया	डिडौली	61440	19, 21	
		अमरोहा	जोया	कारहटरामहट	103867	24,25	
50	गोरखपुर	गोरखपुर	पाली	पट्टीधर्मदास	39360	22	
51		देवरिया	बैतालपुर	पिपरहिया	46100	23,24,25	
			रामपुरकारखाना	चौंदपुर	20000	13	
			रामपुरकारखाना	गोतमचक्रमाठिया	93130	5	
			बनकटा	कटसरवायुजुर्ग	18200	21	
			बनकटा	गाढा	118865	21	
			बनकटा	परसौनीरघुनाथ	154515	21	
			लार	माटिल उपाध्याय	166260	1से6	

	कुशीनगर	हाटा	देवरिया देहात	501420	1	
		हाटा	सहवाजपुर	33420	1	
		हाटा	कुरहवा	42800	1,2	
		हाटा	गोपालपुर	5000	2	
		हाटा	रामपुरमहारथ	24200	1	
		हाटा	भैसही	7000	1	
		हाटा	अहिरौली राजा	20000	1	
		हाटा	डुमरी चुरामन	101932	1	
		हाटा	कुछुहिया जनोवी	87800	1,2	
		हाटा	चिरगौडा	26400	2,3,4	
		हाटा	कुरमौटा	48760	1,2	
		हाटा	महुअवा मस्जीदिया	143120	1	
		हाटा	मदरहा	21520	2,3	
		हाटा	रामपुर पट्टी	219820	1,4	
		हाटा	घोरटप्प	40860	3	
		विशुनपुरा	अकयरपुर	1758	1	
		विशुनपुरा	यसडीला	2200	1	

		तमकुही	अहिरौली मिश्र	23260	1	
		तमकुही	चरवनी खास	49500	1	
		तमकुही	चरवनी खास	5350	4	
		तमकुही	चरवनी खास	210770	8	
		तमकुही	चरवनी खास	107200	10,9	
		तमकुही	गोसाई पट्टी	253428	1	
		तमकुही	गौरी नरोत्तम	222955	1,2,4,9	
		तमकुही	बनरहा पूरब पट्टी	134000	2	
		तमकुही	तमकुही	119628	1,2	
		तमकुही	धुरिया इमिलिया	70500	2	
		तमकुही	छपरा अहिरौली	31000	1,2	
		तमकुही	विशुनपुरा	232283	1,2,4	
		तमकुही	भटवलिया	178550	3	
		तमकुही	कोइन्दी बुजुर्ग	335000	1,2,3	
		तमकुही	लछिया देवरिया	60000	2	
		तमकुही	हरपुर येलही	25000	1	

	महाराजगंज	फरेन्दा	मथुरानगर	24210	18से 20	
		सिसवा	रुद्रापुर	5000	12	
		सदर	दरौली	35000	22	
		सदर	लखिमाथरुआ	1663	4	
	संतकबीरनगर	सेमरियावा	पैलीखास	90450	8	
					10000	69
मेरठ	मुजफ्फरनगर	सदर	भण्डुरा	10000	69	
लखनऊ	उन्नाव	पुरवा	सेमरीमऊ	35000	12	
	उन्नाव	पुरवा	बेजुआमऊ	15000	11	
	रायबरेली	सरेनी	विशायकपुर	121640	2,3	
	रायबरेली	जगतपुर	कसुमी	4200	8	
	रायबरेली	जगतपुर	खजुरी	434000	6	
	रायबरेली	जगतपुर	पूरबगॉव	376000	3	
	रायबरेली	डलमऊ	पकरागिरपता	30000	4	
	अमेठी	सिंहपुर	जुगराजपुर	31000	6	
	अमेठी	सिंहपुर	शेरवनगॉव	115106	4	
	अमेठी	सलोन	सेमरीझकरासी	54400	2	
आगरा	अलीगढ़	अतरौली	खानपुर खिटौली	5000	27	
	अलीगढ़	धनीपुर	उखलाना	5000	3	
आजमगढ़	आजमगढ़	मोहम्मदपुर	नन्दाव	48784	22	
फैजाबाद	बाराबंकी	रामनगर	लोहटीजई	754570	12	

				गोपालपुर	1076431	8
			सिरौलीगोसपुर	प्यारेपुर	3000	3
		अम्बेडकर नगर	टाण्डा	पुन्थर	257080	13
			भीटी	सझवा	245465	9
			भीटी	बस्तीपुर	10000	9
			भीटी	दोहनपारा	5000	9
			भीटी	हृदयपुर	81200	13
		फैजाबाद	हेरिन्दनगंज	रेवना	29600	3.5
	देवीपाटन	बहराइच	पयागपुर	शम्भटिकरी	68280	10
			फखरपुर	पट्टीकमालपुर	56700	9
				भौदी	14800	6
		श्रावस्ती	सिरसिया	संग्रामगंज	16000	16
			सिरसिया	संग्रामगंज	132200	13
			गिलीव	सैरुकला	22000	19
			सिसिया	हेमपुर	2800	14
			सिसिया	बभनी	20000	13
	झांसी	झांसी	बंगरा	विजना	694819	31
			बंगरा	कुभागांव	211754	27
		ललितपुर	मडावरा	सरखडी	1000	20
		जालौन	नदीगांव	सदपुरा	30765	35
	चित्रकुटधाम	बांदा				
		चित्रकुट	कर्वी	मटाकोरी	5000	2
				छिपरीबादखेडा	15000	3
				भारतपुर	60000	2
				भीसमपुर	20000	2
				भीसमपुर	11500	3
				कोटरखम्भा	867695	6
				कोटरखम्भा	1561918	7
			मऊ	सुरीघा	8125258	6
				तेदुआमाफी	6379954	6

				इटवादेवीपुर	402805	6
				रेडीमुसौली	5925124	6
				चित्रवार	5744904	6
				मोहनी	4055637	6
				सिकरौ	4775324	6
				गढवा	759516	7
				मनकुअंर	321401	10
				मनकुअंर	67034	11
				मनकुअंर	359676	12
				औझर	399768	7
				औझर	1822465	10
				पूरवपताई	9335582	7
				पूरवपताई	1988850	8
				खडेहा	482760	10
				खडेहा	7825506	11
		हमीरपुर	मुस्करा	बिघार	20000	19
			सरीला	ममना	16722	24
			मौदहा	गहरौलीखुर्द	11400	2घ,1ग,2
	बरेली	बरेली	नवाबगंज	बडेपुरा	3500	19
				शाहपुरजी	5000	20
				बरिमऊ	10000	29

				लाडेखेडा	25000	19,21,22
				ज्योमकस्तुपुर	5000	24
				हरहरपुर	15000	5
				विथरी	30940	1,4
				रिछोला	34000	25
				मिलक	15000	22,23
				सुण्डियावा	10000	3,5
			विथरी	वेनीपुर	96750	18
			विथरी	उदयपुर	50000	18
			विथरी	बलीपुर	109027	18
			मोजीपुरा	आटापट्टी	16400	15,13
			फतेहगंज	खजुरिया	10000	30
	वाराणसी	जौनपुर	गेभी	कछवन	79828	2
			मछलीहर	फोरमलपुर	6000	3,4,5
			कासिमाबाद	टोडार	73221	10,16,31,39,40
			मनिहारी	लालपुरी	24500	2
			कासिमाबाद	शेघनपुर	18500	3,12
			सदर	चरौली	5000	2,13,33,34,39,40,41,50
			कासिमाबाद	दूधौणा	78090	

			कासिमाबाद	बडौरा	381285	
			मुहम्मदाबाद	कठउत	51888	19,21,23,24,27
			मुहम्मदाबाद	सवना	123674	5,22,26
			मनिहारी	मलिकपुर	15800	2,3
		चन्दौली	शाहबगंज	जेगुरी	40000	1
		भदोही	डीच	बिछिया	119102	2
			ज्ञानपुर	मिल्की	402274	1
				घाटमपुर	571640	1
				पूरगोसाडरास	109771	1
				जौहरपुर	273500	2
				फफरीखुर्द	89291	2
				गनेशरामपुर	165325	1
				पकारीकला	159408	1
				घोरहा	134536	1
				केशवपुरसरपतहा	1037980	3

7- वर्ष 2010-11 की लेखा परीक्षा दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम पंचायत द्वारा कराये गये कार्यों के सापेक्ष किए गये भुगतानों की पुष्टि स्वरूप भुगतान प्राप्तकर्ता द्वारा भुगतान प्राप्त रसीद नहीं दी जिसकारण दर्शित व्यय फर्जी है। वसूली अपेक्षित है।
विवरण निम्न है:- ।

क्रमांक	सम्भाग						
1	2						
31	कानपुर	कानपुर देहात	रसूलाबाद	खेडा कुर्सी	10,000	21 / 13	
			रसूलाबाद	सलेमपुर	1,00,753	21 / 14	
34		कन्नौज	तालग्राम	सानपुर	57000	17	
			तालग्राम	लाडपुर	89580	18	
			तालग्राम	ऊचा	209550-00	16	
46	मुरादाबाद	मुरादाबाद	विलारी	सिहोलीलड्डा	10026	22	
			विलारी	धमपुरकुइया	59500	21,22,23	
			विलारी	रामनगरगंगपुर	30660	22	
			मूढापाण्डे	दलपतपुर	333720	33से36, 38,39	
			मूढापाण्डे	मानपुरपट्टी	50000	31	
		जे०पी०नागर	धनौरा	मल्हपुरा	30732	19	
			धनौरा	मल्हपुरा	2000	20	
			धनौरा	परवरपुर	44280	20,21	
			अमरोहा	बीजडा	37277	1,2,3,4,5	
			अमरोहा	नौराहन	95244	1,2	

			अमरोहा	अहरोहीमाफी	18420	1	
			जोमा	डिडौली	269337	24,26	
50	गोरखपुर	गोरखपुर	पाली	पट्टीधर्मदास	11000	21	
		कुशीनगर	हाटा	कुरमौटा	986340	5	
			रामकोला	रामकोला	56600	2	
			तमकुही	गोसाईपट्टी	272747	3	
			तमकुही	गोसाईपट्टी	881250	6	
		बस्ती	विक्रमजोत	पचवस	7000	3	
		महाराजगंज	नौतनवा	गजरही	48000	7	
			नौतनवा	गनेशपुर अ	22000	9	
			नौतनवा	गनेशपुर अ	85800	11	
			नौतनवा	पड़ौली	66000	12	
			नौतनवा	रामनगर	14100	14	
			नौतनवा	मानिकपुर	13200	10	
62	मेरठ	गौतमबुद्धनगर	दादरी	मायचा	34000		
			दिसरख	गुलिस्तानपुर	33036		
			छादरी	जरचा	33469		
67		मु०नगर	सदर	शेरपुर	12000	56	
	लखनऊ	रायबरेली	सरेनी	रावतपुर कला	42759	5,6,7	

		रायबरेली	सरेनी	कोटियाएहमत माली	15000	6	
		रायबरेली	जगतपुर	उडवा	23400	4	
		रायबरेली	बछरावां	कसरावां	50102	3	
		रायबरेली	सिंहपुर	सातनपुर	220000	5	
		लखीमपुरखीरी	पसगवॉ	वाईकुआ	4639601		
		लखीमपुरखीरी	बेहजम	लरवहा	180433		
		लखीमपुरखीरी	बेहजम	लरवहा	69000		
		लखीमपुरखीरी	पलिया	बड़ागॉव	2707652		
		लखीमपुरखीरी	पलिया	परसपुर	1079728		
		लखीमपुरखीरी	पलिया	चन्दनचौकी	66800		
		लखीमपुरखीरी	पलिया	लगदहन	1095097		
		लखीमपुरखीरी	पलिया	मलिनिया	1555848		
		लखीमपुरखीरी	पसगवॉ	हैरमखेड़ा	704782		
		लखीमपुरखीरी	मोहम्मदी	गोकन	272660		
		लखीमपुरखीरी	पसगवॉ	जमुका	1228245		
		लखीमपुरखीरी	पसगवॉ	पसगवॉ	1588329		

		लखीमपुरखीरी	गोला	अल्लीपुर	267279		
		लखीमपुरखीरी	गोला	सिकन्दाबाद	456820		
		लखीमपुरखीरी	कुम्भी	रायपुर	341730		
		लखीमपुरखीरी	पसगवों	अदापुर	1885678		
		लखीमपुरखीरी	वेहजम	पोरवा	230569		
		लखीमपुरखीरी	पसगवों	सिकयरा	2936330		
		लखीमपुरखीरी	पसगवों	सल्लिया	6754017		
		लखीमपुरखीरी	पसगवों	बरखेरिया	5083155		
		सीतापुर	मिश्रिख	तेलियानी	10000		
	आजमगढ	आजमगढ	पल्हवी	नीडी	150000	2	
	फैजाबाद	बाराबंकी	मसीली	प्रतापगंज	32220	2	
		अम्येडकर नगर	टाण्डा	हसनगंज	29500	12	
	देवीपाटन	श्रावस्ती	सिरसिया	हेमपुर	61550	16	
	झांसी	जालौन	जालौन	मैनपुरा	500	26	
				मैनपुरा	4365	27	
				मैनपुरा	11680	28	

				मैनपुरा	14985	29	
				दया	10526	27	
				दया	900	26	
				दया	1400	28	
				दया	57587	29	
				दया	22686	25	
				मलकपुरा	2150	27	
				मलकपुरा	15762	28	
				ऐदलपुर	11250	27	
				औरेख	237828	27	
	बरेली	बरेली	नवाबगंज	प्रेमपुरा	2000	19	
			नवाबगंज	बडेपुरा	8000	21	
			नवाबगंज	शाहपुर	9840	32	
			नवाबगंज	ज्येरहा	14858	20	
			नवाबगंज	मिलक	5950	4व	
			नवाबगंज	परोधी	13000	22अ,24	

			विथुरी	फरौदापुर	8000	22	
	वाराणसी	जौनपुर	रामपुर	सेदूरा	231860		
			बक्शा	मई	12000		
		गाजीपुर	भदौरा	लहना	6000	2	

8- अनुदान से प्राप्त धनराशि के अनावश्यक कार्यों में व्यय दर्शाकर दुरुपयोग किया गया। ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्त अनुदान का उपयोग अनुदान नियमों के विपरीत अन्य मदों में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय कर अनियमितता की गयी जो नियमों के विपरीत है। अतः नियम विरुद्ध किये गये व्ययों की वसूली सम्बन्धित से करते हुए शासन को वापस की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है।

क्र मां क	सम्भाग	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	सन्निहित धनराशि	आपत्ति संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
14	इहाहाबाद	फतेहपुर	अमौली	रिडवा	150000	2	
			अमौली	बेहटाखुर्द	81200	2	
			अमौली	बेहटाखुर्द	78700	3	
			देमई	कौडिया	68000	5]6	

31	कानपुर	कानपुरदेहात	झीझक	लगरथा	81500	16 / 6	
				खहैया	90900	16/8	
				अमौलीदुकुरान	49700	16/10	
32		फर्रुखाबाद	नवायगंज	इजौर	4700	15	
				खलबारा	6500	16	
33		कन्नौज					
34		इटवा	भरथना	अकबरपुरदौलतपुर	100	1	
			सैफई	बरा	5000	5	
			सैफई	रामेत	60	18	
			जसवन्तनगर	हजरतपुर	8000	15	
			सैफई	छितौनी	3468	13	
51	गोरखपुर	देवरिया	बैतालपुर	छितहीबाजार	41820	23	
			बैतालपुर	बलटिकरा	344080	23	
			बैतालपुर	सिरजमदेई	10165	24	
			बैतालपुर	चिउरहाखास	3750	21,22	
			बैतालपुर	बरारी-2	41200	21	
			बैतालपुर	रामपुर दूधे	114760	21,22	
			भाटपाररानी	बड़कागाव	110000	31	
			भाटपाररानी	बेलपारपंडित	70000	31	
			भाटपाररानी	विशुनपुरा	26000	31	
			रामपुरकारखाना	चांदपुर	48600	7,11	
			रामपुरकारखाना	गोतमचक्र मठिया	125450	2,3,9	
			भागलपुर	मठिया इन्दीली	466360	18	

			भागलपुर	बगहा	171409	19	
			पथरदेवा	मिश्रौली	424000	19,20,21	
			पथरदेवा	सिघावे	90320	20,21,22,23	
			पथरदेवा	कोइरीपट्टी	71820	21	
			भागलपुर	पिपरा मिश्र	274117	18	
			बनकटा	छितानी	497480	21	
			बनकटा	बलुआ	177945	21	
			बनकटा	सोहनपुर	402526	21	
			सलेमुपर	सोहनाग	177498	2	
			भटनी	सिंगडीह	475980	21	
			भटनी	कुरमीताठाकुर	36520	23,36	
			भटनी	परसौनी	85700	21	
			रामपुरकारखाना	डीहाबसन्त	125200	22	
			पथरदेवा	कोलामुडेरा	555550	9,10,11,12,13,14,15	
67		संतकबीरनगर	सेमरियावा	पैलीखास	98173	9,10	
		कुशीनगर	कप्तानगंज	भडसरनारायन	99600	5	
			हाटा	करमौटा	17000	6	
			रामकोला	तलकुलवा	247700	3,7	
			विशुनपुरा	रोआरी	5500	1	
			तमकुही	कोइन्दी बुजुर्ग	70012	7,8	

	महाराजगंज	नौतनवा	गनेशपुर अ	40798	11.2	
		नौतनवा	पड़ौली	55859	2.11	
		नौतनवा	मानिकपुर	232328	2.11	
		नौतनवा	रामनगर	103200	12	
		नौतनवा	गजरही	12620	2	
		सदर	बरगदवा	19400	22	
		बृजमनगंज	बंजरहा सोनबरसा	20000	13	
	सिद्धार्थनगर	बर्डपुर	बर्डपुर नं० 9	97692	19	
		बर्डपुर	बर्डपुर नं० 6	38281	16	
		लोटन	चनरैया	128794	16	
मेरठ	मु०नगर	सदर	अलमासपुर	133009	74	
			शेरपुर	31620	60(2)	
आजमगढ	आजमगढ	मुहम्मदपुर	अवान	118222	25	
			अवान	37900	26	
			अवान	85800	27	
			अल्लीपुर	11600	22	

				मुहम्मदपुर	135654	23	
				मदारपुर	151558	21	
				मदारपुर	152600	22	
			लालगंज	मिर्जाआदमपुर	58500	2,3,4,5	
				बडागाँव	20000	2,3	
			रानी की सराय	बढया	39778	9	
				बिठलपुर	25000	11	
				घाटीपट्टी	70950	8	
				श्यामपुर बडौगाँव	74965	16	
				चडई	78270	10	
			माटिनगंज	सिसवाडा	91000	0	
				केडवावार	110000	0	
	फैजाबाद	बाराबंकी	महौली	मुश्कीनगर	5000	3	
				मुश्कीनगर	4500	4	
				नैनामऊ	6700	2	
				भयारा	6000	2	

				अनरवा	6000	2	
				नियामतपुर	4500	2	
		अम्बेडकर नगर	लिथाव	भरहरा	71600	12	
		फैजाबाद	हेरिगटनगंज	रेवना	284940	15,16,17	
				भलेथुखूर्द	61647	1,2	
				हरदूइया	10000	4	
				जोहन	6594	1	
				सागरपट्टी	48280	1,2,4	
			आदिलपुर	आदिलपुर	56700	2	
				पलियलोहानी	189347	1से4	
				मलेथुबुजुर्ग	54407	1,2	
				डीहपुरेबीरवल	8166	11	
				देवकलीमाफी	54530	8	
				परसुही	65500	1	
				पलियाप्रतापशाह	34296	2	
				उरुवावैश्य	282000	1	

				मैनउद्दीनपुर	9400	1,2	
	झांसी	जालौन	कदोरा	कठपुरवा	353018	43,44,45,46,47,48	
				बवीना	1123450	39,40,41,42,43,44,45,46,47	
				पिपरायों	1606626	39 से 51 तक	
				पिपरायों	662985	52,53,54,55	
	चित्रकुटधाम	चित्रकुट	मऊ	सुरौधा	13500	5	
	आगरा	आगरा	अछनेरा	फतेहपुरा	10000	18	
			अछनेरा	अभेदोपुरा	8200	17	
			अकोला	नगला शिकरवार	1180	15	
			अकोला	करहारा	600	3	
		अलीगढ़	चण्डीस	बरका	6850	3	
			धनीपुर	कमालपुर	1678	5	
			धनीपुर	उखलाना	4000	5	
			धनीपुर	उखलाना	13160	7	
	बरेली	बरेली	नवाबगंज	प्रेमपुरा	22164	5,26,27,28,29,30	
				रूपपुर	105850	33,35,36	

				बडेपुरा	3374	23 से 26	
				शाहपुर	85013	5,12,19,21,22,29,31,	
				समूहा	116553	12,19,24,26	
				फैजुल्लापुर	82855	20,24,28,31	
				कमुआ	20530	21	
				बीरामऊ	53943	4,3,25	
				खानपुर	34493	27,29	
				मोजमननगला	8500	24	
				टाहप्यापुरी	5635	21,25	
				हरदुआ	123410	19,2,3,4,11	
				लाडेघेडा	16828	5,11,20,23	
				इधजागीर	74852	5,12,19 से 28	
				ज्योरहा	64050	18,22,23	
				हरहरपुर	710172	12,20,21,24	
				बिथरी	132142	3,18 से 30,32	
				रिछोहा	126125	5,12,19 से 24,26 से 29	

				पैगा	1500		
				टाडा	20210	5,12,23	
				सनेकपुर	11903	1,12,20	
				धनुआ	11140	5	
				हंसा	1500	18	
				चमन	7790	19 अ व	
				घाटमपुर	5985	19,20,21	
				कुआडाडा	4050	5	
				फाजिलपुर	21340	55,12,15,20,22,23	
				बरौर	4990	18,19	
				लम्बाखेडा	6110	19	
				मसीत	3700	22,23	
				संतोषपुर	25555	19,30,31,32	
				हाफिजगंज	68480	5,12,22,26,31	
				हिमकरा	5540	6,21	
				सैदपुर	6520	20,21	

				मिलक	38000	4 अ 18	
				रिछोला	2000	5	
				घजनपुर	33422	5,7,29,30,32,34,21,2 8	
				रसूलातालिब	5000	21	
				रत्नानन्द	4750	21,23	
				सतइयाखुर्द	45621	2,3,4 ,31,22,33 से 37	
				बकरिया	3125	45,24,27,41,52,54	
				मिलक	2169	43,44,8,30,34,35,36, 44ए45	
				परोली	15000	23	
				आसपुर	2304	6	
				सतइयावला	8660	25,27 से 29	
				घाईखेडा	1438	19,25,29,36,48	
				गेलाटाडा	7074	3,19 से 22ए 49,51	
				दुआवर	10000	9,10,12,31,40	
				प्यारजाडीह	9634		

				सुडियावा	122320	
	वाराणसी	मिर्जापुर	राजगढ़	कुरमौताठाकुर	215800	2
		मिर्जापुर	हलिया	तेन्दुई	9050	3
	लखनऊ	रायबरेली	अमावा	सोथी	41616	7,10,11
			जगतपुर	कुसुमी	6133	2,3
			जगतपुर	खजुरी	263686	2,3,4,6
			जगतपुर	मनिहरशर्की	336704	2,3
			जगतपुर	पूरबगांव	610423	4,5
			सिंहपुर	जयनगरा	17293	9
			सिंहपुर	जयनगरा	17293	9

9— वर्ष 2010-11 में ग्राम पंचायत को विगत वर्षों में प्राप्त अनुदानों का समय से उपयोग नहीं किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त अनुदान का लाभ समय से जन सामान्य को नहीं प्राप्त हुआ। विलम्ब होने का कोई समुचित कारण भी स्पष्ट नहीं किया। अतः अनुपयुक्त अनुदान वित्तीय सहायता दाता को वापस किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्न है:-

क्रमांक	सम्भाग	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	सन्निहित धनराशि	आपत्ति संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
46	मुरादाबाद	मुरादाबाद	सम्भल	बेटला	574028	4	

			सम्भल	बारी पुरममरौला	241616-08	3	
			असमीली	सलेमपुर	243802	15	
			मूडापाण्डे	दलपतपुर	66370	40	
			मूडापाण्डे	धतूशमेधानगला	109940	37	
			भगतपुरटाडा	पीपलसाना	1460127	32	
			भगतपुरटाडा	चांदपुर	148410	33	
		जे०पी०नगर	जोया	रजबपुर	27000	15	
			जोया	रजबपुर	76867	16,17	
			जोया	डिडौली	56700	18	
		रामपुर	चमरौआ	मढोली	192542	20	
47			सैदनगर	वढपुरयशुमाली	48166	28	
48			सैदनगर	आंगा	93920	18	
			सैदनगर	सरावां	135242	28	
			मिलक	पुरैना	57416	22	
			मिलक	सिंगरा	4556	22	
			विलासपुर	दनकरा	16820	25	
			विलासपुर	बाहपुरगंगापुर	14373	22	
50	गोरखपुर	गोरखपुर	गोला	गोपालपुर	940463	14	
51			गोला	चिलवा	537715	13	
52			गोला	बरनवालपार	328493	14	
53			ग्रम्हपुर	पंचदेवरी	1080736	35	
54			वडहलगज	महुवापार	399260	35	
55			खोरपार	वडगो	35666	14	

56			खोरपार	मंडझारीविसटौली	699534	1वी	
			सरदारनगर	बरईपार	197605	1वी	
			सरदारनगर	बालोबु0	944721	1सी	
			सरदारनगर	भे0पबाजार	513965	1वी	
		देवरिया	बनकटा	बनकटाजगदीश	234100	24	
		महराजगंज	नौतनवा	गजरही	69500	7	
			निचलौल	लोडिया	257583	24	
			निचलौल	कटहरिया खुर्द	153029	24	
			निचलौल	लक्ष्मीपुर खुर्द	481573	24	
		संतकबीरनगर	सेमरियावा	भेलवासी	522445	5	
		संतकबीरनगर	सेमरियावा	बूढ़ानगर	225747	3	
	आजमगढ	आजमगढ	हरैया	दैचन्दपट्टी	72195		
				मऊकुबलपुर	126542		
				सोनौरा	376940		
				बृहमौली	78259		
				उर्दिहा	425113		
	फैजाबाद	अम्बेडकर नगर			33470600		

	चित्रकुटधाम	महोबा	जैतपुर	मदवारा	2614	20	
	लखनऊ	उन्नाव	पुरवा	अढोली	99000	5	
			पुरवा	वैजुआमऊ	135000	6	
			पुरवा	सेमरीमऊ	178000	5	
			पुरवा	सिजनीसोहरामऊ	546000	6	
			औरास	मैनीभावाखेडा	.257000	5	

10- वर्ष 2010-11 में ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा ग्राम पंचायत कोष बही में बैंक से आहरित धनराशि के सापेक्ष दर्शित व्ययों का योग वास्तविक योग से अधिक दर्शाकर धनराशि अपहरण किया गया जिसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी से अपेक्षित है। विवरण निम्न है:-

क्र म । क	सम्भाग	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	सन्निहित धनराशि (हजार रू० में)	आपत्ति संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
	गोरखपुर	कुशीनगर	हाटा	रामपुर पट्टी	90780	2,3,5	
	मेरठ	मु०नगर	सदर	शेरपुर	8400	54	
	फैजाबाद	फैजाबाद	रेहगिंटन	रेबना	900	1	

				गनेशपुर	30009	1,3	
				हरदुइया	80915	1,3,5	
				डीहभरथी	11532	1	
				हल्लेद्वारिकापुर	81115	1	
				डीहपूरेबीखल	192766	2,3	
				पलियाप्रतापशाह	12118	1	
	देवीपाटन	बहराइच	नवाबगंज	बिरईगांव	129600	6	
				जमुनहानौबस्ता	1500	15	
		श्रावस्ती	सिरसिया	बभनी	350	14	
	चित्रकुटधाम	महोबा	जैतपुर	भदरवारा	2614	20	
	बरेली	बरेली	नवाबगंज	शाहपुर	100	40	
				फैजुल्लापुर	5000	5	
				बकैनिया	300	33	
				परोधी	4500	1	
			विथुरीचैनपुर	फरीदापुर	7500	19	
	वाराणसी	गाजीपुर	गाजीपुर	मुहम्मदाबाद	714	49	

	आजमगढ	बलिया	नवा नगर	आरा जी करिमा	237223		
			नवा नगर	सीसोटार	459951		
			नवा नगर	चक डोमा उर्फ मटवा चक	699815		
			नवा नगर	तिलकर	322118		
			सीपर	पलिया	125522		
			दुबहड़	उधरन	150833		
			दुबहड़	किडहरापुर	530492		
			दुबहड़	पलोई	189256		
			दुबहड़	पचमा	490750		
			दुबहड़	जमीन किगह	365423		
			दुबहड़	अतरील पक मित्कान	187431		
			सीपर	शाहपुर टिटहा	365227		
			सीपर	चैनपुर सुले रा	112646		
	आजमगढ	बलिया	सीपर	मिश्रौली	99665		
			सीपर	मुवाटी	323756		
			सीपर	चकहासपुर	120841		

			सीपर	दोष	85056		
			दुबहड	अधोघ्वनी	102377		
			दुबहड	दिउली	161935		
			दुबहड	पठकौली	17938		
			दुबहड	शेर	182178		
			गडवार	मनिपर	158150		
			रसडा	परसिया	110572		
			बौरिया	गंगापुर	214800		
			बौरिया	तालिबपुर	156584		
			नगरा	खण्डवा	156275		
			नगरा	रामपुर	238938		

11— वर्ष 2010-11 में ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर की वसूली को कोष बही में आमद नहीं दर्शाया गया जबकि पंचायत कर के सापेक्ष जिला पंचायत को पंचायत कर का 10 प्रतिशत भुगतान कोष बही में दर्शाया गया। अतः वसूल किये गये पंचायत कर को कोष बही में नहीं दर्शाकर अपहरण किया गया। जिसकी वसूली अपेक्षित है। विवरण निम्न है:-

क्रमांक	सम्भाग	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	सन्निहित धनराशि	आपत्ति संख्या	अभ्युक्ति
---------	--------	------	------------	--------------	-----------------	---------------	-----------

1	2	3	4	5	6	7	8
	मेरठ	मु0नगर	सम्बन्धित वि.खण्ड	2010-11	370000.00	7	
	आगरा	आगरा	अकोला	लालक	1000.00	6	

12- ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2009-10 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के फलस्वरूप वर्ष 2010-11 में किये गये व्ययों एवं अनुदान आय की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं रहा है। यह गम्भीर अनियमितता है। विवरण निम्न है:-

क्रमांक	सम्भाग	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	सन्निहित धनराशि	आपत्ति संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
14	इलाहाबाद	फतेहपुर	मिटौरा	केशवपुर	5273146	2	
			मिटौरा	केशवपुर	791174	3	
			खजुहा	लखनाखेडा	161000	2	
15		प्रतापगढ़	लक्ष्मणपुर	कट्टयानेवादा	345406	2	
			सडवाघन्द्रिका	जोगीपुर	1464517	2	
			आसपुरदेवसरा	दाउदपुर	358430	2	
			आसपुरदेवसरा	दाउदपुर	463160	3	
31	कानपुर	कानपुरदेहात	रसूलाबाद	निगोहिया	128000	18/11	
				सुन्दरपुरगजेन	241560	18/12	
46	मुरादाबाद	मुरादाबाद	सम्भल	पैटला	137550	2	
			बिलासी	राधनगरगंगापुर	48085	20	

			मूढापाण्डे	मानपुरपट्टी	268475	34	
			बनियाखेडा	भिन्डवारी	946908	18	
			बनियाखेडा	जमालपुर	2525588	21,25	
			बनियाखेडा	चांदपुरगनेश	11599	35,42,43, 44,45	
		जे०पी०नगर	अमरोहा	नानकनगली	50160	4	
			अमरोहा	बीबडाकला	108780	3	
			अमरोहा	अहरोईमाफी	35940	3	
			जोमा	डिडौली	1052950	20	
62	मेरठ	हापुड	धौलाना	बझेडाकला	332273		
				बझेडाखुर्द	210850		
				कन्दौला	424905		
				कपूरपुर	14917222		
				सपनावत	260000		
				पिपलैडा	1366520		
			सिम्भावली	वैर	1384751		
64				राजपुर मडैया	776946		
		गाजियाबाद	रजापुर	आविदपुरमानकी	717723		
			रजापुर	सीकरीकला	659583		
			रजापुर	दौसाबजारपुर	397354		
			रजापुर	काजयपुर	387794		
			लोनी	राजपुर	506988		
			लोनी	मुर्सदपुर	408768		
			लोनी	अफजलपुर	504730		

			लोनी	निस्तौली	1175133		
			लोनी	अफजलपुर	1882599		
			मुरादनगर	सुहाना	971469		
				मनौली	651431		
				नगलाआखू	685025		
				भदौली	501440		
				बसन्तपुरसंथली	945586		
				रोशनपुर	808997		
				अवूपुर	2449147		
				खिनदौडा	1309600		
				खुर्रमपुर	1525700		
				ग्यासपुर	405406		
				खडकाआरिफपुर	1708728		
	मेरठ	गौतमबुद्धनगर		च्यूरा	37119		
				खानपुर	431785		
				देवता	168000		
				लडपुरा	786666		
	गोरखपुर	गोरखपुर	गोला	गोपालपुर	118194	13	
		कुशीनगर	हाटा	धिरगोडा	89820	1	
			हाटा	खजवा	763325	1.2	
			हाटा		0	5.6	

			पड़रौना		0	1	
			बिशुनपुरा		0	2	
			बिशुनपुरा		0	2,3	
			बिशुनपुरा		0	1	
			बिशुनपुरा		0	1	
			बिशुनपुरा		0	3	
			बिशुनपुरा		0	2	
			बिशुनपुरा		0	1	
			बिशुनपुरा		0	2,3	
			बिशुनपुरा		0	1	
			बिशुनपुरा		0	1	
			बिशुनपुरा		0	1	
			बिशुनपुरा		0	1	
			बिशुनपुरा		0	1	
			तमकुही		0	3,4	
			तमकुही		0	1	

			तमकुही		0	9,10	
			तमकुही		0	12	
			तमकुही		0	1,4	
			तमकुही		0	3,4	
	देवीपाटन	बहराइच	मिहीपुरवा	नौबस्ता	363600	13	
				वैरुआ	6000	13	
				मंझरा	404176	13	
			इकौना	रामप्यारेपुर	353600	21	
				रामप्यारेपुर	40920	21	
	आगरा	आगरा	फतेहपुर सीकरी	डाबर	382969	20	
				मण्डी मिर्जा खों	539190	19	
				मलिकपुर	486490	20	
				जहॉनपुर	365448	20	
				फरीदापुर			
	बरेली	बदायूँ	शेरगढ	सिमरावा	148140	31	
			भोजीपुरा	महेशपुर	310102	7,15	

	वाराणसी	जौनपुर	धर्मपुरा	पिण्डरा	33100		
			रामपुर	नरहरपुर	130000		
			बदलापुर	मोलनापुरी	164875		
		गाजीपुर	करण्डा	लालनपुर	38700	2	
	लखनऊ	रायबरेली	राही	बेलाटिकाई	717346	5	

13- ग्राम पंचायत द्वारा बैंक लेखा का सुधार करते हुए प्रधान एवं सचिव द्वारा व्यय पक्ष में बैंक में धनराशि जमा दर्शाते हुए रोकड़ बही से रोकड़ खारिज कर अपहरण किया गया। वसूली अपेक्षित है। विवरण निम्न है:-

क्रमांक	सम्भाग	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	सन्निहित धनराशि	आपत्ति संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
14	इलाहाबाद	फतेहपुर	मिटौरा	रहमतदौलतपुर	200	2	
			खजुहा	गढी	22984	2	
			खजुहा	मडराय	47721	3	
	गोरखपुर	कुशीनगर	हाटा	भटहीबावू	17520	2,4	
		कुशीनगर	तामकुही	विशुनपुरा	300		

	मेरठ	मेरठ	बिसरख	इटहरा	26982.00		
	फैजाबाद	बाराबंकी	सिरौलीगांवपुर	शेषपुरटुटूरु	10484	2	
			हैदरगढ़	गोतौना	13470	2	

14- ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री क्रय के सापेक्ष प्रस्तुत प्रमाणक निर्धारित प्रारूप बिल/कैश मेमो नहीं होने पर भी उनका भुगतान इस्टीमेट (आकलन बिल/कच्चे बिल) के आधार पर किया गया जो गम्भीर अनियमितता है। क्रय सामग्री के स्टॉक पंजिका में अंकन होने एवं उपयोग होने की पुष्टि भी नहीं होती है। अतः किया गया व्यय अनियमित रहा है। विवरण निम्न है:-

क्रमांक	सम्भाग	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	सन्निहित धनराशि	आपत्ति संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
13	इलाहाबाद	कौशाम्बी	मूरतगंज	राजीपुर जुनैदपुर	400180	2,6	— — —
			कौशाम्बी	रसूलपुरबडगांव	285000	2	
14		फतेहपुर	अमौली	छरियापुरछोडिया	96000	2,4	
			अमौली	चांदपुर	345735	2,3	
				मकरंदपुर	314600	2,4	
			अमौली	मेहदिया	126055	2,3	
				निरखी	128780	2,4	
				सरहनबुजुर्ग	4048890	2,3,4	
				धमनाखुर्द	124550	2 से 5	
			देवकाई	दुण्डरा	15000	2	

33	कानपुर	कन्नौज	सौरिख	पसौर	285000.00	52	
			तालग्राम	तेरारबू	77132.00	53	
			तालग्राम	तेरारबू	24547.00	17	
51	गोरखपुर	देवरिया	बनकटा	बनकटाजगदीश	8770	21,22,23	
52		देवरिया	तरकुलवा	मैनपुर	152160	21	
53		कुशीनगर	हाटा	महुई	276665	1	
54							
55							
56							
67	मेरठ	मु०नगर	कांछला	गंगेरू	68150	51	
	फैजाबाद	बाराबंकी	सूरतगंज	उतरावा	8000	3	
				उतरावा	4600	5	
				मथुरा	63660	2,3,4,5,6,7	
			रामनगर	बिठौरा	35201	10	
				बिठौरा	132600	12	
				बिठौरा	258000	13	
				लोहटीजाई	391090	11	
	झांसी	जालौन	महेवा	चुर्खी	7000	29	
			महेवा	चुर्खी	6200	36	

			महेबा	चुर्खी	34700	31	
			महेबा	चुर्खी	294477	33	
			महेबा	नादई	48436	34	
			महेबा	नादई	65396	35	
			महेबा	नादई	335880	38	
			महेबा	मत्थुआ	13000	31	
			महेबा	मत्थुआ	20640	33	
			महेबा	मत्थुआ	7549	36	
			महेबा	मत्थुआ	568240	37	
			महेबा	मत्थुआ	468768	19,30,32,35	
	बरेली	बरेली	नवाबगंज	प्रेमपुर	34040	21	
				समूह	146357	25,29,28	
	वाराणसी	मिर्जापुर	हलिया	तेन्दुई	50030	4	
			हलिया	दुदरी	224800	3	
			पहाडी	सिधोरा	102500	2,3	
		जौनपुर	जोभी	पारिकपुर	40000		

			खुटहन	उपाध्यायपुर	55000		
			आडिया	गौहर	38600		
			आडिया	महमूदपुर	116498		
			आडिया	सूरतारपुर	113720		
			बदलापुर	बरेया	23500		
	लखनऊ	रायबरेली	जगतपुर	उडया	45000	3	
		रायबरेली	जगतपुर	मनिहरशर्की	40000	4	
		रायबरेली	डलमऊ	घोरवारा	25000	3	
		अमेठी	सिंहपुर	खानापुरचपरा	668000	7	
		अमेठी	सिंहपुर	जुगराजपुर	50000	7	
		अमेठी	सिंहपुर	खारा	691301	6,7,9	
		अमेठी	सिंहपुर	सतनपुवा	52125	6	
		अमेठी	सिंहपुर	पेंडारा	266000	4,5	
		अमेठी	सिंहपुर	यूसुफनगर	244701	3,4,5	
		अमेठी	सिंहपुर	जननगरा	90788	5	
		अमेठी	सिंहपुर	मानीपुर	104100	6	

		अमेठी	सिंहपुर	शेरवनगांव	127428	3	
		अमेठी	सिंहपुर	फूला	1229975	8	

15— ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि कोष बही में रोकड़ अवशेष शून्य होने अथवा कम होने के पश्चात भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बिना समुचित अवशेष के व्यय का भुगतान दर्शाते हुए भुगतान किया है। जो संदेह प्रकट करता है कि कोष बही में दर्शित अवशेष एवं वास्तविक शेष में अंतर है। जो गम्भीर अनियमितता है। विवरण निम्न है:-

क्रमांक	सम्भाग	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	सन्निहित धनराशि	आपत्ति संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	
46	मुरादाबाद	मुरादाबाद	दीगंरपुर	जीगनिया	140900	1,2,3	
			दीगंरपुर	इमरतपुरफरवरुददी	160100	1,2	
51	गोरखपुर	देवरिया	पथरदेवा	कोइरीपट्टी	39871	22	
			देवरिया	तिलईवेलवा	33750	23	
		कुशीनगर	हाटा	भटहीवायू	19200	3	
			हाटा	गोपालपुर	18000	1	
			हाटा	करमही	40000	1	
			तमकुही	कोइन्दीयुजुर्ग	39622	1	

		गौतमपुर	बिसराव	नंगलीबाजिदपुर	255000	11	
	देवीपाटन	श्रावस्ती	सिरसिया	हेमपुर	10000		
	बरेली	बरेली	बरेली	महेशपुर	500	6	
			मोजीपुर	आटापट्टी	9802	12	
	वाराणसी	मिर्जापुर	नारायनपुर	नियामत खुर्द	140		
			नारायनपुर	जलालपुर	185		
	लखनऊ	अमेठी	सिंहपुर	खेरवरुआ	125790	5 से 10	

16— ग्राम पंचायत द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्य/अन्य कार्यों में अपूर्ण पूर्ण नहीं करा उन कार्यों को अधूरा छोड़ दिया गया। जिससे सम्बन्धित योजना का लाभजन सामान्य को वही प्राप्त हो सका एवं उस योजना में प्राप्त अनुदान एवं उसका उपयोग नियमानुसार नहीं हो सका। जिस कारण उक्त कार्यों पर पूर्व में किये गये व्ययों की धनराशि का दुरुपयोग किया गया। विवरण निम्न है:—

क्रमांक	सम्भाग	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	सन्निहित धनराशि	आपत्ति संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	लखनऊ	रायबरेली	जगतपुर	पूरबगांव	902506	2	
		अमेठी	सिंहपुर	राजापुर	16350	5	

17— ग्राम पंचायत द्वारा अपजीकृत फर्मों से क्रय करने के फलस्वरूप ग्राम पंचायत द्वारा विक्रेता फर्म से व्यापार कर तथा आयकर की कटौती नियमानुसार नहीं करके राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी जिसकी वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी कार्मिक से करते हुए राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है:—

क्रमांक	सम्भाग	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	सन्निहित धनराशि	आपत्ति संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
12	इलाहाबाद	इलाहाबाद	प्रतापपुर	जंघई	24464	6	
			प्रतापपुर	अनुवा	25909	2,3,4,5,6	
	गोरखपुर	कुशीनगर	सुकरीली	गनेशपुर	8368	1	
		महराजगंज	नौतनवा	गनेशपुर अ	46768	14,17	
			नौतनवा	रामनगर	26585	12,13,18	
			नौतनवा	मानिकपुर	52430	11,16	
			नौतनवा	पड़ौली	67085	14,15	
			नौतनवा	गजरही	50110	12,20	
	आजमगढ	आजमगढ	मुहम्मदपुर	आवक	47905	4	
				मोहम्मदपुर	58481	24	
				अषाढा	41360	21	
				नन्दाव	44959	24	
				मदारपुर	23053	23	
	फैजाबाद	फैजाबाद	जलालपुर	लखनिया	13920	10	

		अम्बेडकरनगर	निषाद	मरहट	7050	11	
--	--	-------------	-------	------	------	----	--

17- ग्राम पंचायत के प्रधान एवं सचिव द्वारा कोष बही के आय पक्ष का योग वास्तविक योग से कम दर्शाकर रोकड़ शेष का अपहरण किया गया जिसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है।

क्रमांक	सम्भाग	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	सन्निहित धनराशि	आपत्ति संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
34	कानपुर	इटावा	भर्यना	उमरखेडा	807	1,2	
			भर्यना	ऊपरसेडा	9	1	
			भर्यना	विरोधी	100	3	
			सैफई	बरा	534	24	
			बसरेहर	केलामऊ	30	24	
			बसरेहर	बादरीपूठ	61	28	
			बसरेहर	कशोपुरकला	4820	3,4	
			बसरेहर	रिटौली	123	4,26	
51	गोरखपुर	देवरिया	बैतालपुर	पिपराही	43649	21,22	
52			रुद्रपुर	सरावंवजुर्ग	5440	1	
53			लार	मठिलउपाध्याय	100	7	
		कुशीनगर	हाटा	भटहीयावू	2911	1,5	

			हाटा	डुमरीचूरामन छपरा	38930	2,3	
			हाटा	रामपुरमिश्र	20581	1	
			हाटा	घोरटक	7195	1,2	
			विशुनपुरा	हिरनही	2368	3	
			विशुनपुरा	रोआरी	106	2	
			विशुनपुरा	नरचोचवा	181	1	
			विशुनपुरा	भुजीली	233	2,3	
			तमकुही	चखनीखास	53	6,7	
			तमकुही	चखनीखास	877	2,3	
			तमकुही	गौरीनरोत्तम	20375	3,6,7	
			तमकुही	बनरहापूरवपट्टी	1683	3	
			तमकुही	विशुनपुरा	624	3,7	
			तमकुही	भटवलिया	117	1,2,5,6	
			तमकुही	कोइन्दीयुजुर्ग	2586	4,5,6	
			तमकुही	बभनीली	68360	1,2,3,5	
			तमकुही	गोसाईपट्टी	10000	4	

62	मेरठ	मेरठ	माछरा	श्याहकुलीपुर	27000	2,2	
			जानी	बहरामपुर	29864	14	
			जानी	जानीखुर्द	170000	14	
			हास्तिनापुर	रहमापुर	13050	7	
63		बागपत	बागपत	लघवाडी	186149	5ए6ए16	
				सिसाना	5589929	3,5,6,9,12,13,16,20,21,26	
				पावला	134000	5ए6	
				पिलाना	13010	2	
				पांची	3640	3	
64		गाजियाबाद	भोजपुर	कादरावाद	5000		
			बिसरख	शाहपुरगोवर्धनपुर	43634		
			दादरी	गुलाबलीखुर्द	5058		
			दादरी	पटादी	1760		
			दादरी	नगलानयनसुख	90		
			दादरी	चिटेहरा	22145		
			दादरी	रिठौली	100		
			दादरी	रामगढचमरावली	17000		
65		बु0शहर					
66	सहारनपुर	सहारनपुर	सरसांवा	शेखपुरा	26740.00	24,25,26	
	चित्रकुट	चित्रकुट	कर्वी	भटखर्वा	31—90	3	
		हमीरपुर	मौदहा	पिरीदा	134544		

	बरेली	बरेली	नवाबगंज	शाहपुर	109	30	
			नवाबगंज	कमुआ	10000	19	
				ज्योरहा	10608	26	
				बिथुरी	21453	2,11,31	
				हंसा	15200	5	
				बकैनिया	10304	4,2,5,59	
				मिलक	9786	4,53,	
			बिथुरी	फूरीदापुर	4	20,23,	
	वाराणसी	गाजीपुर	कासिमाबाद	दुधौडा	1282	2	

18- ग्राम निधि प्रथम ग्राम प्रधान द्वारा वर्ष 2010-11 में कराये गये निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्ययों के व्यय प्रमाणक एवं सामग्री कय प्रमाणक, मजदूरी के मस्टरोल आदि जांच में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिस कारण भुगतानित व्यय का अपहरण प्रधान एवं सचिव द्वारा किया गया विवरण निम्नवत् है-
मजदूरी का भुगतान कार्य हेतु सामग्री की अनुपलब्धता के बाद भी किया गया-

क्रमांक	सम्भाग	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	सन्निहित धनराशि	आपत्ति संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
51	गोरखपुर	देवरिया	पथरदेवा	कोइरीपट्टी	537122	20	
			देसहीदेवरिया	मउपा	31200	11	

		कुशीनगर	हाटा	डुमरीस्वांगपट्टी	60000	1	
	फैजाबाद	बाराबंकी	सूरतगंज	उत्तरावा	10400	4	
			सूरतगंज	उत्तरावा	5000	6	
			रामनगर	लोहटीजई	253550	10	
			पूरेडलई	पसावल	401633	1	
		अम्बेडकर नगर	टाण्डा	सनपुरसुन्धर	206410	10	
			मीटी	बस्तीपुर	159000	10	
				वेरिया	45000	11	
				खुजरा	91550	10	
				किया कानूनगो	379950	9,10,11	
				रोहनपारा	154400	8	
				हृदयपुर	301250	8,9	
				बनगांव	172400+8900	8,9	
				चन्दोका	766400	10	
				रामनगर कटी	116500	8	

				बारे	240660	9	
				सझवा	114400	8,9	
	आगरा	आगरा	फतेहपुर सीकरी	डावर	382969		
		आगरा	फतेहपुर सीकरी	मण्डीमिर्जा खौं	539190		
		आगरा	फतेहपुर सीकरी	मलिकपुर	486490		
		आगरा	फतेहपुर सीकरी	जहाँनपुर	365448		
	बरेली	बरेली	नवाबगंज	प्रेमपुर	27500	36	
				रूपपुर	34670	37	
				बडेपुरा	45240	29	
				शाहपुरजी	62821	33	
				समूहा	57190	36	
				फैजुल्लरपुर	14280	32	
				दुदआ	25172	1	
				पैगा	46650	0	

				टाडा	31090	22	
				हंसा	17050	20	
				चमन	36250	22	
				कुआडाडा	43820	22,25	
				बरौरा	30850	24	
				लम्बाखेडा	18200	20	
				मसीत	7710	21	
				संतोपुर	16656	19	
				हाफिज	12410	25	
				हिमकरा	23100	19	
				मिलक	65000	20	
				रिछोला	72000	22	
				रसूला	78500	22	
				मिलक	86900	52,24,51	
				आधकटा	20000	32	
				दुआकट	30000	19	

	वाराणसी	जौनपुर	मडियाहू	भटमदेवा	76100		
		गाजीपुर	मरदह	हरहरि	148790	18,19	
	लखनऊ	रायबरेली	सरेनी	दुल्लापुर	20160	4	
		रायबरेली	सरेनी	काजीखेडा	14800	3,4,8	
		अमेठी	सलोन	सेमरी भकरासी	126805	15	
		अमेठी	डीह	बरुआ	44489	11	

19- वर्ष 2010-11 में ग्राम पंचायतों द्वारा कय सामग्री में-कय सम्बन्धी प्रक्रिया का पालन न करके अनियमित कय कर धनराशि को दुरुपयोग किया गया।

क्रमांक	सम्भाग	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	सन्निहित धनराशि	आपत्ति संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	7
48	मुरादाबाद	रामपुर	चमरीआ	हरिपाल	58025	28	
			चमरीआ	लालपुरपट्टीकुन्दन	1823	17	
			सैदनगर	बढ़पुराशुमाली	950	17	
			सैदनगर	आंगा	1500	30	
			सैदनगर	सरावा	2200	17	
			विलासपुर	बहपुरगंगापुर	3300	25	
50	गोरखपुर	गोरखपुर	सहजनवाँ	बरौली	159300	21	

51			सरदारनगर	वरईपार	138800	1वी	
52		देवरिया	रुद्रपुर	सरावबुजुर्ग	323495		
		महाराजगंज	ब्रजमनगंज	सोनाबंदी	54400	12	
			ब्रजमनगंज	बंजरहासोनवरसा	604000	11,13	
	चित्रकुटधाम	चित्रकुट	कर्वी	महडियाबुजुर्ग	22120	4(2)	
		चित्रकुट	कर्वी	महडियाबुजुर्ग	24716	6(2)	
	लखनऊ	रायबरेली	सरेनी	दुल्लापुर	57000	5	

मनरेगा / नरेगा

20- वर्ष 2009-11 में ग्राम प्रधान एवं ग्राम्य विकास अधिकारी द्वारा बैंक से धन आहरित कर मनरेगा / नरेगा की रोकड़ बही में दर्शित व्ययों के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक जांच में प्रस्तुत नहीं किया गया बिना प्रमाणकों के दर्शाया गया व्यय अपहरण है।

क्रमांक	सम्भाग	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	सन्निहित धनराशि	आपत्ति संख्या
1	2	3	4	5	6	7
14	इलाहाबाद	फतेहपुर	देवकई	डुण्डरा	195116	4
			देवकई	बिजौली	14235	2
			देवकई	बिजौली	267410	2ए3ए4
			देवकई	कूपालपुरविघा	1413040	5
			खजुहा	मण्ड राव	186278	3
15		प्रतापगढ़	सडवाचन्द्रिका	हमीरपुर	352351	3
				जोगीपुर	1730730	3
51	गोरखपुर	देवरिया	बनकटा	यलुआखास	577925	21
52		देवरिया	देसहीदेवरिया	मरुपा	75400	9,10

अभ्युक्ति

8

66	मेरठ	सहारनपुर	ननौता	शिमलाना	535698.00	27
	देवीपाटन	बहराइच	सिरौलीगोसपुर	प्यारेपुरसरैया	827804	2
	फैजाबाद	बाराबंकी		पहलबारा	856280	0
	झांसी	जालौन	जालौन	देवरी	56200	36
				नैनपुरा	2950	40
				छिरियासलेमपुरा	27158	37
				छिरियासलेमपुरा	56300	38
				छिरियासलेमपुरा	140640	39
				छिरियासलेमपुरा	8000	37
				ऐदलपुर	574538	38,39,40,41
				ऐदलपुर	398141	
				छमा	52949	41
				मलकपुरा	11400	40
				मलकपुरा	52850	41
				सिहरीपडइया	15300	36
				सिहरीपडइया	105181	38

				सिहरीपडइया	45222	39
				ओरेखी	355500	41
				सिहारीदाउदपुर	23310	36
			कदौरा	कठपुरवा	484126	49
	चित्रकुटधाम	चित्रकुट	मऊ	मऊ	1561100	6
			मऊ	मऊ	90000	7
			मऊ	मऊ	438225	8
			मऊ	कुअरपुर	128498	7
	वाराणसी	जौनपुर	रामपुर	सेहरा	220107	
		गाजीपुर	कासिमाबाद	खजुहा	18200	1
			मदरौ	मम्सी	104950	6
	लखनऊ	उन्नाव	औरास	मैनीभायखेडा	3732	17
			पुरवा	सेमरीमऊ	9000	16
			पुरवा	सिजनीसोहरामऊ	15000	13
			पुरवा	अढोली	3500	12
			पुरवा	अढोली	15000	9

			पुरवा	बैजुआमऊ	7500	13
			जगतपुर	कुसुमी	132800	4,5
		खीरी	गोला	मल्लीपुर	774500	
			कुम्भी	सिकन्दरबाद	1226980	
			कुम्भी	रायपुर	664663	
			पसगवां	अजवापुर	195007	

21- वर्ष 2010-11 में मनरेगा/नरेगा मद के अन्तर्गत कय सामग्री का रजिस्टर में अंकन नहीं किया गया ना ही उपयोग रजिस्टर से कय सामग्री के प्रयुक्त होने के पुष्टि होती है। अतः दर्शित सामग्री व्ययक अपहरण किया गया विवरण निम्न है-

क्रमांक	सम्भाग	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	सन्निहित धनराशि (हजार ₹0 में)	आपत्ति संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
50	गोरखपुर	गोरखपुर	सहजनवा	बरोली	8940	20	20
51			बाली	पट्टीधर्मदास	11100	21	0
		देवरिया	तरकुलवा	मैनपुर	248657	22	0
			रुद्रपुर	महदहा	6000	1	
	फैजाबाद	फैजाबाद	हैरिगटनगंज	कदनपुर	494748	1	
		अम्बेडकर नगर	टाण्डा	सुन्थर	510248		
			नियाच	भरहरा	71600		

	झांसी	जालौन	जालौन	देवरी	41784	34	
				देवरी	58184	35	
				दमा	244720	42	
				मलकपुरा	229538	43	
				छानीखास	3500	36	
				ओरेखी	46619	38	
				ओरेखी	92603	39	
				सिहारदाउदपुर	108069	38	
			कदौरा	कठपुरवा	208626	40	

22- वर्ष 2010-11 में मनरेगा/नरेगा के अन्तर्गत मजदूरी का व्यय दर्शाया गया जो मस्टर रोल के अनुसार कम/अधिक दर्शित किया गया। दर्शित मजदूरी मस्टर रोल के लगे श्रमिकों के आधार पर कम है जबकि रोकड़ बही में अधिक भुगतान दर्शाकर अपहरण किया गया। जिसकी वसूली अपेक्षित विवरण निम्नवत् है।

क्रमांक	सम्भाग	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	सन्निहित धनराशि	आपत्ति संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6		7
51	गोरखपुर	देवरिया	वैतालपुर	बरारी-2	4500	23	23
52			सलेमपुर	पयसी	2600	11	11
	झांसी	जालौन	कदौरा	कठपुरवा	134600	41	
			जालौन	नैनपुरा	1200	41	
	लखनऊ	सीतापुर	विसवां	कैमहराखुर्द	46900	4	

23. मनरेगा / नरेगा अन्तर्गत दर्शित मजदूरी का भुगतान मस्टर रोल के अभाव में अपुष्ट रहा। दर्शित मजदूरी बैंक खातों के स्थान पर नगद भुगतान दर्शाते हुए धन अपहरण किया गया। जिसकी वसूली सम्बन्धित से अपेक्षित है। विवरण निम्न है-

क्रमांक	सम्भाग	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	सन्निहित धनराशि	आपत्ति संख्या	
1	2	3	4	5	6		
1	गोरखपुर	कुशीनगर	रामकोला	तरकुलवा	192100	8	
		बहराइच	प्यागपुर	अकरौरा	60000		
	फैजाबाद	बाराबंकी	रामनगर	बिठौरा	11000	9	
		अम्बेडकर नगर	टाण्डा	हसनपुर	484950	14	
				सुथर	779161	14	
			मीटी	सझवा	17300	10	
2	झांसी	जालौन	जालौन	मलकपुरा	23900	4	
3	चित्रकुटधाम	चित्रकुट	कर्वी	पहाडियाबुजुग	6000	4(1)	
			मऊ	मानकुवर	72280	8	
4	वाराणसी	गाजीपुर	सादात	बीरभान	967150	3	
5	लखनऊ	उन्नाव	औरास	मैनीभावाखेडा	106400	17	

24- वर्ष 2010-11 में ग्राम पंचायतों द्वारा शासन से विगत वर्षों में से विगत प्राप्त अनुदानों का समय से उपयोग नहीं किये जाने के फलस्वरूप पंचायतों में निधियों के अन्तर्गत ग्राम को दर्शित अप्रयुक्त अनुदान प्रयुक्त ना किये जाने के फलस्वरूप इसका लाभ जन सामान्य से नहीं प्राप्त हुआ। अप्रयुक्त अनुदान वित्तीय सहायता दाता को वापस किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक	सम्भाग	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	सन्निहित धनराशि	आपत्ति संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
67	मेरठ	मु0नगर	सम्बन्धित वि.ख.	वर्ष 2010.11की समस्त 370 लेखा परीक्षित पंचायते	95997454	18	
	देवीपाटन	बहराइच	मिट्टी पुरवा	मझरा	189752	52	
	चित्रकुटधाम	हमीरपुर	मौदहा	गहरोलीखुर्द	39230	2(घ) 1(ख).3	
			मौदहा	इचौली	42035	18	
			मौदहा	लारौद	53515	3	
			सरीला	ममना	14345	25	
	लखनऊ	उन्नाव	पूरवा	अढोली	105000	5	
			पूरवा	वैजुआमऊ	25000	6	
			पूरवा	सेमरीमऊ	35000	5	
			पूरवा	सिजनीसोहरामऊ	00000	6	

			औरास	मैनीभावखेडा	225000	11	
--	--	--	------	-------------	--------	----	--

25- कय सामग्री का स्टॉक पंजिका में प्रविष्टि न कर धन/सामग्री का अपहरण किया गया।

क्रमांक	सम्भाग	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	सन्निहित धनराशि	आपत्ति संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
51	गोरखपुर	देवरिया	तरकुलवा	महावल	170360	22	
	फैजाबाद	अम्बेडकर नगर	भीली	हृदयपुर	172400		
				रोहनपारा	301250		
	चित्रकुटधाम	चित्रकूट	कर्वी	भारतपुर	7990	3	

26-मध्याह्न भोजन योजना अन्तर्गत कनवर्जन कास्ट का भुगतान बिना प्रमाणक के करना तथा व्यय की पुष्टि में छात्र उपस्थिति सूची/विवरण न प्रस्तुत कर अनियमित भुगतान करना।

क्रमांक	सम्भाग	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	सन्निहित धनराशि	आपत्ति संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	
12	इलाहाबाद	इलाहाबाद	प्रतापपुर	जंघई	106320	3	
			प्रतापपुर	भेलरवा	36657	6	
				उमापुर	24676	8	
				उमापुर	63901	9	
				पूरेविक्रमशाह	57528	5	

				उदगी	63668	2ए3	
				बारी	28971	6	
				रिदुआ	25083	4	
13		कौशाम्बी	मूरतगंज	पट्टीनरवर	5000	7	
14		फतेहपुर	मिटौरा	भलेवा	33560	6	
			देवकई	बिजौली	319105	5	
			देवकई	कृपालपुरविधा	55116	3	
			देवकई	कौडिया	61415	2	
			खजुहा	गढ़ी	24500	3	
15		प्रतापगढ़	गौरा	कहला	154635	2	
			आसपुरदेवसरा	सपताछात	50000	3	
			मान्धाता	उसरापुर	60500	4	
			रामपुरसंग्रामगढ़	बवलिया	82255	2	
31	कानपुर	कानपुरदेहात	झीझक	सिकहिला	27600	17	
			झीझक	लगायस्था	42452	17	
			झीझक	खमैला	14753	17	
			झीझक	अमौलीदुकुरन	260359	17	
			झीझक				
	मेरठ	मु0नगर	सदर	खिला गुडडी	113053	31	
			कान्धला	रामपुर खेड़ी	201000	42	
			कान्धला	गेगेरू	253941	47,48	
			सदर	शेरपुर	62020	60(1)	

			सदर	भंदूरा	266840	71	
51	गोरखपुर	देवरिया	बेतालुपर	बदुलही	101075	23	
			बेतालुपर	चिउरहा खास	32138	24	
			बैतालपु	बरारी-3	15987	22	
			रामपुरकारखाना	चांदपुर	119678	9 12	
			रामपुरकारखाना	गौतमचक्रमठिया	102456	10	
			भागलपुर	कर्पूरीएकौना	56797	20	
			पथरदेवा	सिधवे	26614	19	
			पथरदेवा	कोइरीपट्टी	151414	23	
			देवरिया	तिलईधेतया	298200	22	
			भटनी	खैराट	128440	23	
		महराजगंज	ब्रजमनगंज	दुर्गापुर	8178	14	
		बस्ती	विक्रमजोत	तुर्सी	276500	3	
		संतकबीरनगर	बघौली	गंगौली	40598	17	
		संतकबीरनगर	बघौली	नाऊडाट	95500	17	
		संतकबीरनगर	बघौली	बंजरिया	31646	17	
		संतकबीरनगर	सेमरियावा	भेलवासी	20000	4	
		संतकबीरनगर	नाथनगर	झिगुरापार	12000	17	

		संतकबीरनगर	नाथनगर	ओनविलाई	110500	17	
		संतकबीरनगर	खलीलाबाद	गोइही	43000	3	
67	फैजाबाद	फैजाबाद	भीटी	बनगांव	444900	9	
			टाण्डा	हसनपुरसुन्दर	56580	15	
			हैरिंगटनगंज	रेवना	2000	9,10,13	
	झांसी	जालौन	जालौन	नैनपुरा	7453	25	
				छिरियासुलेमपुर	24158	25	
				ऐदलपुर	75562	25	
				ऐदलपुर	66171	25	
				दया	2540	24	
				मकलपुरा	66496	25,26	
				औरेखी	42031	25	
	चित्रकुटघाम	चित्रकुट	मऊ	मण्डौर	252875	6	
				वरियालीकला	947475	6	
				परदवा	1122120	6	
				गढवां	506070	8	
				औझार	650080	8	
				खंडेहा	4061890	8	

		हमीरपुर	मोदहा	गहरीलीखुर्द	28000	2 ग, च 7	
			सरीला	ममना	346050	27	
	आगरा	अलीगढ	चण्डीस	भोगपुर	77500	7	
		अलीगढ	चण्डीस	बरका	54000	7	
		अलीगढ	धनीपुर	कलाई	26,266	8	
	वाराणसी	जौनपुर	मुफ्तीगंज	सरैनी	29400		
				देवाकलपुर	22500		
		मिर्जापुर	राजगढ	मीटी	12315	6	
	लखनऊ	सीतापुर	बिसवां	पिपराबेनीसिंह	36186	3,4	
		सीतापुर	बिसवां	कैमहराखुर्द	91429	8	
		सीतापुर	बिसवां	स्यौंहा	50423	3	
		सीतापुर	बिसवां	पिपराकला	307269	15	
		सीतापुर	बिसवां	मोचकलां	171026	—	
		सीतापुर	बिसवां	बिसेन्डा	48267	4	

27— ग्राम पंचायत प्रथम खाता ग्राम निधि— व्यय धनराशि के सापेक्ष दर्शित व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक जांच में प्रस्तुत नहीं किया गया।
जिस कारण दर्शित व्यय को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अपहरण किया गया।

क्रमांक	सम्भाग	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	सन्निहित धनराशि	आपत्ति संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
12	इलाहाबाद	इलाहाबाद	शंकरगढ	लखनपुर	126900	2	
			माण्डा	भरारीप्रथम	33900	2,3	
				आंधी	91500	2	
				सिकरा	40200	2	
				पेदौली	28740	2	
				उमापुरकला	33600	2	
				उल्दा	50000	2	
			करछना	लेहदी	135000	2	
			प्रतापपुर	बगदहाहावसाद	71000	2	
				बगदहाहावसाद	69575	3	
				बगदहाहावसाद	255000	4	
				बगदहाहावसाद	104000	6	
				बगदहाहावसाद	42075	7	
				बगदहाहावसाद	12400	8	
				बगदहाहावसाद	54700	9	
				भेलरवा	30250	4	
				भेलरवा	174940	5	
				उमापुर	49725	2	
				उमापुर	24800	3	

				उमापुर	14280	4	
				उमापुर	60000	6	
				उमापुर	54000	7	
				पूरेविक्रमशाह	80559	2	
				पूरेविक्रमशाह	6827	3	
				उदगी	199425	4 से 12	
				अनुवा	131270	7 से 9	
				बारी	233360	2 से 4	
				रिद्धा	78180	2,4	
				पूरेमिश्र	67309	2 से 6,8	
13		कौशाम्बी	मूरतगंज	पट्टीनरवर	413580	5	
14		फतेहपुर	मिटौरा	भलेवा	328554	2ए3	
			अमौली	उदपुर	210000	3	
			अमौली	छरियापुरछेडिया	31661	2ए3ए4ए5	
			देवकई	इसेपुर	243115	3	
			देवकई	कृपालपुरविधा	5000	2	
15		प्रतापगढ	सण्डवाचन्द्रिका	हमीदपुर	310000	2	
			मान्धाता	उसरापुर	160500	2	
			सांगीपुर	राहाटीकर	65000	2	
			सांगीपुर	दलापट्टी	36000	2	
47	मुरादाबाद	जे०पी०नगर	अमरोहा	ननकनगली	41800	3	
	मेरठ	मुजफ्फरनगर	कापला	नला	28347	40	

				रामपुर खेडी	1051012	42	
				गंगेरन	112140	47	
				गंगेरन	1547697	50	
51	गोरखपुर	देवरिया	बैतालपुर	सिरजमदेइ	9150	25	
		संतकबीरनगर	सेमरियावा	पैलीखास	678646	3,4,5,6,7	
		संतकबीरनगर	सेमरियावा	खमरिया	681959	3,4,5,6,7	
		संतकबीरनगर	नाथनगर	झिगुरापार	196500	16	
		संतकबीरनगर	नाथनगर	ओनविलाई	935975	16	
		बस्ती	बनकटी	भौरा	54500	3,4	
		बस्ती	बनकटी	पिकौराशुक्ल	469695	3,4,5	
	फैजाबाद	अम्बेडकर नगर	टाण्डा	हसनपुरसुन्थर	61300	11	
			मीटी	तेरिया	88060	9,10,12,13	
	झांसी	जालौन	जालौन	छिरियासुलेमपुर	337612	24	
			जालौन	ऐदलपुर	500886	26	
			जालौन	ऐदलपुर	178414	26	
			जालौन	दमा	39600	30	

			जालौन	द्वानीखास	3500	14	
			जालौन	सिहारीपडइया	182277	25	
			जालौन	सिहारीदाउदपुर	467588	25	
	चित्रकुटधाम	चित्रकुट	कर्वी	पहाडियाबुजुर्ग	260262	5	
			कर्वी	पहाडियाबुजुर्ग	61616	6(1)	
			मऊ	इटवादेवीपुर	704815	7	
	लखनऊ	सीतापुर	मिश्रिख	लोहारखेडा	12000	1	
		सीतापुर	मिश्रिख	मोहकमपुर	26000	1,2	
		सीतापुर	विसवां	स्योहा	30000	8	

28-- कय सम्बन्धी प्रक्रिया का पालन न करके अनियमित कय कर धनराशि को दुरुपयोग किया गया।

क्रमांक	सम्भाग	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	सन्निहित धनराशि	आपत्ति संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
48	मुरादाबाद	अमरोहा	जीया	डिडौली	6885	25	
		रामपुर	चमरौआ	लालपुरपट्टीकुन्दन	8990	24	
			चमरौआ	मढौली	80000	22	
			चमरौआ	मढौली	16500	23	
			सैदपुर	बढपुराशामली	53300	24	

			सैदपुर	आंगा	42000	14	
			सैदपुर	सरावां	29500	24	
			मिलक	पुरैना	225000	25	
67	मेरठ		मिलक	सिंगरा	50000	26	
			विलासपुर	दनकरा	1000	26	
67	मेरठ	मु0नगर	कांघला	गंगेरू	300000.00	43	
		कुशीनगर	तमकुही	चखनीखास	74622	5	
			तमकुही	भटवलिया	47304	4	
	वाराणसी	गाजीपुर	आवरकोल	रानीपुर	70000	3	

29-बैंक से आहरित धनराशि का कैशबुक में अंकन नहीं करके आहरित धनराशि का अपहरण किया गया।

क्रमांक	सम्भाग	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	सन्निहित धनराशि	आपत्ति संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6		7
51	गोरखपुर	देवरिया	वैतालपुर	छितहीवाजार	22500	22	22
			देवरिया	तिलईवेलवा	69000	21	21
		कुशीनगर	कप्तानगंज	भडसरनरायन	15500	1	1
		संतकबीरनगर	सेमरियावा	भेलवासी	44700	3	
64	मेरठ	गाजियाबाद	भोजपुर	भोजपुर	6945		
			भोजपुर	विशोखर	724300		

			भोजपुर	नैडौलाअमीपुर	47080		
			भोजपुर	अतरीलीअकलपुर	3000		
			भोजपुर	मोठसुजानपुर	108864		
			भोजपुर	अमीपुर बडायला	38400		
			भोजपुर	कनकपुरजोया	50340		
		गौतमबुद्धनगर	दनकौर	आजमपुर	82800		
			दनकौर	अस्टौली	240955		
			दादरी	छौलस	15000		
			दादरी	इंचामीरपुर	35000		
			विसराख	तिलपताकरनवास	67320		
			दादरी	छतायली	10000		
			दादरी	रामपुरबागर	5000		
			विसराख	सुनपुरा	124292		
			विसराख	पर्यलाखंजरपुर	48474		
65			विसराख	गढीचौखण्डी	11823		
	आजमगढ	मऊ	फतहपुर	दुबारी	20000	2	
	बरेली	बरेली	फतेहगंज	खजुरिया	20000	31	
	वाराणसी	मिर्जापुर	राजगढ	भीटी	4000	5	
			राजगढ	भीटी	18000	7	

				सोनवर्षा	184510	2	
				थरपसिया	105785	2	
				थरपसिया	260050	3	
				बस्तारा	93500	4	
				वरया	150900	11	

30-मनरेगा/नरेगा के अन्तर्गत मजदूरी का भुगतान श्रमिकों के बैंक खाते के माध्यम से नहीं करके उन्हें नगद भुगतान करना दर्शाया गया जबकि मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरी के भुगतान करने हेतु बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किये जाने की व्यवस्था है, इस प्रकार मनरेगा की शर्तों के विपरीत अनियमित ढंग से भुगतान किया गया।

क्रमांक	सम्भाग	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	सन्निहित धनराशि	आपत्ति संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6		7
51	गोरखपुर	देवरिया	देवरिया	तिलईवेलवा	33750	23	23

31-अनुदान से प्राप्त धनराशियों के अनावश्यक कार्यों में व्यय दर्शाकर दुरुपयोग किया गया।

क्रमांक	सम्भाग	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	सन्निहित धनराशि	आपत्ति संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
15	इलाहाबाद	प्रतापगढ़	गौरा	पूरेयसहू	94490	2	
			गौरा	पूरेयसहू	7900	3	

48	मुरादाबाद	रामपुर	मिलक	सिंगरा	90000	26	
			मिलक	पुरैना	5000	26	
	मेरठ	गौतमबुद्धनगर	विसरख	खौदनाखुर्द	45000		
		गौतमबुद्धनगर		घापखेडा	21085		
		गौतमबुद्धनगर		याकुबपुर	26440		
67	सहारनपुर	मु0नगर	सम्बन्धित विकास ख0	समस्त 887ग्राम	1717500		
			सदर	बहलना	14800	38(2)	
	गोरखपुर	कुशीनगर	हाटा	कुरमौटा	4500	4	
			रामकोला	लालाछपरा	259670	4,5,6	
			रामकोला	तरकुलवा	4000	1	
	फैजाबाद	फैजाबाद	हेरिग्टनगंज	रेवना	13630	14	
				गनेशपुर	3120	2	
				हरदुइया	38000	2	
				सागरपट्टी	76294	3,5	
				हल्ले द्वारिकापुर	14438	2	
				डीह पूरे बीरबल	448948	1,9,10	
	लखनऊ	खीरी	पसगंवा	अजवापुर	349920		

32- वर्ष 2010-11 में ग्राम पंचायत के विगत वर्षों में प्राप्त अनुदानों का समय से उपयोग नहीं किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त अनुदान का लाभ समय से जन सामान्य को नहीं प्राप्त हुआ। उपर्युक्त अनुदान वित्तीय सहायता दाता को वापस किया जाना अपेक्षित विवरण निम्न है।

क्रमांक	सम्भाग	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	सन्निहित धनराशि	आपत्ति संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
34	कानपुर	इटावा	सैफई	छितौनी	8197	5.11	
67	मेरठ	मु०नगर	सम्बन्धित वि०ख०	2010-11 की समस्त 370ले.परी. ग्रा०प०	21248785	17	

33- वर्ष 2010-11 की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम पंचायत द्वारा कराये गये कार्यों के सापेक्ष किये गये भुगतानों की पुष्टि स्वरूप भुगतान प्राप्तकर्ता द्वारा भुगतान प्राप्त रसीद नहीं दी जिस कारण दर्शित व्यय फर्जी है। वसूली अपेक्षित विवरण निम्नवत है।

क्रमांक	सम्भाग	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	सन्निहित धनराशि	आपत्ति संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
14	इलाहाबाद	फतेहपुर	देवकई	कौडिला	37600	4	
	गोरखपुर	कुशीनगर	तमकुही	गोसाईपट्टी	3034	2	
			तमकुही	गोसाईपट्टी	99	7	
	फैजाबाद	अम्बेडकर नगर	मीटी	वडगांव	30500	8	
			मीटी	हृदयपुर	14409	10	

			जलालपुर	लखनियों	75906	9	
--	--	--	---------	---------	-------	---	--

34- 2010-11 में ग्राम पंचायतों द्वारा बैंक से आहरित धनराशि का कैशबुक में अंकित न कर अपहरण किया गया। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव उत्तरदायी है। वसूली अपेक्षित है। विवरण निम्न है-

क्रमांक	सम्भाग	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	सन्निहित धनराशि	आपत्ति संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6		8
67		मु0नगर	सदर	सिलागुडडी	10000	26	
			कांछला	गंगेरू	1800000	49	
	गोरखपुर	कुशीनगर	विशुनपुरा	जनशाहपुर	12000	2	
			विशुनपुरा	पकरियार	6400	2	
			विशुनपुरा	डुमरीसहोदरपट्टी	850	1	
	आजमगढ	आजमगढ	रानी की सराय	घाटीमिट्टी	100000	9	

35- वर्ष 2010-11 में ग्राम पंचायतों द्वारा अनुदान से प्राप्त धनराशियों को अनावश्यक कार्यों में व्यय करते हुए दुरुपयोग किया गया विवरण निम्न है:-

क्रमांक	सम्भाग	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	सन्निहित धनराशि	आपत्ति संख्या
1	2	3	4	5	6	
51	गोरखपुर	देवरिया	सलेमुपर	पयासी	1041	12
			सलेमुपर	बरसीरपार	64420	10
		कुशीनगर	कप्तानगंज	मदसर नारायन	360800	4
			हाटा	लालीपार	1200	1

		महाराजगंज	लक्ष्मीपुर	लक्ष्मीपुर कैथवलिया	232000	19
			नौतनवा	रामनगर	3200	11
			नौतनवा	पड़ौली	4340	13
67	मेरठ	मु०नगर	कांघला	गंगेरू	74500	45
	फैजाबाद	फैजाबाद	हेरिंग्टनगंज	डीह पूरे बीरबल	2685580	8
		सुल्तानपुर	लम्मा	चौपारिया	50100	16
				चौपारिया	112450	17
				चौपारिया	257400	18
				चौपारिया	66655	19
				चौपारिया	79100	20
				गोपीनाथपुर	45600	15
				गोपीनाथपुर	122595	18
				गोपीनाथपुर	159225	20
				गोपीनाथपुर	28000	21
				मालकदोषपट्टी	13740	20
				मालकदोषपट्टी	117708	21

अध्याय-5

निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों/विशेष प्रतिवेदनों का अनुपालन, समीक्षा व नास्ति संग्रह तथा अधिभार का विवरण

5.1-जिला पंचायत— जिला पंचायतों में लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में अनुपालन की स्थिति अत्यन्त शोचनीय रही किसी भी जिला पंचायत द्वारा सामान्य प्रतिवेदन अथवा विशेष प्रतिवेदन का अनुपालन लेखा परीक्षक के समक्ष समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा भी इस विषय पर कोई रुचि नहीं ली गयी जोकि लेखा परीक्षा एवं उसके अनुपालन के प्रति संस्था एवं प्रशासनिक विभाग की उपेक्षा एवं उदासीनता को दर्शाता है। जिला पंचायतों का लेखा परीक्षा प्रगति, सामान्य प्रतिवेदनों का निर्गमन व अनुपालन तथा विशेष प्रतिवेदनों का निर्गमन एवं अनुपालन की स्थिति परिशिष्ट 4 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-4

जिला पंचायतों का लेखा परीक्षा प्रगति, सामान्य प्रतिवेदनों का निर्गमन व अनुपालन तथा विशेष प्रतिवेदनों का निर्गमन एवं अनुपालन की स्थिति—

क्र०सं०	सम्भाग का नाम	जनपद	लेखा परीक्षा प्रगति			सामान्य प्रतिवेदन			विशेष प्रतिवेदन		
			कुल जिला पंचायतें	लेखा परीक्षित	बकाया	कुल निर्गत	प्राप्त अनुपालन की संख्या	अनुपालन हेतु बकाया प्रतिवेदन	कुल निर्गत	प्राप्त अनुपालन की संख्या	अनुपालन हेतु बकाया प्रतिवेदनों की संख्या
1	झांसी/चित्रकूट	झांसी	1	1	—	1	—	1	—	—	—
		जालौन	1	1	—	1	—	1	—	—	—

		ललितपुर	1	1	—	1	—	1	—	—	—
		बांदा	1	—	1	—	—	—	—	—	—
		चित्रकूट	1	—	1	—	—	—	—	—	—
		महोबा	1	—	1	—	—	—	—	—	—
		हमीरपुर	1	—	1	—	—	—	—	—	—
	योग		7	3	4	3	—	3	—	—	—
2	गोरखपुर	गोरखपुर	1	—	1	—	—	—	—	—	—
		महराजगंज	1	—	1	—	—	—	—	—	—
		देवरिया	1	—	1	—	—	—	—	—	—
		कुशीनगर	1	1	—	1	—	1	1	—	1
	योग		4	1	3	1	—	1	1		1
3	फैजाबाद / गोण्डा	फैजाबाद	1	—	1	—		—	—	—	—
		बहराइच	1	1	—	1		1	—	—	—
		गोण्डा	1	—	1	—		—	—	—	—
		बलरामपुर	1	—	1	—		—	—	—	—
		सुल्तानपुर / अमेठी	2	2	—	2		2	—	—	—

		बाराबंकी	1	1	—	1		1	—	—	—
		अम्बेडकर नगर	1	—	1	—		—	—	—	—
		श्रावस्ती	1	1	—	1		1	—	—	—
	योग		9	5	4	5		5			
4	आजमगढ़	आजमगढ़	1	1	—	—		1	1	—	1
		बलिया	1	—	1	—		—	1	—	1
		मऊ	1	1	—	1		1	—	—	—
	योग		3	2	1	—		2	2	—	2
5	मेरठ/सहारनपुर	मेरठ	1	1	—	1		1	—	—	—
		बुलन्दशहर	1	1	—	1		1	—	—	—
		गाजियाबाद	1	1	—	1		1	—	—	—
		गौतमबुद्ध नगर	1	—	1	—		—	—	—	—
		बागपत	1	—	1	—		—	—	—	—
		सहारनपुर	1	—	1	—		—	—	—	—
		मुजफ्फरनगर	1	1	—	1		1	—	—	—
	योग		7	4	3	4		4	—	—	—

6	मुरादाबाद	मुरादाबाद	1	—	1	—	—	—	—	—	—
		जे०पी०नगर	1	—	1	—	—	—	—	—	—
		बिजनौर	1	—	1	—	—	—	—	—	—
		रामपुर	1	—	1	—	—	—	—	—	—
	योग		4	—	4				—	—	—
7	इलाहाबाद	इलाहाबाद	1	—	1	—	—	—	1	—	1
		कौशाम्बी	1	—	1	—	—	—	—	—	—
		फतेहपुर	1	1	—	1	—	1	—	—	—
		प्रतापगढ़	1	1	—	1	—	1	—	—	—
	योग		4	2	2	2	—	2	1	—	1
8	आगरा	आगरा	1	—	1	—	—	—	—	—	—
		मथुरा	1	1	—	1	—	1	—	—	—
		फिरोजाबाद	1	—	1	—	—	—	—	—	—
		अलीगढ़	1	1	—	1	—	1	—	—	—
		मैनपुरी	1	1	—	1	—	1	—	—	—
		एटा	1	—	1	—	—	—	—	—	—

		हाथरस	1	1	—	1		1			
	योग		7	4	3	4		4			
9	वाराणसी	चन्दौली	1	1	—	1		1			
		गाजीपुर	1	1	—	1		1			
		जौनपुर	1	—	1	—		—			
		वाराणसी	1	1	—	1		1			
	योग		4	3	1	3		3			
10	मिर्जापुर	भदोही	1	1	—	1		1			
		मिर्जापुर	1	—	1	—		—			
		सोनभद्र	1	—	1	—		—			
	योग		3	1	2	1		1			
11	बस्ती	बस्ती	1	—	1	—		—			
		संतकबीर नगर	1	—	1	—		—			
		सिद्धार्थनगर	1	—	1	—		—			
	योग		3	—	3	—		—			
12	कानपुर	इटवा	2	—	2	—		—			

		फर्रुखाबाद	2	—	2	—		
		रमाबाईनगर	1	1	—			
		कानपुर नगर	1	1	—	1		
	योग		6	2	4	2		
13	बरेली	बरेली	1	—	1	—		
		बदायूं	1	—	1	—		
		पीलीभीत	1	—	1	—		
		शाहजहांपुर	1	—	1	—		
	योग		4	—	4	—		
14	लखनऊ	हरदोई	1	1	—	1		1
		लखीमपुर	1	—	1	—		—
		लखनऊ	1	1	—	1		1
		रायबरेली	1	—	1	—		—
		सीतापुर	1	—	1	—		—
		उन्नाव	1	1	—	1		1
	योग		6	3	3	3		3

अध्याय-5.1 अ

अधिभार-

निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों/विशेष प्रतिवेदनों के आधार पर पायी गयी अपहरण दुर्विनियोग एवं गम्भीर प्रकरणों पर उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 से 182 में जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत में किसी सम्पत्ति या निधि को हानि अपव्यय अथवा दुरुपयोग के सम्बन्ध में अधिभार की कार्यवाही करने की व्यवस्था है तदनुसार जिला पंचायतों में वर्ष 2010-11 की लेखा परीक्षा के सापेक्ष निर्गत किये गये लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के आधार पर कुल 15 प्रकरणों पर अधिभार की कार्यवाही प्रस्तावित की गई है इसमें 6.07 करोड़ की धनराशि सन्निहित है। विवरण परिशिष्ट 4अ में संलग्न है।

परिशिष्ट-4 'अ'

क्र०सं 0	सम्भाग का नाम	नाम जनपद/जिला पंचायत	लेखा परीक्षा वर्ष	अधिभार के प्रकरण की संख्या	सन्निहित धनराशि
1	2	3	4	5	6
	गोरखपुर	कुशीनगर	2010-11	1	41657150
7	इलाहाबाद	इलाहाबाद	2008-11	5	9546105
		कौशाम्बी	2008-09	2	3005952
		फतेहपुर	2010-11	7	6488278
	लखनऊ	लखनऊ	2011-12		13039725
	योग			15	60697485

5.2—क्षेत्र पंचायत— क्षेत्र पंचायतों में लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में अनुपालन की स्थिति अत्यन्त शोचनीय रही किसी भी क्षेत्र पंचायत द्वारा सामान्य प्रतिवेदन अथवा विशेष प्रतिवेदन का अनुपालन लेखा परीक्षक के समक्ष समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा भी इस विषय पर कोई रुचि नहीं ली गयी जोकि लेखा परीक्षा एवं उसके अनुपालन के प्रति संस्था एवं प्रशासनिक विभाग की उपेक्षा एवं उदासीनता को दर्शाता है। क्षेत्र पंचायतों का लेखा परीक्षा प्रगति, सामान्य प्रतिवेदनों का निर्गमन व अनुपालन तथा विशेष प्रतिवेदनों का निर्गमन एवं अनुपालन की स्थिति परिशिष्ट 5 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-5

क्षेत्र पंचायतों का लेखा परीक्षा प्रगति, सामान्य प्रतिवेदनों का निर्गमन व अनुपालन तथा विशेष प्रतिवेदनों का निर्गमन एवं अनुपालन की स्थिति—

क्र०सं०	सम्भाग का नाम	जनपद	लेखा परीक्षा प्रगति			सामान्य प्रतिवेदन			विशेष प्रतिवेदन		
			कुल क्षेत्र पंचायतें	लेखा परीक्षित	बकाया	कुल निर्गत	प्राप्त अनुपालन की संख्या	अनुपालन हेतु बकाया प्रतिवेदन	कुल निर्गत	प्राप्त अनुपालन की संख्या	अनुपालन हेतु बकाया प्रतिवेदनों की संख्या
1	झांसी / चित्रकूट	झांसी	8	—	8	—	—	—	—	—	—
		जालौन	9	—	9	—	—	—	—	—	—
		ललितपुर	6	6	0	6	—	—	—	—	—
		बांदा	8	—	8	—	—	—	—	—	—
		चित्रकूट	5	—	5	—	—	—	—	—	—
		महोबा	4	—	4	—	—	—	—	—	—
		हमीरपुर	7	2	5	2	—	2	—	—	—

	योग		47	8	39	8	—	8	—	—	—
2	गोरखपुर	गोरखपुर	19	—	19	—	—	—	—	—	—
		महाराजगंज	12	—	10	—	—	—	—	—	—
		देवरिया	16	—	16	—	—	—	—	—	—
		कुशीनगर	14	—	14	—	—	—	—	—	—
	योग		61	—	61	—	—	—	—	—	—
3	फैजाबाद / गोण्डा	फैजाबाद	11	5	6	5	—	5	—	—	—
		बहराइच	14	1	13	1	—	1	—	—	—
		गोण्डा	16	—	16	—	—	—	—	—	—
		बलरामपुर	9	—	9	—	—	—	—	—	—
		सुल्तानपुर	23	16	7	16	—	16	—	—	—
		बाराबंकी	15	—	15	—	—	—	—	—	—
		अम्बेडकर नगर	9	6	3	6	—	6	—	—	—
		श्रावस्ती	5	—	5	—	—	—	—	—	—
	योग		102	28	74	28	—	28	—	—	—
4	आजमगढ़	आजमगढ़	22	—	22	—	—	—	—	—	—

		बलिया	17	—	17	—	—	—	—	—	—
		मऊ	9	—	9	—	—	—	—	—	—
	योग		48	1	47	1	—	3	—	—	—
5	मेरठ/सहारनपुर	मेरठ	12	6	6	—	—	—	—	—	—
		बुलन्दशहर	16	—	16	—	—	—	—	—	—
		गाजियाबाद	8	—	8	—	—	—	—	—	—
		गौतमबुद्ध नगर	4	1	3	—	—	—	—	—	—
		बागपत	6	2	4	—	—	—	—	—	—
		सहारनपुर	11	—	11	—	—	—	—	—	—
		मुजफ्फरनगर	14	—	14	—	—	—	—	—	—
	योग		71	9	62	—	—	—	—	—	—
6	मुरादाबाद	मुरादाबाद	13	3	10	—	—	—	—	—	—
		जे०पी०नगर	6	—	6	—	—	—	—	—	—
		बिजनौर	11	—	11	—	—	—	—	—	—
		रामपुर	6	—	6	—	—	—	—	—	—
	योग		36	3	33	—	—	—	—	—	—

7	इलाहाबाद	इलाहाबाद	20	—	20	—	—	—	—	—	—
		कौशाम्बी	8	5	3	5	—	5	—	—	—
		फतेहपुर	13	10	3	10	—	10	—	—	—
		प्रतापगढ़	17	—	17	—	—	—	—	—	—
	योग		58	15	43	15	—	15	—	—	—
8	आगरा	आगरा	15	—	15	—	—	—	—	—	—
		मथुरा	10	1	9	1	—	—	—	—	—
		फिरोजाबाद	9	—	9	—	—	—	—	—	—
		अलीगढ़	12	—	12	—	—	—	—	—	—
		मैनपुरी	9	—	9	—	—	—	—	—	—
		एटा	15	—	15	—	—	—	—	—	—
		हाथरस	7	—	7	—	—	—	—	—	—
	योग		77	1	76	—	—	—	—	—	—
9	वाराणसी	चन्दौली	9	5	4	5	—	5	—	—	—
		गाजीपुर	16	2	14	2	—	2	—	—	—
		जौनपुर	21	11	10	11	—	11	—	—	—

		वाराणसी	8	1	7	1	—	1	—	—	—
	योग		54	19	35	19	—	19	—	—	—
10	मिर्जापुर	भदोही	6	6	—	6	—	6	—	—	—
		मिर्जापुर	12	—	12	—	—	—	—	—	—
		सोनभद्र	8	1	7	1	—	1	—	—	—
	योग		26	7	19	7	—	7	—	—	—
11	बस्ती	बस्ती	14	—	14	—	—	—	—	—	—
		संतकबीर नगर	23	—	23	—	—	—	—	—	—
		सिद्धार्थनगर	14	—	14	—	—	—	—	—	—
	योग		51	—	51	—	—	—	—	—	—
12	कानपुर	इटावा	15	—	15	—	—	—	—	—	—
		फर्रुखाबाद	14	—	14	—	—	—	—	—	—
		रमाबाईनगर	10	10	—	10	—	10	—	—	—
		कानपुर नगर	10	4	6	4	—	4	—	—	—
	योग		49	14	35	14	—	14	—	—	—
13	बरेली	बरेली	15	—	15	—	—	—	—	—	—

		बदायूं	18	—	18	—	—	—			
		पीलीभीत	7	—	7	—	—	—			
		शाहजहांपुर	15	—	15	—	—	—			
	योग		55	—	55	—	—	—			
14	लखनऊ	हरदोई	19	3	16	3	—	3	—	—	—
		लखीमपुर	15	—	15	—	—	—	—	—	—
		लखनऊ	8	—	8	—	—	—	—	—	—
		रायबरेली	21	—	21	—	—	—			
		सीतापुर	19	—	19	—	—	—	—		
		उन्नाव	16	3	13	3	—	3	—		
	योग		98	6	92	6	—	6	—		

अध्याय—5.2 'अ'

अधिभार—

निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों/विशेष प्रतिवेदनों के आधार पर पायी गयी अपहरण दुर्विनियोग एवं गम्भीर अनियमितताओं के प्रकरणों पर उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 से 182 में जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत में किसी सम्पत्ति या निधि को हानि अपव्यय अथवा दुरुपयोग के सम्बन्ध में अधिभार की कार्यवाही करने की व्यवस्था है तदनुसार क्षेत्र पंचायतों में वर्ष 2010-11 की लेखा परीक्षा के सापेक्ष निर्गत किये गये लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के आधार पर कुल 28 प्रकरणों पर अधिभार की कार्यवाही प्रस्तावित की गई है इसमें 19.27 करोड़ की धनराशि सन्निहित है। परिशिष्ट 5-अ में संलग्न है।

परिशिष्ट-5 'अ'

क्र०सं 0	सम्भाग का नाम	नाम जनपद/जिला पंचायत	लेखा परीक्षा वर्ष	अधिभार के प्रकरण की संख्या	सन्निहित धनराशि
1	2	3	4	5	6
	गोरखपुर	महराजगंज	2009-11	1	35928500
		कुशीनगर	2010-11	1	4454726
7	इलाहाबाद	इलाहाबाद	2008-09के पूर्व	1	6615381
		कौशाम्बी	2008-11	4	15734317
		फतेहपुर	2007-11	7	65626885
		प्रतापगढ़	1999-2010	9	21088028
	कानपुर	रमाबाईनगर		5	43241611
	योग			28	192689448-82

5.3—ग्राम पंचायत— ग्राम पंचायतों में लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में अनुपालन की स्थिति अत्यन्त शोचनीय रही। ग्राम पंचायत द्वारा सामान्य प्रतिवेदन अथवा विशेष प्रतिवेदन का अनुपालन लेखा परीक्षक के समक्ष समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा भी इस विषय पर कोई रुचि नहीं ली गयी जोकि लेखा परीक्षा एवं उसके अनुपालन के प्रति संस्था एवं प्रशासनिक विभाग की उपेक्षा एवं उदासीनता को दर्शाता है। ग्राम पंचायतों का लेखा परीक्षा प्रगति, सामान्य प्रतिवेदनों का निर्गमन व अनुपालन तथा विशेष प्रतिवेदनों का निर्गमन एवं अनुपालन की स्थिति परिशिष्ट 6 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-6

ग्राम पंचायतों का लेखा परीक्षा प्रगति, सामान्य प्रतिवेदनों का निर्गमन व अनुपालन तथा विशेष प्रतिवेदनों का निर्गमन एवं अनुपालन की स्थिति-

क्र०सं०	सम्भाग का नाम	जनपद	लेखा परीक्षा प्रगति			सामान्य प्रतिवेदन			विशेष प्रतिवेदन		
			कुल ग्राम पंचायतें	लेखा परीक्षित	बकाया	कुल निर्गत	प्राप्त अनुपालन की संख्या	अनुपालन हेतु बकाया प्रतिवेदन	कुल निर्गत	प्राप्त अनुपालन की संख्या	अनुपालन हेतु बकाया प्रतिवेदनों की संख्या
1	झांसी / चित्रकूट	झांसी	437	153	284	153	—	153	शून्य	शून्य	शून्य
		जालौन	564	246	318	246	—	246	शून्य	शून्य	शून्य
		ललितपुर	340	333	7	333	—	333	शून्य	शून्य	शून्य
		बांदा	437	170	267	170	—	170	—	—	—
		चित्रकूट	330	217	113	217	—	217	—	—	—
		महोबा	247	4	243	4	—	4	—	—	—
		हमीरपुर	314	131	183	131	—	131	—	—	1
	योग		2669	1254	1415	1254	—	1254	1	—	1
2	गोरखपुर	गोरखपुर	1233	735	498	735	—	735	—	—	—
		महराजगंज	777	530	247	530	—	530	—	—	—
		देवरिया	1017	588	429	588	—	588	10	—	10

		कुशीनगर	956	343	613	343	—	343	17	—	17
	योग		3983	2196	1787	2196		2196			
3	फैजाबाद / गोण्डा	फैजाबाद	729	558	171	558		558		—	—
		बहराइच	903	666	237	666		666		—	—
		गोण्डा	1054	17	1037	17		17		—	—
		बलरामपुर	608	—	608	—				—	—
		सुल्तानपुर	1285	848	437	848		848		—	—
		बाराबंकी	1002	385	617	385		385		—	
		अम्बेडकर नगर	786	531	255	531		531			
		श्रावस्ती	334	267	67	267		267	—	—	—
	योग		6760	3272	3488	3272		3272			
4	आजमगढ़	आजमगढ़	1617					554	—	—	—
		बलिया	835					177	—	—	—
		मऊ	598					168	—	—	—
	योग		3050	1544	1506	1544		1544	—	—	—
5	मेरठ / सहारनपुर	मेरठ	460				—		—	—	—

		सोनभद्र	501	174	327	174		174			
	योग		1748	1123	625	1123		1123			
11	बस्ती	बस्ती	1047	158	889	158		158			
		संतकबीर नगर	648	193	455	193	—	193		—	
		सिद्धार्थनगर	999	26	973	26		26	—	—	—
	योग		2694	377	2317	377	—	377	—	—	—
12	कानपुर	इटवा	861	51	810	51	—	51	—	—	—
		फर्रुखाबाद	953	17	936	17		17			
		रमाबाईनगर	455	295	160	295		295			
		कानपुर नगर	557	56	501	56		56			
	योग		2826	419	2407	419		419			
13	बरेली	बरेली	1007	652	355	652		652			
		बदायूं	1069	143	926	143		143			
		पीलीभीत	599	117	482	117		117			
		शाहजहांपुर	922	352	570	352		352			
	योग		3597	1264	2333	1264		1264			

14	लखनऊ	हरदोई	1101	691	410	691		691			
		लखीमपुर	995	563	432	563		563			
		लखनऊ	515	149	366	149		149			
		रायबरेली	965	788	177	788		788			
		सीतापुर	1329	430	899	430		430			
		उन्नाव	954	640	314	640		640			
	योग		5859	3261	2596	3261		3261			

अध्याय—5.3 अ

अधिभार—

वर्ष 2010-11 निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों/विशेष प्रतिवेदनों के आधार पर पाई गई अपहरण दूर्विनियोग एवं गम्भीर अनियमितताओं के प्रकरणों पर उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली के नियम 256 से 259 में ग्राम पंचायतों के किसी धन अथवा सम्पत्ति की हानि उसका अपव्यय अथवा दुरुपयोग की स्थिति में अधिभार की कार्यवाही करने की व्यवस्था दी है। तदनुसार वर्ष 2010-11 की लेखा परीक्षा के सापेक्ष निर्गत किये गये प्रतिवेदनों के आधार पर ग्राम पंचायतों की कुल 1557 प्रकरणों पर अधिभार की कार्यवाही प्रस्तावित की गई जिसमें कुल रु0 62.59 करोड की धनराशि सन्निहित है। विवरण जनपदवार परिशिष्ट 6 अ में अंकित है:—

परिशिष्ट 6 'अ'

क्रम संख्या	सम्भाग का नाम	नाम जनपद जिला पंचायत	लेखा परीक्षा वर्ष	अधिभार के प्रकरण की संख्या	सन्निहित धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	मुरादाबाद	मुरादाबाद	2010-11	14	4586624
		जे०पी०नगर/अमरोहा	2010-11	13	22036475
		बिजनौर	2010-11	18	4775573
		रामपुर	2009-10, 10-11	11	1810134
		सम्भल	2010-11	07	4806702
2	कानपुर	कानपुर नगर		08	
		रमाबाईनगर		28	4512643
3	गोरखपुर	गोरखपुर		17	1173363
		महाराजगंज		12	3251083
		देवरिया		83	24755796
		कुशीनगर		75	31883000

	योग				
4	फैजाबाद / गोण्डा	फैजाबाद		68	89748301
5	आजमगढ़	आजमगढ़		57	10355641
		बलिया		3	1836592
		मऊ		14	7872200
6	इलाहाबाद	इलाहाबाद	2008-09,2010-11	105	18938667
		कौशाम्बी	2008-11	27	10693988
		फतेहपुर	2004-05,11-12	56	35730318
		प्रतापगढ़	2008-09,2010-11	99	14717032
7	वाराणसी	चन्दौली		80	271.46 लाख
		गाजीपुर		67	132.28 लाख
		जौनपुर		137	240.01 लाख
		वाराणसी		71	99.37 लाख
8	मिर्जापुर	भदोही		47	132.19 लाख
		मिर्जापुर		71	91.38 लाख

		सोनभद्र		14	13.42 लाख
9	बस्ती	बस्ती		12	4227632
		संतकबीर नगर		15	5473608
		सिद्धार्थनगर		0	0
10	बरेली	बरेली	2008-13	67	3015695
		बदायूं	2009-10	7	58509
		पीलीभीत	2009-10	07	5242680
		शाहजहांपुर	2008-12	25	4867380
11	लखनऊ	लखीमपुर	2005 से 2011	37	49935262
		लखनऊ		0	
		रायबरेली	2008 से 2012	23	15579201
		सीतापुर	2008-09 से अद्यतन	18	4658276
		उन्नाव	2005-11	24	796560
12	मेरठ	मु०नगर	2008-09 से 09-10	07	1011675
		बुलन्दशहर	2008-09	05	968996

	ହର	2008-09 ଟ 10-11	13	5658761	
ହରିମାୟା	ହରିମାୟା	2008-09	06	3676637	
		ସାମ	1557	625877535	

अध्याय-6

निष्कर्ष व सुझाव

6.1—निष्कर्ष

वाह्य सम्प्रेषण के प्रति उदासीनता—

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ द्वारा पूरे राज्य में कुल 819 क्षेत्र पंचायतों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2010-11 की अवधि के दौरान मात्र 111 क्षेत्र पंचायतों की लेखा परीक्षा कराई जा सकी जो कि कुल क्षेत्र पंचायतों का मात्र 13.55 प्रतिशत है जबकि लेखा परीक्षा कार्मिकों द्वारा शतप्रतिशत लेखा परीक्षा करने का पूर्ण प्रयास किया गया। जबकि प्रत्येक क्षेत्र पंचायत का सम्प्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किये जाने की व्यवस्था है। किसी क्षेत्र पंचायत द्वारा सम्प्रेक्षण कराने से मना करने की दशा में उस क्षेत्र पंचायत को राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा प्राप्त होने वाले अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जाना चाहिये और साथ ही कार्यकारी अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जानी चाहिये। परन्तु व्यवहार में सम्पूर्ण राज्य में इस प्रकार का कोई उदाहरण प्राप्त नहीं हुआ।

इसी प्रकार मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ द्वारा पूरे राज्य में कुल 51944 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2010-11 की अवधि के दौरान मात्र 24910 ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा कराई जा सकी जो कि कुल ग्राम पंचायतों का मात्र 48 प्रतिशत है। ग्राम सभाओं की जनपदवार प्रगति परिशिष्ट-3 में उल्लिखित है। लेखा परीक्षा न होने का मुख्य कारण ग्राम प्रधान व ग्राम्य विकास अधिकारी द्वारा अभिलेख न उपलब्ध कराना है। प्रशासनिक विभागों के निचले स्तर के अधिकारियों (विकास खण्ड स्तर एवं जिला स्तर) द्वारा अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए अपेक्षित सहयोग प्रदान नहीं किया गया। लेखा परीक्षा न कराने वाली ग्राम पंचायतों के विरुद्ध सामयिक व कड़ी कार्यवाही न किए जाने से इस प्रकार की अराजकता को बल मिला। अध्याय-8 के पैरा-3 में यह व्यवस्था दी गयी है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत का सम्प्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया जायेगा। किसी ग्राम पंचायत द्वारा सम्प्रेक्षण कराने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार अथवा भारत

सरकार द्वारा प्राप्त होने वाले अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जाएगा और साथ ही ग्राम प्रधान तथा ग्राम्य विकास अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। परन्तु व्यवहार में सम्पूर्ण राज्य में इस प्रकार का कोई उदाहरण प्राप्त नहीं हुआ।

निर्धारित अभिलेख प्रस्तुत न करना— त्रिस्तरीय पंचायती संस्थाओं की लेखा परीक्षा में अधिकांश संस्थाओं द्वारा निर्धारित अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण समग्र व वास्तविक मूल्यांकन सम्भव नहीं हो सका जिसका लेखा परीक्षा परिणामों पर विपरीत प्रभाव पड़ा तथा अधोलिखित विषयों पर स्पष्ट व सारग्रन्थित विवेचना नहीं की जा सकी।

1. कार्य की पंचायत, तकनीकी, सक्षम स्तर की स्वीकृति।
2. खर्च की गयी धनराशि के सापेक्ष सरकार की योजनाओं में सन्निहित उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हुयी।
3. इच्छित लाभ लोगों तक पहुँचा है। विशिष्ट कार्यक्रमों/विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सेवाओं/कार्य में सुधार होने वाली त्रुटि के निवारण हेतु कार्यवाही की गयी है।
4. कार्यकारी अधिकारियों द्वारा निर्धारित जॉच न करने के फलस्वरूप कपटपूर्ण कार्य, अपहरण आदि सुसाध्य हुआ।
5. अकुशल वित्तीय प्रबंधन, कार्यक्रमों का अकुशल क्रियान्वयन, अपूर्ण कार्य व कमजोर अनुश्रवण के कारण अपेक्षित लाभों को प्राप्त नहीं किया जा सकना।
6. श्रमिकों के भुगतान में विलंब।
7. नियमों व नियमन का अनुपालन न करना।
8. असावधानी/नियंत्रण की कमी/पर्याप्त औचित्य के बिना व्यय।
9. सतत व व्यापक अनियमितता, धोखे, अपहरण को चिन्हित करना।
10. अनुदान की धनराशि का उपयोग न करना। वापस न करना।
11. अभिलेखों के अंकन व रख रखाव का मूल्यांकन।

इसी प्रकार ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में निर्धारित अभिलेखों को प्रस्तुत न करने के कारण अधिकांश ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में समग्र व वास्तविक मूल्यांकन संभव न हो सका जिसके परिणाम स्वरूप अधोलिखित तथ्यों का परीक्षण व मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

- 1— परियोजनाओं के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया नियम अथवा संविधान के किसी अनुच्छेद के विपरीत थी अथवा नहीं ?
- 2— किये गये व्यय से वित्तीय औचित्य के सिद्धान्त का पालन किया गया अथवा नहीं ?
- 3— न्यूनतम लागत में अधिकतम हित प्राप्त किया गया अथवा नहीं ?
- 4— न्यूनतम मूल्य में उच्च गुणवत्ता का क्रय किया गया अथवा नहीं ?
- 5— ग्राम पंचायत द्वारा प्रभावी ढंग से योजना का अनुश्रवण करते हुए भौतिक लक्ष्य को समय से पूर्ण किया गया अथवा नहीं ?

भौतिक उपलब्धियों का परीक्षण—

परियोजनाओं के भौतिक लक्ष्य के पूर्ण होने व समय से पूर्ण होने के सम्बन्ध में स्थिति संदिग्ध रही। अधोलिखित तथ्यों के परिणाम स्वरूप का परीक्षण व मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

- 1— लेखा परीक्षा में तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत न करने।
- 2— परियोजना के पूर्ण होने की स्थिति (कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत न करने।
- 3— परियोजना में कृत कार्य वास्तविक था अथवा अवास्तविक इस तथ्य की पुष्टि का कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत न करने के कारण।

4- लेखा परीक्षा में परियोजनाओं के भौतिक उपलब्धियों को परीक्षण के लिये सक्षम अधिकारियों (यथा जिला पंचायत का कोई पदाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी) द्वारा किये गये निरीक्षणों की रिपोर्ट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। जिससे सक्षम अधिकारियों द्वारा उनके रिपोर्ट में इंगित कमियों एवं उसके निराकरण हेतु पंचायत स्तर पर की गयी कार्यवाही एवं उससे हुये सुधार का आंकलन लेखा परीक्षा में नहीं किया जा सका।

ग्राम पंचायत का कार्यवाही रजिस्टर

इस पंजिका में ग्राम पंचायत की खुली बैठक में हुयी कार्यवाही का विवरण प्राप्त होता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ग्राम पंचायत की खुली बैठक में ग्राम को विकास सम्बन्धी योजना पर विचार विमर्श एवं अनुमोदन हुआ अथवा नहीं ? कृत कार्य पंचायत द्वारा अनुमोदित योजना के अनुरूप था अथवा नहीं ? वर्ष पर्यन्त हुये विकास कार्य ग्राम पंचायत सदस्यों की जानकारी में थे अथवा नहीं? महज कागजी खानापूर्ति द्वारा कार्य को अंजाम दिया गया अथवा वास्तविक रूप से कार्य का निस्तारण हुआ। ग्राम पंचायत की लोकतान्त्रिक व्यवस्था का सम्मान करते हुये ग्राम पंचायत की खुली बैठक में वर्ष पर्यन्त होने वाले ग्राम के विकास सम्बन्धी योजनाओं पर विचार विमर्श के उपरान्त उनका अनुमोदन किया गया अथवा नहीं ?

नियोजन एवं विकास समिति का गठन हुआ अथवा नहीं ? समिति द्वारा योजना सम्बन्धी कार्य का समय समय पर परीक्षण पर अपनी रिपोर्ट ग्राम पंचायत की बैठक में रखी गयी अथवा नहीं ?

इन सभी तथ्यों का परीक्षण आडिटर ग्राम पंचायत की बैठक की कार्यवृत्ति पंजिका के अवलोकन से ही कर सकता है। लेखा परीक्षक के समय ग्राम पंचायत के बैठक की कार्यवाही पंजिका को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। वर्ष पर्यन्त हुये विकास कार्यों के अनुमोदन विषय में ग्राम पंचायत द्वारा कृत कार्यवाही का ब्योरा इसी के अवलोकन से सम्भव है। लेखा परीक्षा में कार्यवाही पंजिका प्रस्तुत न होने से उक्त तथ्यों एवं

प्रक्रिया का परीक्षण नहीं किया जा सका। जिससे ग्राम स्वराज की परिकल्पना के तहत ग्राम की आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं का लाभ सभी ग्रामीणों तक पहुंचने सम्बन्धी मूल उद्देश्य का परीक्षण नहीं किया जा सका।

मनरेगा— ग्राम पंचायत द्वारा विकास सम्बन्धी योजनाओं के अनुमोदन के पश्चात सक्षम तकनीकी स्तर से ब्योरेवार नक्शे व अनुमान तैयार कर उसकी स्वीकृति प्राप्त किये जाने का प्राविधान है। तदोपरान्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किये जाने की व्यवस्था दी गयी है। यथा मनरेगा में योजनाओं की क्षेत्र पंचायत स्तर से स्वीकृति की व्यवस्था दी गयी है।

अधिकांश पंचायत सेक्रेटरी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त स्वीकृतियां प्रस्तुत न करने से इसका परीक्षण सम्भव न हो सका।

महात्मा गांधी रोजगार अधिनियम के अन्तर्गत संचालित योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर अकुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना है। इस उद्देश्य से ग्राम के कितने व्यक्ति/परिवार का जॉब कार्ड बना ? कितने जॉब कार्ड धारकों का बैंक में खाता खोला गया ? कितने जॉब कार्ड धारकों द्वारा आलोच्य वर्ष में रोजगार की मांग की गयी ? कितने जॉब कार्ड धारकों को कार्य उपलब्ध कराया गया ? प्रत्येक जॉब कार्ड धारक को वर्ष में औसतन कितने दिवसों का रोजगार उपलब्ध कराया गया ? रोजगार प्राप्त करने वाले जॉब कार्ड धारकों को समय से मजदूरी का भुगतान किया गया अथवा नहीं ?

इन तथ्यों से सम्बन्धित रिकार्ड को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे मनरेगा के प्रमुख उद्देश्य की पूर्ति किस सीमा तक की गयी ? इस तथ्य का परीक्षण लेखा परीक्षा में नहीं किया जा सका। आगामी लेखा परीक्षा में उपर्युक्त रिकार्ड निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाये जिससे मनरेगा के उद्देश्यों एवं उपयोगिता का सही आंकलन लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सम्भव हो सके।

आंतरिक लेखा परीक्षा

आंतरिक लेखा परीक्षा व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है, जो कार्यक्रमों/योजनाओं को प्रभावी व कुशलता से चलाने, व्यय की विश्वसनीयता लागू नियमों एवं नियमनों का पालन करने का उचित आश्वासन प्रदान करता है जो योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

पंचायती राज विभाग द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा की निर्देशिका तथा शिड्यूल/कैलेंडर बनया गया। जिसके अनुसार ग्राम पंचायत की नियोजन एवं विकास समिति त्रैमासिक आधार पर माह जून, सितम्बर, दिसम्बर तथा मार्च में ग्राम पंचायत के लेखों का सम्प्रेक्षण करेगी और सम्प्रेक्षण पूरा होने के तीसरे दिन तक अपनी रिपोर्ट ग्राम प्रधान को देगी। नियोजन एवं विकास समिति द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं को विशेष रूप से देखा जाएगा।

1. प्रत्येक व्यय के लिए नियमानुसार बाउचर उपलब्ध है अथवा नहीं?
2. प्रत्येक भुगतान के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की गयी है अथवा नहीं?
3. व्यय की धनराशि के संबंध में नियमों/मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन किया गया है अथवा नहीं?
4. बैंक खातों का मिलान किया गया है अथवा नहीं?
5. व्यय के संबंध में वित्तीय औचित्य के सिद्धान्त का अनुपालन किया गया है अथवा नहीं?
6. व्यय के अनुरूप भौतिक उपलब्धियाँ प्राप्त की गयी है अथवा नहीं?

ग्राम प्रधान द्वारा आन्तरिक सम्प्रेषण रिपोर्ट ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्तुत की जायेगी। जहाँ ग्राम पंचायत द्वारा उस पर विचार किया जाएगा तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु ग्राम प्रधान तथा ऐड्रेटरी ग्राम पंचायत को निर्देश दिए जायेंगे।

आन्तरिक सम्प्रेषण की रिपोर्ट एक रजिस्टर में अभिलिखित की जाएगी। रिपोर्ट के अनुपालन में की गयी कार्यवाही का उल्लेख उसी रजिस्टर रिपोर्ट के सम्मुख किया जाएगा। यह एक स्थाई रजिस्टर होगा, जो 12 वर्ष तक अभिरखित किया जाएगा। जिसका रख रखाव सेक्रेटरी ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा।

लेखा परीक्षा में आन्तरिक लेखा परीक्षा में उठाये गए प्रस्तरों एवं उसके निस्तारण की कार्यवाही को उपलब्ध नहीं कराया गया। अधिकांश ग्राम पंचायतों में इस पर उचित ध्यान न दिये जाने के कारण यह अप्रभावी रहा। प्रशासनिक विभाग द्वारा भी प्रत्येक ग्राम सभा स्तर पर इसे प्रभावी रूप से लागू करानेकी इच्छाशक्ति नहीं दिखायी गयी।

ग्राम स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत सामान्य जन को ग्राम के विकास से जोड़ने उसके अनुश्रवण व सम्प्रेक्षण द्वारा योजना को प्रभावी व कुशलता से चलाने, उसकी संस्तुति को प्राप्त करने के लिए आन्तरिक सम्प्रेक्षण को कियाशील व प्रभावी बनाना अपरिहार्य है।

अनुपालन जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन शून्य रहा। जो लेखा परीक्षा के प्रति अपर्याप्त अनुश्रवण व कमजोर प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करता है। सम्यक व समुचित अनुपालन की कार्यवाही का न होना लेखा परीक्षा के सम्पूर्ण उद्देश्य को खंडित कर देता है। अतः इस विषय पर पटल का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

6.2—संस्तुतियाँ— पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक कठिनाई लेखा परीक्षा हेतु निर्धारित सभी अभिलेखों का प्रस्तुत न हो पाना रहा, जिससे लेखा परीक्षा की प्रगति एवं गुणवत्ता प्रभावित हुई। ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायतों के कार्यकारी अधिकारियों द्वारा लेखा परीक्षार्थ अभिलेखों को प्रस्तुत करने में निरन्तर शिथिलता बरती जा रही है। जिसके कारण प्रभावित प्रगति का अवलोकन परिशिष्ट-2 एवं 3 में किया जा सकता है। अधिनियम व नियमावलियों में निर्धारित सभी अभिलेखों को लेखा परीक्षार्थ न प्रस्तुत करने पर कोई दण्डात्मक विधान न होने के कारण प्रशासनिक प्रस्तर पर इस कार्य में निरन्तर शिथिलता बरती जा रही है। इस समस्या के निराकरण के लिए अधोलिखित संस्तुतियाँ की जाती हैं—

- 1— लेखा परीक्षा कार्य की गुणवत्ता के लिये सभी ग्राम पंचायत के अभिलेख निर्धारित प्रारूप पर लेखांकित होने चाहिये और लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षक के समक्ष प्रस्तुत होने चाहिये जिससे लेखा परीक्षा में गहन व परिपूर्ण मूल्यांकन सम्भव हो सके।
- 2— सभी क्षेत्र पंचायतों व ग्राम पंचायतों के अभिलेख प्रतिवर्ष लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक के समक्ष प्रस्तुत कराये जाने के प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाना चाहिए।
- 3— निर्धारित अभिलेख प्रस्तुत न होने की दशा में संस्था के कार्यकारी अधिकारी यथा (क्षेत्र पंचायत की दशा में खण्ड विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत की दशा में ग्राम्य विकास अधिकारी) के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही का प्रावधान किया जाना चाहिए।

4— लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत कराये जाने के लिये जनपद स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी/नोडल अधिकारी यथा (मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला पंचायती राज अधिकारी) का दायित्व भी निर्धारित किया जाना चाहिए।

5— यदि कराये गये कार्य को कम से कम 20 प्रतिशत का भौतिक परीक्षण लेखा परीक्षक के स्तर से भी किया जाना चाहिए। जिससे प्रस्तुत अभिलेख एवं कृत कार्य का सर्वांगीण परीक्षण कर वस्तुस्थिति का स्पष्ट चिट्ठा प्रस्तुत किया जा सकता है।

6— पंचायती राज संस्थाओं के लेखा परीक्षा हेतु विभाग के लिये एक लेखा परीक्षा अधिनियम बनाया जाना चाहिए जिसमें लेखा परीक्षक के समक्ष निर्धारित अवधि में समस्त निर्धारित अभिलेखों को प्रस्तुत न कर पाने की दशा में यथोचित अर्थदण्ड एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधान होना चाहिए।

अनुपालन— पंचायती राज संस्थाओं में निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। अनुपालन का न होना अपर्याप्त अनुश्रवण व कमजोर प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करता है। इससे जहां लेखा परीक्षा का सम्पूर्ण उद्देश्य खण्डित होता है वहीं विकास कार्यों के लिये भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित अरबों रुपये की धनराशि का उचित उपयोग पर प्रश्नचिन्ह लगता है। विधान मण्डल व माननीय सदस्यों की समिति उपर्युक्त तथ्यों का संज्ञान लेते हुये अनुपालन के समय बद्धता एवं गुणवत्ता के विषय में उचित कार्यवाही करना चाहें।

.....